



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

सूचना, प्रेरणा, प्रभाव



WAVES
WORLD AUDIO VISUAL &
ENTERTAINMENT SUMMIT
Connecting Creators, Contending Channels.



सभी के लिए
प्रसारण



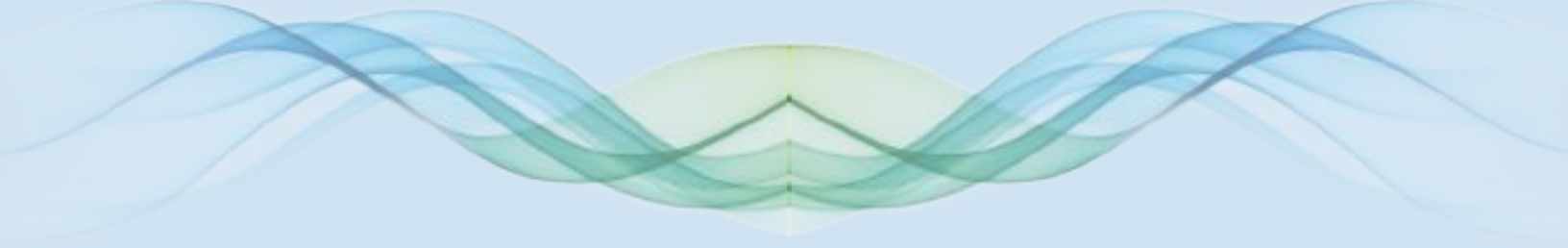
विकास के लिए
संचार



संस्कृति
का उत्सव



समुदायों
को जोड़ना

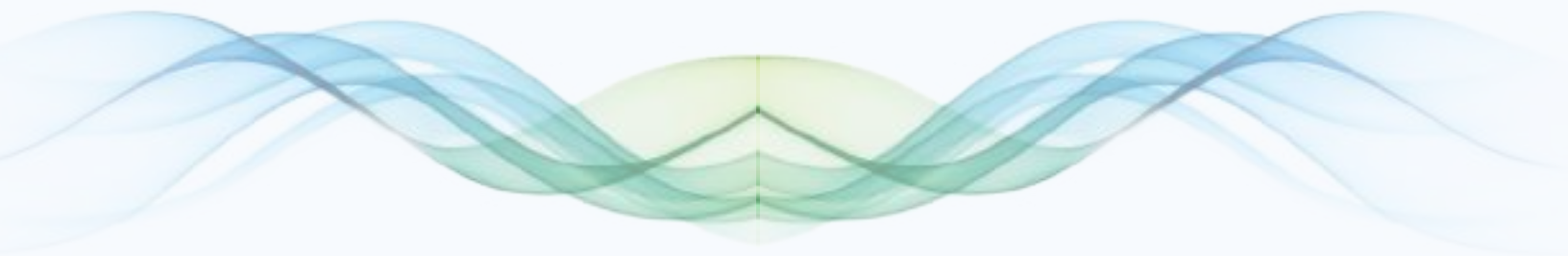


2025-26

वार्षिक रिपोर्ट



2 मई, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में 'वेव्स' में ग्लोबल मीडिया डायलॉग।





सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

विषय-सूची

1.	एक अवलोकन	9
2.	नई पहल	13
3.	प्रमुख गतिविधियां	19
4.	सूचना क्षेत्र	27
5.	प्रसारण क्षेत्र	63
6.	फिल्म क्षेत्र	89
7.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	113
8.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण	117
9.	सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व	119
10.	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	121
11.	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	123
12.	सतर्कता संबंधी मामले	125
13.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण	129
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	133
15.	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	137
16.	लेखा पैरा	145
17.	कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन	147
18.	योजना परिव्यय	149
19.	मीडिया इकाई-वार बजट	151
20.	सांगठनिक ढांचा	157



माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में 'महाकुम्भ 2025' को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक विशेष गीत का शुभारंभ किया।



21 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई) के दौरान 'इफिएस्टा' इवेंट में हुए गायन और संगीत कार्यक्रम की झलकियां।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जनसंपर्क और जन संचार के क्षेत्र में आम लोगों तक पहुंचने के लिए भारत सरकार का प्रमुख चेहरा है। विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और मुद्रित प्रकाशन, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टर, विज्ञापन तथा संचार के पारंपरिक माध्यम—जैसे नृत्य, नाटक, लोक गायन और कठपुतली शो—इन सभी का उपयोग मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा सूचना के प्रभावी प्रसार और उसके मुक्त प्रवाह के लिए किया जाता है।

मंत्रालय राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन तथा महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का ध्यान केंद्रित करने में सरकार की सहायता करता है। साथ ही, मंत्रालय विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सहायक भूमिका निभाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) के प्रशासन, भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के मल्टीमीडिया विज्ञापन और प्रचार, फिल्म प्रचार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का प्रमुख केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन क्षेत्रों—सूचना, प्रसारण और फिल्म में विभाजित किया गया है। मंत्रालय के अंतर्गत सात मीडिया इकाइयाँ/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, दो स्वायत्त निकाय, चार प्रशिक्षण संस्थान और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रमुख सचिव होते हैं। सचिव की सहायता के लिए एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एस एस एंड एफए), एक अपर सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और छह संयुक्त सचिव होते हैं। इनके सहयोग के लिए निदेशक/उप

सचिव/संयुक्त निदेशक/अपर आर्थिक सलाहकार/पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस स्तर के 22 अधिकारी, अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस स्तर के 34 अधिकारी, सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव स्तर के 74 अधिकारी और 255 अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी हैं।

सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों और गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसार तथा जागरूकता सृजन के लिए उत्तरदायी है। यह क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सरकारी विज्ञापनों की दर निर्धारण संबंधी नीति-निर्देश तैयार करने तथा 'प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023' और 'प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978' के प्रशासन का कार्य भी करता है।

प्रसारण क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सरकारी योजनाओं और पहल को व्यापक स्तर पर जनसामान्य तक पहुंचाने में मंत्रालय की सहायता करता है। यह क्षेत्र 'प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990' का प्रशासन करके इन लोक प्रसारकों की देखरेख करता है। यह 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' तथा समय-समय पर जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से निजी टीवी चैनलों, मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित परिचालनों के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। निजी एफएम रेडियो नेटवर्क का विनियमन मंत्रालय द्वारा एफएम चैनलों की नीलामी तथा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के माध्यम से किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र फिल्मों और फिल्मी सामग्री के निर्माण, प्रचार और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसमें वृत्तचित्रों का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन और पुरस्कारों की संस्था के माध्यम से अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। यह क्षेत्र 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' का प्रशासन करता है,

जिसके तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन से जुड़े विषयों को देखा जाता है। इसके अलावा, यह फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य मामलों, जिनमें विकासात्मक और प्रचारात्मक गतिविधियां शामिल हैं, को भी संभालता है।

9 नवंबर, 2020 की अधिसूचना के जरिए 'कार्य आवंटन नियम, 1961' में संशोधन करके, (i) ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम/कंटेंट और (ii) ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक सामग्री से जुड़े कंटेंट के विषय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपे गए थे। डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के विनियमन के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने के उद्देश्य से 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' के तहत 25 फरवरी, 2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों का भाग-III, अन्य बातों के अलावा, डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने वाली 'आचार संहिता' और ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों/आपत्तियों की जांच के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करता है। 28 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के जरिए 'कार्य आवंटन नियम, 1961' में संशोधन करके ऑनलाइन विज्ञापनों का विषय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवंटित किया गया है। इस मंत्रालय के काम का संशोधित आवंटन इस प्रकार है:

“वीए. डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम/कंटेंट।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित कंटेंट।

22ग. ऑनलाइन विज्ञापन।”

भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई, एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) है। इसे सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार तथा फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों के सहयोग से एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र में नवाचार और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया है। यह संस्थान 18 जुलाई, 2025 से एनएफडीसी परिसर, मुंबई से संचालित है।

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

मीडिया इकाइयां/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)
3. भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)
4. प्रकाशन विभाग (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

प्रशिक्षण संस्थान

1. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)
4. भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

■■■



गोवा में '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई-2025) के आयोजन संबंधी तैयारियों की 19 नवंबर, 2025 को ली गई एक झलक।



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 5 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने सभी विभागों और क्षेत्रों में कई पहल की हैं तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन नई पहल और उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है:

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था

- **विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) 2025** – मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) उद्योग के इस चार दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई, 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया। इस शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण ने भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी रही तथा 650 से अधिक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और एक लाख प्रतिनिधियों की अनुमानित उपस्थिति के साथ विभिन्न पहल और सहभागिताओं का गतिशील स्वरूप देखने को मिला।
- 'वेक्स 2025' में तीन प्रमुख वर्टिकल शुरू किए गए: **वेक्स बाजार**, जो दुनिया का पहला मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) मार्केटप्लेस है और जिसके माध्यम से 3,000 से अधिक बी2बी बैठकों के जरिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारी सौदे संभव हुए; **वेवएक्स**, जो पिचिंग और फंडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसने 120 से अधिक स्टार्टअप्स के बीच 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी विचार-विमर्श को सक्षम बनाया; तथा **क्रिएटोस्फीयर**, जिसमें 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1' का ग्रैंड फिनाले, मास्टरक्लास और मेंटरिंग सत्र आयोजित किए गए।
- 'वेक्स 2025' के परिणामस्वरूप 8,000 करोड़ रुपये के कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन, नए सह-निर्माण समझौते और प्रमुख नॉलेज रिपोर्ट्स जारी हुईं। **क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) सीजन-1** में अग्रणी उद्योग संघों के सहयोग से एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, कॉमिक्स, एआई और एआर/

वीआर जैसे क्षेत्रों में 32 चुनौतियां आयोजित की गईं। शिखर सम्मेलन में इसका ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया।

- **भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** भारत को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार, फिक्की और सीआईआई के सहयोग से मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना की है। 11 अप्रैल, 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र को समर्पित आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर एक विश्वस्तरीय संस्थान की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएफएससीडीसीएल) और आईआईसीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीटी भारत के डिजिटल अवसररचना को सुदृढ़ करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप करियर के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुंबई में आईआईसीटी परिसर: मुंबई स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) परिसर में स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के परिसर का उद्घाटन 18 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किया। इसी अवसर पर आईआईसीटी का लोगो भी लॉन्च किया गया। गेमिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) के क्षेत्र में 17 पाठ्यक्रम भी 18 जुलाई, 2025 को शुरू किए गए।

एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र का सशक्तीकरण

- 24 सितंबर, 2025 को वेक्स पहल के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सीलेरेटर वेवएक्स ने भारतीय जन संचार संस्थान

(आईआईएमसी) के परिसरों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता में सात नए इनक्यूबेशन केंद्र शुरू किए। ये केंद्र भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई में मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त हैं।

- आईआईसीटी के इनक्यूबेटर में सात कंपनियों वाले स्टार्टअप्स के पहले बैच ने काम शुरू किया। यह पहली बार है जब मीडिया और एवीजीसी-एक्सआर (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से एक समर्पित एक्सीलेरेटर-कम-इनक्यूबेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये केंद्र फिल्म, गेमिंग और इमर्सिव मीडिया में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अवसरचना, को-वर्किंग स्पेस, मेंटरशिप, फंडिंग और वैश्विक एक्सपोजर प्रदान करते हैं।
- 2 अगस्त, 2025 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने प्रशिक्षण भागीदार एप्टेक लिमिटेड के सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से चयनित आकांक्षी पेशेवरों के लिए 3डी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) में आठ माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। पूरी तरह वित्तपोषित इस कार्यक्रम ने वंचित युवाओं को मांग-आधारित तकनीकी कौशल, संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराकर रोजगार को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण अंतर को कम करने में सहायता की।

नीतियां, नियम और दिशा-निर्देश

- स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना:** स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 'केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994' में संशोधन किया गया है और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के विस्तार के रूप में एलसीओ के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है। एलसीओ पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन किए जा रहे हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वयं इसका पंजीकरण प्राधिकारी है। एलसीओ पंजीकरण की वैधता भी पूरे भारत में पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ा दी गई है।

संस्थानों और अवसरचना को सुदृढ़ करना

- एफटीआईआई और एसआरएफटीआई को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा:** शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' की धारा 3 के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता को "डीम्ड विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान किया। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) और उसके पांच क्षेत्रीय परिसरों को पहले दिए गए समान दर्जे के साथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये तीनों संस्थान अब डॉक्टोरल डिग्री सहित डिग्रियां प्रदान करने के लिए सक्षम हैं।
- आकाशवाणी कोकराझार में ट्रांसमीटर:** 3 जनवरी, 2025 को आकाशवाणी कोकराझार (असम) में 10 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य 70 किलोमीटर के दायरे में उच्च गुणवत्ता वाले एफएम प्रसारण उपलब्ध कराना और कोकराझार तथा धुबरी, बोंगाईगांव और चिरांग के आसपास के जिलों के 30 लाख से अधिक निवासियों तक पहुंच बढ़ाना है।
- एफटीआईआई सिनेमा थिएटर-कम-ऑडिटोरियम:** भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के सिनेमा थिएटर-कम-ऑडिटोरियम का उद्घाटन 11 जनवरी, 2025 को किया गया। 586 सीटों वाला यह ऑडिटोरियम सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें क्षैतिज रूप से चलने वाली अभिनव स्क्रीन भी शामिल है। एफटीआईआई ने इस अत्याधुनिक स्क्रीन के लिए पेटेंट दायर किया है, जो ऑडिटोरियम को सहजता से सिनेमा थिएटर में बदलने की सुविधा देती है।
- विकास, संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी) योजना को सुदृढ़ करना:** डीसीआईडी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य मल्टी-प्लेटफॉर्म संचार के माध्यम से सरकारी नीतियों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना है। मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी, 2025 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए डीसीआईडी योजना के संशोधित लागत अनुमान

(आरसीई) को मंजूरी दी। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत परिव्यय 992.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपये कर दिया गया।

फिल्में

- 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), 2025: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से 20 से 28 नवंबर, 2025 तक पणजी, गोवा में 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया।

नया उद्घाटन प्रारूप - इफ्फी की शुरुआत सड़कों पर (ग्रैंड परेड): उद्घाटन समारोह की शुरुआत गोवा में पहली बार ऐतिहासिक स्ट्रीट परेड से हुई। यह पारंपरिक उद्घाटन समारोह से एक महत्वपूर्ण बदलाव था और इसने महोत्सव को जन-भागीदारी वाला उत्सव बना दिया।

फिल्म बाजार की “वेक्स फिल्म बाजार” के रूप में नई परिकल्पना: 56वें इफ्फी के साथ आयोजित वेक्स फिल्म बाजार 2025 ने फिल्म निर्माण, सहयोग और बाजार विस्तार के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। पांच दिवसीय बाजार में 40 से अधिक देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी रही। इसमें 220 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ 1,200 से अधिक वन-टू-वन कलोज्ड डोर बैठकें हुईं और 1,050 करोड़ रुपये के कुल कारोबारी विचार-विमर्श और सौदे हुए, जिससे इस मंच के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को बल मिला।

भारत का पहला एआई फिल्म फेस्टिवल + सिनेमा एआई/सिनेमा एआई हैकाथॉन: महोत्सव में 18 देशों की 68 एआई फिल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 27 फिल्मों को सिनेमा एआई हैकाथॉन प्रतियोगिता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सर्वश्रेष्ठ एआई शॉर्ट फिल्म, इनोवेशन और विजुअल डिजाइन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

- भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएफएससीडीसीएल), मुंबई ने 21 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र में फिल्म और मीडिया क्षेत्रों में कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य

महाराष्ट्र के कंटेंट क्रिएटर्स को संरचित प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम उपलब्ध कराकर भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर खोलना और राज्य के प्रसिद्ध फिल्मी स्थलों को बढ़ावा देना है।

- हांगकांग फिल्मार्ट और सैन फ्रांसिस्को जीडीसी में भारत के मंडपों की ऐतिहासिक शुरुआत: 19 मार्च, 2025 को हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म एंड टीवी मार्केट (फिल्मार्ट) में भारत मंडप का शुभारंभ किया गया और वैश्विक सिनेमा में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। भारत मंडप ने 20 मार्च, 2025 को सैन फ्रांसिस्को में गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (जीडीसी) में भी शुरुआत की और भारत की गेमिंग उत्कृष्टता को प्रमुखता से प्रस्तुत किया।
- एसआरएफटीआई की फिल्म की ‘कान्स 2025’ में ऐतिहासिक एंट्री: सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की विद्यार्थी फिल्म “ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले” को ‘78वें फेस्टिवल द कान्स 2025’ के प्रतिष्ठित ‘ला सिनेफ’ खंड में आधिकारिक रूप से चुना गया। इस श्रेणी में भारत की एकमात्र प्रविष्टि के रूप में इस फिल्म ने भारत की सिनेमाई शिक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।

प्रोग्रामिंग, प्रसारण और संचार

- निर्णय लेने के लिए मीडिया विचारों का व्यवस्थित समेकन (संवाद) 2.0: संवाद 2.0 डैशबोर्ड मंत्रालयों/विभागों के लिए एक व्यापक फीडबैक और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। यह सोशल मीडिया, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया के विश्लेषण तथा टीवी कवरेज के आधार पर यह समेकित दृष्टि प्रदान करता है कि प्रमुख नीतियों, योजनाओं और अभियानों को किस प्रकार देखा जा रहा है और उस पर चर्चा की जा रही है। ‘संवाद 2.0’ की प्रमुख विशेषताओं में सचिवों के लिए समर्पित डैशबोर्ड और लॉगिन, मीडिया का रियल-टाइम विश्लेषणात्मक दृश्य, सेंटिमेंट एनालिसिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों और संचार टीमों को प्रमुख अलर्ट और दैनिक/साप्ताहिक डाइजेस्ट भेजने के लिए शेयरिंग टूल्स के साथ एकीकरण शामिल हैं।
- ‘कलासेतु’ और ‘भाषासेतु’ चैलेंज : समावेशी संचार के लिए एआई की शक्ति का उपयोग करने की कार्यनीतिक

पहल के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 जुलाई, 2025 को वेवएक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से “कलासेतु - भारत के लिए रियल-टाइम भाषा प्रौद्योगिकी” चैलेंज शुरू किया। इस चैलेंज के तहत भारत के प्रमुख एआई स्टार्टअप्स को कई भारतीय भाषाओं में पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक सामग्री के स्वचालित निर्माण के लिए स्वदेशी, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया। 30 जून को शुरू की गई “भाषासेतु” रियल-टाइम भाषा अनुवाद चैलेंज के साथ, इस पहल ने स्वदेशी एआई नवाचार को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

- **निजी एफएम का विस्तार:** सरकार ने 234 ऐसे शहरों में 730 निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है, जहां अभी ये सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इससे रोजगार सृजन, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा, महिलाओं की भागीदारी तथा आय सृजन, व्यय और करों में वृद्धि होगी।

- **वेक्स ओटीटी पर डीएफबी-पोकल फुटबॉल मैचों का लाइव प्रसारण:** एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रसार भारती और डीएफबी (डॉयचर फुटबॉल-बुंड) ने भारत में फुटबॉल सामग्री को बढ़ाने और अंडर-17 प्रतिभा खोज टूर्नामेंट शुरू करने के लिए 19 मार्च, 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 20 युवा भारतीय खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वेक्स ओटीटी ने एक प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसमें ऐप के माध्यम से भाग लेकर दो भारतीय प्रशंसकों ने डीएफबी-पोकल फाइनल के लिए जर्मनी की पूर्ण व्यय-भुगतान यात्रा जीती।

- **दूरदर्शन** को ‘लोकसभा चुनाव 2024’ के दौरान “चुनाव का पर्व, देश का गर्व” सहित प्रभावशाली कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी) श्रेणी में मतदाता जागरूकता हेतु **भारत निर्वाचन आयोग मीडिया पुरस्कार** प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 25 जनवरी, 2025 को प्रदान किया गया।

■■■



माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में “जन भागीदारी से जनकल्याण” विषय पर आधारित केंद्र सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का शुभारंभ किया।



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 12 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए।

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किए गए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्री मोहनलाल को प्रदान किया गया, जबकि श्री शाहरुख खान और श्री विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सुश्री रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। '12वीं फेल' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और 'फ्लावरिंग मैन' को सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, 'हनु-मैन' ने एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और 'गिद्ध द स्कैवेंजर' ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के तहत नई पहल की घोषणा की, जिनमें स्वदेशी फिल्म उपकरणों को बढ़ावा देना, लाइव कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था को समर्थन और मॉडल राज्य सिनेमा विनियमन नियम शामिल हैं।

विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स)

1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई में आयोजित 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन' (वेक्स) का पहला संस्करण भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी उपलब्धि साबित हुआ। मीडिया एवं मनोरंजन (एम एंड ई) उद्योग के इस ऐतिहासिक चार-दिवसीय आयोजन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई, 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया।

मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र का यह पहला समेकित शिखर सम्मेलन 100 से अधिक देशों, 300 कंपनियों और एम एंड ई उद्योग के सभी क्षेत्रों से 350 स्टार्टअप को एक मंच पर लाया। इसने भारत को एम एंड ई क्षेत्र में कंटेंट निर्माण, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया। 'वेक्स 2025' के परिणामस्वरूप 8,000 करोड़ रुपये के कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन और नए सह-निर्माण समझौते हुए।

ग्लोबल मीडिया डायलॉग में कई देशों की व्यापक भागीदारी रही और इसके बाद जारी वेक्स घोषणा में वैश्विक डिजिटल समावेशन, उत्तरदायी एआई और सांस्कृतिक संरक्षण में सहयोग का आह्वान किया गया। 'कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज' विषय के साथ इस शिखर सम्मेलन ने सतत रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास की मजबूत नींव रखी।

'वेक्स 2025' में तीन प्रमुख वर्टिकल शुरू किए गए। वेक्स बाजार दुनिया का पहला एम एंड ई मार्केटप्लेस रहा, जिसने 3,000 से अधिक बी2बी बैठकों के माध्यम से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारी सौदों को सुगम बनाया। वेवएक्स एक पिचिंग और फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से 120 से अधिक स्टार्टअप के बीच 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी विचार-विमर्श संभव हुए। क्रिएटोस्फीयर ने 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1' के ग्रैंड फिनाले, मास्टरक्लास और मेंटरिंग सत्रों की मेजबानी की।

भारत और विदेशों के युवा रचनाकारों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 'वेक्स 2025' से पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) सीजन-1 शुरू किया गया। 63 देशों से एक लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ सीआईसी ने प्रमुख उद्योग संघों की साझेदारी में एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, कॉमिक्स, एआई और एआर/वीआर जैसे क्षेत्रों में 32 चुनौतियां आयोजित कीं। वर्ष 2024 में शुरू हुई इन चुनौतियों का ग्रैंड फिनाले मुंबई में 'वेक्स 2025' के दौरान आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत के तेजी से बढ़ते एम एंड ई क्षेत्र के बारे में डेटा-आधारित जानकारी देने वाली कई ज्ञान रिपोर्ट जारी की गईं, जिन्होंने वैश्विक ऑरेंज अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। 'वेक्स 2025' ने विविध अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ लाकर सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा दिया और रचनात्मकता, कंटेंट तथा वाणिज्य के भविष्य को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

18 जुलाई, 2025 को 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) 2025' के पहले संस्करण की परिणाम

रिपोर्ट जारी की गई और भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) में गुलशन महल स्थित वेक्स भारत मंडप का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी मीडिया इकाइयों के साथ मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों के सहयोग से कई रणनीतिक पहल के माध्यम से **ऑपरेशन सिंदूर** और सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की व्यापक लड़ाई को समर्थन देने में सक्रिय और समन्वित भूमिका निभाई।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भ्रामक बयानों में वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में **मीडिया मॉनिटरिंग और फैक्ट चेक सेंटर (एमएमएफसीसी)** स्थापित किया। इस केंद्र ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग से मीडिया प्लेटफॉर्मों की रियल-टाइम निगरानी, त्वरित तथ्य-जांच और समन्वित खंडन को सक्षम बनाया।

विभिन्न मीडिया इकाइयों ने दुष्प्रचार और गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए विविध और प्रभावशाली रणनीतियां अपनाईं। डीडी न्यूज ने **लाइव मीडिया ब्रीफिंग** और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित **व्यापक 24x7 कवरेज** प्रदान किया। आकाशवाणी के एफएम चैनलों ने **आरजे उल्लेखों और बहुभाषी आउटरीच** के माध्यम से जनता को जोड़ा, जबकि **लक्षित सोशल मीडिया अभियानों** ने नागरिकों को सूचित और आश्वस्त करने में मदद की।

शत्रुतापूर्ण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए मंत्रालय ने 8 मई, 2025 को पाकिस्तान से उत्पन्न सामग्री के संबंध में डिजिटल प्लेटफॉर्मों और हितधारकों को **परामर्श** जारी किया।

इसके साथ ही, मंत्रालय ने प्रमुख सहयोगी देशों में भेजे गए भारत के **सात सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की व्यापक मीडिया कवरेज** को सुगम बनाया, जिससे भारत के राजनयिक प्रयासों को बल मिला और अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, जिससे आतंकवाद के विरुद्ध भारत के एकजुट रुख और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती मिली।

महाकुंभ 2025

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘महाकुंभ 2025’ के लिए कई पहल की।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने राज्य सरकार के सहयोग से महाकुंभ परिसर में **मीडिया सेंटर** स्थापित किया। पीआईबी ने एक समर्पित वेबपेज शुरू किया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर रियल-टाइम सोशल मीडिया सहभागिता के माध्यम से प्रमुख आयोजनों को रेखांकित किया।

माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 8 जनवरी, 2025 को दिल्ली में दूरदर्शन का थीम गीत **‘महाकुंभ है’** लॉन्च किया। आकाशवाणी के विशेष **‘कुंभवाणी’** एफएम चैनल (103.5 मेगाहर्ट्ज) और **‘कुंभ मंगल’** ध्वनि का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 10 जनवरी, 2025 को प्रयागराज में किया।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने **‘जन भागीदारी से जन कल्याण’** विषय पर **डिजिटल प्रदर्शनी** आयोजित की, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के भारत सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

विशेष कार्यक्रमों के तहत विशेष वृत्तचित्र “रिवर ऑफ फेथ” का निर्माण और प्रसारण, ‘अमृत स्नान’ दिवसों पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान विशेष बातचीत और कवरेज, ‘महाकुंभ 2025’ के सफल समापन पर माननीय प्रधानमंत्री के ब्लॉग की प्रमुख कवरेज, नियमित ग्राउंड रिपोर्ट, रनिंग फिलर्स, संस्कृत बुलेटिन आदि दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

मेले परिसर में प्रतिदिन तीन बार **10 मिनट के समर्पित कुंभ समाचार बुलेटिन** प्रसारित किए गए। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी के आधिकारिक यूट्यूब न्यूज चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया।

56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से **20 से 28 नवंबर, 2025** तक पणजी, गोवा में ‘56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ (आईएफएफआई) का आयोजन किया।

पुस्तक विमोचन

माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों के संकलन का विमोचन: पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत के **माननीय उपराष्ट्रपति** ने 22 सितंबर, 2025 को “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” संकलन के चौथे और पांचवे खंड का विमोचन किया। यह **माननीय प्रधानमंत्री** के जून, 2022 से मई, 2024 तक के भाषणों का चयनित संकलन है। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ये खंड भारत की विकास यात्रा को दर्ज करते हैं और ‘आत्मनिर्भर भारत’, समावेशी विकास तथा ‘विकसित भारत@2047’ की रूपरेखा पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। ये सरकार के सुधारोन्मुखी एजेंडे पर महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी हैं।

‘द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदन मोहन मालवीय’ की अंतिम शृंखला का विमोचन: भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर भारत के **माननीय उपराष्ट्रपति** ने 25 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में “द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदन मोहन मालवीय” की अंतिम शृंखला (खंड 12-23) का विमोचन किया। यह द्विभाषी परियोजना महामना मालवीय मिशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की गई। लगभग 3,500 पृष्ठों में यह परियोजना महामना की बहुआयामी विरासत को दस्तावेजीकृत करती है, जिसमें उनके संसदीय भाषण, औद्योगिक पक्षधरता, विधिक करियर, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में भूमिका और आध्यात्मिक योगदान शामिल हैं।

विंग्स टू आवर होप्स (खंड-II) का विमोचन: 23 जून, 2025 को माननीय रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में ‘विंग्स टू आवर होप्स’ (खंड-II) तथा ‘आशाओं की उड़ान’ (खंड-II) पुस्तकों का विमोचन किया। यह खंड भारत की **माननीया राष्ट्रपति** श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष (अगस्त, 2023-जुलाई, 2024) के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी में दिए गए 51 भाषणों का चयनित संकलन है। इसका ई-संस्करण भी साथ में जारी किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति रही। राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक राष्ट्रपति के दृष्टिकोण, मार्गदर्शक दर्शन और प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है।

सेवा पर्व समारोह

सेवा पर्व के हिस्से के रूप में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 17 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में डीडी नेशनल और दूरदर्शन समाचार पर **कार्यक्रमों की एक विशेष शृंखला** शुरू की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों और 11 वर्षों में भारत के विकास को रेखांकित किया गया। विशेष कार्यक्रमों में तीन राष्ट्रीय स्तर के वृत्तचित्र—‘संकल्प की शक्ति’, ‘विश्व पटल पर नेतृत्व का शंखनाद’ और ‘कर्मयोग - एक अंतहीन यात्रा’ शामिल हैं। इसके साथ ही ‘मेरा गांव आज’ शृंखला भी शामिल है, जिसमें 75 सरपंचों के साक्षात्कारों और ग्रामीणों के अनुभवों के माध्यम से भारत के ग्रामीण परिवर्तन को प्रस्तुत किया गया।

इन पहल में विशेष शृंखला “**जन-जन के प्रधानमंत्री**”, 75 लघु सोशल मीडिया फीचर और लगभग 1,510 समाचार-पत्रों में 77 आलेख/ओप-एड का प्रकाशन (2 अक्टूबर, 2025 तक) भी शामिल रहा। दूरदर्शन समाचार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण भारत में आए परिवर्तन को रेखांकित करने वाली विशेष शृंखला प्रसारित की।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय सम्मेलन

5 अगस्त, 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में **केंद्र-राज्य सहयोग** को मजबूत करना था।

मुख्य चर्चाओं में **प्रेस सेवा पोर्टल** और **इंडिया सिने हब** का रोल-आउट, **कम लागत वाले सिनेमाघरों और लाइव इवेंट स्थलों** का विकास तथा सूचना प्रसार में बेहतर समन्वय शामिल था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय प्रतिभा, संस्कृति और फिल्म गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई)** और **विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स)** जैसे राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की पहल और योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर, 2014 को **21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’**

(आईडीवाई) घोषित किया। योग की विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, क्योंकि योग मानवता के लिए भारत का अनूठा योगदान है और हमारी सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न अंग है। पिछले ग्यारह वर्षों में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025' को चिह्नित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने मीडिया प्लेटफॉर्मों पर समन्वित पहल की एक शृंखला चलाई, जो इस प्रकार हैं:

- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने एक समर्पित माइक्रोसाइट शुरू की और देशव्यापी समारोहों को रेखांकित करने के लिए विशाखापत्तनम का मीडिया टूर आयोजित किया।
- दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी (समाचार सेवा प्रभाग) ने योग के लाभों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष साक्षात्कार और रेडियो जिंगल प्रसारित किए।
- न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने मजबूत सोशल मीडिया अभियान का नेतृत्व किया, जिससे लाखों इंप्रेषन प्राप्त हुए और सार्वजनिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- मंत्रालय ने निजी मीडिया संस्थाओं को योग जागरूकता प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
- 21 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के लिए प्रमाणित प्रशिक्षक के नेतृत्व में योग सत्र भी आयोजित किया गया।

'सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल' और 'बदलता भारत मेरा अनुभव' अभियान

'सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल' अभियान के हिस्से के रूप में केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टीमीडिया सामग्री तैयार और अनूदित की। इस अभियान में प्रिंट विज्ञापन, टीवी और डिजिटल स्पॉट, रेडियो जिंगल तथा आउटडोर क्रिएटिव शामिल थे। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन समाचार ने विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया, जिनमें पिछले 11 वर्षों की क्षेत्र-वार उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले वृत्तचित्र, चयनित समाचार पैकेज और केंद्रीय मंत्रियों के विशेष साक्षात्कार शामिल थे।

26 मई से 10 जुलाई, 2025 के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्षों पर व्यापक मीडिया अभियान चलाया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर यह आउटरीच व्यापक और प्रभावशाली रहा।

- प्रिंट मीडिया में 24 बैकग्राउंडर और 49 ओप-एड/लेख प्रकाशित किए गए। इनके साथ 23 मीडिया टूर और 45 साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिन्हें व्यापक राष्ट्रीय कवरेज और मीडिया क्लिपिंग प्राप्त हुई।
- डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने क्रमशः 1,281 और 1,417 सोशल मीडिया पोस्ट जारी किए। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा और अधिक प्रसारित किया गया, जिससे लाखों इंप्रेषन प्राप्त हुए और सार्वजनिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज को निजी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों के माध्यम से मजबूत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप देशभर में लगभग 224 विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्षों की स्मृति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माईगव के सहयोग से "बदलता भारत मेरा अनुभव" नामक राष्ट्रव्यापी नागरिक सहभागिता पहल की। इस अभियान में पांच जीवंत रचनात्मक चुनौतियां—इंस्टाग्राम रील मेकिंग, यूट्यूब शॉर्ट मेकिंग, शॉर्ट एवी, ब्लॉग भारत और 'विकसित भारत' विक्ज शामिल थीं, जिनके माध्यम से नागरिकों को अपने परिवर्तनकारी अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

भारत की लाइव इवेंट और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2025 को सचिव, सूचना एवं प्रसारण की अध्यक्षता में लाइव इवेंट पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक आयोजित की। जेडब्ल्यूजी में भारत की कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग संघ, प्रमुख इवेंट कंपनियां और संगीत अधिकार निकाय शामिल हुए।

26 अगस्त, 2025 को आयोजित पहली बैठक के प्रमुख परिणामों में इंडिया सिने हब पर सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म

की योजना; अक्टूबर, 2025 तक केंद्रीकृत डिजिटल संगीत लाइसेंसिंग रजिस्ट्री; बहुउपयोगी और ग्रीनफील्ड स्थलों के लिए मॉडल नीति; लाइव मनोरंजन कौशलों का एनएसक्यूएफ में एकीकरण तथा जीएसटी छूट और एमएसएमई मान्यता जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार शामिल थे।

स्वदेशी अभियान

‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप, स्वदेशी अभियान के लिए स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक मीडिया आउटरीच शुरू किया गया।

“वोकल फॉर लोकल” पर जोर देते हुए, जिसमें गुणवत्ता, नवाचार और सांस्कृतिक गौरव शामिल थे, इस अभियान को कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संचालित किया गया। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने संपादकीय सामग्री और प्रेस ब्रीफिंग का समन्वय किया; दूरदर्शन और आकाशवाणी ने वृत्तचित्र, फीचर, जिंगल और उद्यमियों और कारीगरों के साथ साक्षात्कार प्रसारित किए; केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने समाचार-पत्र में विज्ञापनों और क्षेत्रीय प्रचार के माध्यम से इसकी दृश्यता को बढ़ाया और न्यू मीडिया विंग ने समर्पित हैंडल, हैशटैग तथा यूजर-जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग किया। प्रभावशाली व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों और चयनित मीडिया टूर की सक्रिय भागीदारी से अभियान की पहुंच और मजबूत हुई।

79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 और ‘हर घर तिरंगा’

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में लोगों को तिरंगा घर लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान 2 से 15 अगस्त, 2025 तक देशभर में चलाया गया। चैनल के लोगो में तिरंगा प्रदर्शित किया गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर देशभक्ति के कार्यक्रम प्रसारित किए गए और पीआईबी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। अभियान में लोकप्रिय ‘सेल्फी विद तिरंगा’ पहल, ‘तिरंगा यात्राएं’, स्वयंसेवकों की भागीदारी, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की सोशल मीडिया सहभागिता तथा निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की भागीदारी शामिल रही, जिससे व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित हुई।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा - देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित किया। इस महोत्सव की शुरुआत 11 अगस्त, 2025 को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ हुई। भारत की स्वतंत्रता को समर्पित तीन-दिवसीय सिनेमाई श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित इस महोत्सव में शहीद, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, उरी, आरआरआर, तान्हाजी, मेजर, वीरपांडिया कट्टाबोम्मन, क्रांति और हकीकत जैसी ऐतिहासिक देशभक्ति की फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मनाया। इसके साथ ही तिरंगा, तिलक और शहादत पर शैक्षिक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किए गए। महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) द्वारा डिजिटली बहाल की गई क्लासिक फिल्मों—क्रांति, हकीकत, सात हिंदुस्तानी और शहीद का प्रदर्शन रहा, जिसने भारत की सिनेमाई विरासत के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दोहराया और साहस तथा एकता की कालजयी कहानियों को नए दर्शकों तक पहुंचाया।

‘स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025’ और ‘विशेष अभियान 5.0’

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक ‘विशेष अभियान 5.0’ सफलतापूर्वक चलाया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, कार्यालयों का सौंदर्यीकरण और निर्णय-निर्माण की दक्षता बढ़ाना था। प्रमुख उपलब्धियों में 2,62,391 किलोग्राम स्कैप का निपटान (जिससे 1.37 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ) और 77,348 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 35,281 भौतिक फाइलों और 1,486 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11,389 भौतिक फाइलों को छांटा गया और 289 ई-फाइलों को बंद किया गया। अभियान के दौरान 2,073 स्थानों की सफाई की गई और 489 जन शिकायतों तथा अन्य सरकारी संदर्भों का निपटान किया गया।

मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक ‘स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025’ अभियान भी चलाया, जिसके तहत देशभर में 2,766 कार्यक्रमों के माध्यम से 59,122 प्रतिभागियों को जोड़ा गया। प्रमुख उपलब्धियों में 1,588 स्थानों की सफाई और 824 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) का रूपांतरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, 25 सितंबर को ‘एक दिन एक घंटा एक साथ’ और 2 अक्टूबर को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ के तहत विशेष प्रयास

किए गए, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कंटेंट विनियमन और लाइसेंसिंग

- अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई: 23 जुलाई, 2025 को मंत्रालय ने अश्लील, अभद्र और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रकाशित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्मों तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचनाएं जारी कीं। इन प्लेटफॉर्मों से संबद्ध 26 वेबसाइटों और 14 ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर पर नौ और एप्पल ऐप स्टोर पर पांच) को भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए अक्षम कर दिया गया है। यह कार्रवाई सामग्री की प्रकृति और 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम', 'भारतीय न्याय संहिता' तथा 'स्त्रियों का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986' के प्रावधानों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के आधार पर की गई।

अन्य प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार कैलेंडर 2025: माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 7 जनवरी, 2025 को भारत सरकार कैलेंडर 2025 का अनावरण किया। कैलेंडर का विषय

‘जनभागीदारी से जनकल्याण’ परिवर्तनकारी शासन के एक दशक का उत्सव था।

- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन की दक्षिण कोरिया यात्रा: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 22 से 24 सितंबर, 2025 तक दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की; जिससे मीडिया, मनोरंजन, गेमिंग और उभरती प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत हुआ। यह यात्रा 30वें बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और एशिया कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट में भारत की भागीदारी के साथ हुई, जहां भारत पर्व और वेक्स बाजार ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित किया। डॉ. एल. मुरुगन ने एआई, ब्लॉकचेन, सह-निर्माण और कंटेंट संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई सांसदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भी संवाद स्थापित किया और कोरियाई हितधारकों को गोवा में ‘56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ में आमंत्रित किया, जिसमें रचनात्मक और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र बनने में भारत की परिकल्पना की पुनः पुष्टि हुई।

■ ■ ■



4 मई, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में 'वेव्स 2025' में 'सिम्फनी ऑफ इंडिया - भारत की गूँज' के प्रदर्शन में कलाकार।



‘वेक्स 2025’ कार्यक्रम में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) ने 3 मई, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में वैश्विक उद्योग जगत के अग्रणी नेताओं के साथ एबीजीसी-एक्सआर के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सहयोगों की शुरुआत की। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; तथा माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू; और पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री धीरेंद्र ओझा मौजूद थे।



पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहल और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को फीडबैक भी प्रदान करता है। यह मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों पर सरकार को सलाह भी देता है।

पीआईबी विभिन्न माध्यमों जैसे प्रेस विज्ञापितियां, प्रेस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि सामग्री (बैकग्राउंडर), प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस दौरे आदि के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। पीआईबी सूचना प्रसारित करने के लिए X (ट्विटर), यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग करता है। यह सूचना अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू के साथ-साथ 16 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो देशभर के समाचार-पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी मीडिया कर्मियों को मान्यता (एक्रिटेशन) सुविधा भी प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से सूचना तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) करते हैं। ब्यूरो के पांच जोन हैं जिनमें क्षेत्रीय मीडिया की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 15 शाखा कार्यालय शामिल हैं।

I. पत्र सूचना कार्यालय की सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क. केंद्रीय मीडिया एवं संचार बोर्ड

मुख्यालय और मध्य प्रदेश में पीआईबी और केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के कार्यात्मक एकीकरण के लिए 12 नवंबर, 2025 को प्रधान महानिदेशक, पीआईबी की अध्यक्षता में केंद्रीय मीडिया एवं संचार बोर्ड का गठन किया गया था।

यह बोर्ड सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए नागरिक पहुंच को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित, समन्वित सूचना प्रसार सुनिश्चित करता है। नीति कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीकृत निकाय के रूप में कार्य करते हुए, यह एकीकृत संचार ब्रीफ को मंजूरी देता है, विभागीय रणनीतियों को संरेखित करता है, सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करता है और सुसंगत संदेश बनाए रखता है। यह संचार लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय को भी सुगम बनाता है।

एक पायलट परियोजना के रूप में, भोपाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक राज्य कार्यालय और जबलपुर, इंदौर, रीवा तथा ग्वालियर में चार शाखा कार्यालयों के साथ मध्य प्रदेश में कार्यात्मक एकीकरण लागू किया गया था।

ख. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार सूचना प्रसार

पीआईबी अधिकारी, जिन्हें मीडिया एवं संचार प्रमुख (सीएमसी) के रूप में नामित किया जाता है, मंत्रालयों और विभागों से संबद्ध अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं जो मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचना का प्रसार करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण या प्रत्युत्तरात्मक कथन जारी करते हैं। वे मीडिया संपादकीय और कवरेज से जनभावना का विश्लेषण भी करते हैं

ताकि मंत्रालयों को जनमत से अवगत कराया जा सके और उन्हें मीडिया तथा सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) रणनीतियों पर सलाह दी जा सके।

ग. क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में तैनात पीआईबी अधिकारी मुख्यालय की सूचना का प्रसार करते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के (सीपीएसयू) कार्यक्रमों के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हैं, और क्षेत्र-विशेष के केंद्र सरकार के निर्णयों के लिए निरंतर, लक्षित प्रचार को गति देते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों की आधिकारिक क्षेत्रीय यात्राओं के दौरान मीडिया कवरेज का समन्वय करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

घ. सूचना प्रसार के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पीआईबी द्वारा निम्नलिखित संचार रणनीतियां अपनाई जाती हैं:

1. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक संचार माध्यम जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस (वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित)।
- ii. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और घोषणाओं की प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें जारी करना। इसके बाद मीडिया कर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट और टेलीफोन कॉल किए जाते हैं।
- iii. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चाओं आदि की व्यवस्था करना।
- iv. वेबसाइटों पर नियमित अद्यतन के अतिरिक्त X (ट्विटर), यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग।
- v. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त मलयालम, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मणिपुरी, असमिया, खासी, तेन्गिदेई, नेपाली, मिजो, कोंकणी और बांग्ला जैसी प्रमुख

क्षेत्रीय भाषाओं में पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।

- vi. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत सप्ताह आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मीडिया कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है।
- vii. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को हिन्दी और अंग्रेजी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया फीडबैक, संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मंत्रालयों को दैनिक मीडिया फीडबैक, महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक।
- viii. पीआईबी जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंचता है।

मीडिया उत्पाद/सेवा/माध्यम	संख्या (1.1.2025 से 31.12.2025)
19 भाषाओं में कुल प्रेस विज्ञप्तियां	96,101
फोटो रिलीज	25,808
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
वीडियो रिलीज	100
मीडिया आमंत्रण रिपोर्ट	338
पत्रकारों को जारी कुल कार्ड	2,362
आयोजित वार्तालाप	44
आयोजित प्रेस टूर	59
देशव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक

II. प्रधानमंत्री प्रचार एवं संदर्भ इकाई

पीआईबी में प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार और मीडिया सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित इकाई है। यह इकाई वर्ष भर सभी दिन कार्य करती है। यह इकाई भारत के माननीय राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (पीएमईएसी) के प्रचार संबंधी कार्य भी देखती है।

कार्य निष्पादन आंकड़ों में:

- प्रातःकालीन मीडिया रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी): 730
- प्रधानमंत्री की विज्ञप्तियां: 1,921
- प्रधानमंत्री की फोटो रिलीज: 9,562
- मंत्रिमंडल विज्ञप्तियां: 60
- सीसीईए विज्ञप्तियां: 40
- नीति आयोग विज्ञप्तियां: 94
- ट्वीट: 1,700 (लगभग)
- पीएमओ को प्रेस क्लिपिंग: 365 दिन
- एसएल बैठकें: 125
- राष्ट्रपति की विज्ञप्तियां: 281

III. सोशल मीडिया

सरकार की नोडल संचार एजेंसी के रूप में, पीआईबी ने पिछले पांच वर्षों में घरेलू और वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन नागरिकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया को एकीकृत किया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप पर इसकी प्रभावशाली उपस्थिति को पत्रकारों और जनता दोनों से सकारात्मक मान्यता मिली है।

- सरकार की आधिकारिक तस्वीरें, वीडियो और प्रेस विज्ञप्तियां कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय के आधार पर साझा की जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग को फेसबुक, X और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लाइव-पोस्ट और लाइव-स्ट्रीम किया जाता है, जिससे सरकार के बारे में तत्काल समाचार अपडेट प्राप्त होते हैं।
- समाचार साझा करने के अलावा, पीआईबी विशेष रूप से तैयार हैशटैग का उपयोग करके सरकारी नीतियों और

कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करके और नागरिक सहभागिता बढ़ाकर सुशासन के लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया जागरूकता और सूचना प्रसार अभियान चलाता है।

सोशल मीडिया आउटरीच

- **पीआईबी इंडिया X (पूर्व में ट्विटर)** : पीआईबी अंग्रेजी X हैंडल @PIB_India के 3.1 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं और प्रति माह औसतन 10 हजार फॉलोअर की वृद्धि होती है। नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए पीआईबी विभिन्न प्रकार के कंटेंट और प्रस्तुति को अपना रहा है, जैसे कि ट्विटर वीडियो, जीआईएफ, पोल, X मोमेंट्स, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह औसतन 12 मिलियन इम्पेशन प्राप्त होते हैं। देशभर के अधिकांश पत्रकार, मीडिया हाउस, टीवी चैनल और ऑनलाइन समाचार-पत्र पीआईबी के X हैंडल को फॉलो करते हैं।
- **पीआईबी हिन्दी X** : @PIBHindi हैंडल के 527 हजार से अधिक फॉलोअर हैं और प्रति माह औसतन तीन हजार फॉलोअर की वृद्धि होती है। यह केंद्र सरकार के कुछ विशिष्ट हिन्दी X अकाउंट में से एक है।
- **फेसबुक** : वर्तमान वर्ष में फेसबुक पर पीआईबी के फैन बेस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके लगभग 819 हजार फॉलोअर हैं। संचार और जुड़ाव के रचनात्मक माध्यम अपनाने से यह वृद्धि हुई है।
- **यूट्यूब** : पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लगभग नौ हजार वीडियो और दो मिलियन सब्सक्राइबर हैं तथा 282.7 मिलियन व्यूज हैं। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों के अतिरिक्त, दिल्ली से बाहर के चुनिंदा कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, विशेष सरकारी कार्यक्रमों आदि को भी चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है।
- **इंस्टाग्राम** : पीआईबी के इंस्टाग्राम पर आकर्षक और अलग शैली की आधिकारिक तस्वीरें, छोटे वीडियो, जीआईएफ और इंस्टाग्राम स्टोरीज प्रकाशित की जाती हैं। पीआईबी के इंस्टाग्राम अकाउंट के 1.3 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं।
- **पब्लिक ऐप** : पब्लिक ऐप पर पीआईबी के हैंडल @pibindia के लगभग 565 हजार फॉलोअर हैं।

सोशल मीडिया मार्गदर्शन और सहायता

अपने स्वयं के आउटरीच के अतिरिक्त, पीआईबी भारत

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति को बेहतर ढंग से स्थापित और प्रबंधित करने में सहायता कर रहा है।

पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न समाचार मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर तथ्यात्मक रूप से गलत या भ्रामक खबरों का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की। इस यूनिट का दायित्व सूचना का सत्यापन करना और आधिकारिक, प्रामाणिक तथ्यों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना है।

दिसंबर, 2019 से यूनिट ने प्राप्त 2,54,453 प्रश्नों में से 72,310 कार्रवाई योग्य प्रश्नों का समाधान किया है और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के 2,817 मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। इन आंकड़ों से परे, पीआईबी फैक्ट चेक ने X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर एक मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति दर्ज की है, जिससे जनता और मीडिया संस्थानों से व्यापक मान्यता मिली है।

IV. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों की मीडिया कवरेज

विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार, मंत्रालय की अम्बेला योजना डीसीआईडी के अंतर्गत एक उप-योजना है। इसे विकासात्मक कार्यक्रमों के संभावित लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से सूचित और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे इन योजनाओं में भाग ले सकें और इनके लाभ प्राप्त कर सकें। यह क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंचता है, जिसका लक्षित आबादी से अधिक प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क. मीडिया इंटरैक्टिव सत्र (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन)

इस घटक के अंतर्गत, पीआईबी राज्य की राजधानियों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देशभर से पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन सत्रों में सरकार की प्रमुख पहल को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाता है, जिससे मीडिया को शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुंच मिलती है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया को जन-जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भागीदार के रूप में जोड़ना है।

ख. वार्तालाप

पीआईबी के सूचना प्रसार उपकरणों और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण और छोटे शहरों के पत्रकारों के साथ जिला तथा तालुका स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जमीनी स्तर पर गुणक के रूप में कार्य करते हुए, इन आयोजनों के माध्यम से सूचनात्मक साहित्य वितरित किया जाता है, जिसमें प्रति आयोजन लगभग औसतन दो लाख रुपये का व्यय होता है। एक जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच कुल 44 वार्तालाप आयोजित किए गए।

'वार्ता' (मिनी वार्तालाप) की शुरुआत

राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों पर राज्य और जिला स्तर के मीडिया से संवाद करने के लिए एक नया घटक शुरू किया गया। एक जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच कुल 14 वार्ताएं आयोजित की गईं।

ग. प्रेस दौरे

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा आयोजित प्रेस दौरे पत्रकारों को देशभर में प्रमुख सरकारी परियोजनाओं, योजनाओं, बुनियादी ढांचे और विकासात्मक पहल की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद को सुगम बनाकर, ये दौरे पारदर्शिता और सार्वजनिक संचार को मजबूत करते हुए सटीक, गहन और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग को सक्षम बनाते हैं। एक जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच कुल 59 प्रेस दौरे आयोजित किए गए।

V. फीडबैक इकाई और न्यूज रूम

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) उभरती चुनौतियों और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए पूरे वर्ष एक न्यूज रूम और कंट्रोल रूम संचालित करता है। कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में सक्षम, पीआईबी देशभर में एक साथ वेबकास्ट के माध्यम से वास्तविक समय (रियल-टाइम) में संचार सुनिश्चित करता है। आपात स्थितियों और संकट के समय कंट्रोल रूम 24x7 कार्य करता है, प्रमुख समाचार चैनलों की निगरानी करता है और गलत रिपोर्टिंग के मामलों सहित घटनाक्रम से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराता है, ताकि समय पर मीडिया हस्तक्षेप किया जा सके।

एक समर्पित मीडिया मॉनीटरिंग इकाई सरकार को उसकी नीतियों, पहल और कार्यक्रमों के संबंध में जन-धारणा पर दैनिक जानकारी उपलब्ध कराती है। इसमें 'विशेष कार्यक्रमों पर मीडिया डाइजेस्ट' और 'दैनिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया डाइजेस्ट' जैसी फीडबैक रिपोर्ट शामिल हैं। एक अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच 22 से अधिक विशेष डाइजेस्ट तैयार किए गए।

VI. प्रेस सूविधा

क. मान्यता प्रणाली

विदेशी मीडिया सहित मीडिया प्रतिनिधियों को पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010 से चालू ऑनलाइन मान्यता प्रणाली के माध्यम से 1 जनवरी-31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले पत्रकारों को कुल 2,362 प्रेस मान्यता कार्ड जारी किए गए।

ख. पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस)

पत्र सूचना कार्यालय गंभीर बीमारी या मृत्यु के कारण विकट आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लागू करता है, जिसके अंतर्गत तात्कालिक आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राहत दी जाती है। मृतक पत्रकार के परिवारों को या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। कैंसर, गुर्दे का काम न करना, हृदय रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में पत्रकारों को तीन लाख रुपये तक और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले दुर्घटना मामलों में दो लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाती है। 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच जेडब्ल्यूएस समिति द्वारा 49 पत्रकारों/परिवारों को

1,76,97,402 रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

VII. 79वां स्वतंत्रता दिवस

प्रधानमंत्री के संबोधन का लिप्यंतरण किया गया, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और पीआईबी के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। पीआईबी ने विशेष सोशल मीडिया ग्राफिक्स, कार्यक्रम-पूर्व प्रोमो वीडियो, फेसबुक और यूट्यूब पर समारोहों के सीधे प्रसारण तथा तस्वीरों एवं भाषण के वीडियो बाइट्स वाले रियल-टाइम ट्वीट्स के साथ अपनी डिजिटल पहुंच को बढ़ाया।

VIII. महाकुंभ 2025

‘महाकुंभ मेला 2025’ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसमें 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। सूचना प्रसार और पत्रकार मान्यता को सुगम बनाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय ने एक समर्पित महाकुंभ वेबपेज और एक ऑनलाइन मीडिया पंजीकरण पोर्टल शुरू किया। पीआईबी ने 351 प्रेस विज्ञप्तियां (111 अंग्रेजी में, 145 हिन्दी में और 95 उर्दू में) जारी की, लगभग चार लेखों के प्रकाशन को सुगम बनाया जिससे लगभग 500 मीडिया क्लिपिंग प्राप्त हुईं, और व्यापक जमीनी कवरेज के लिए देशभर से विशेष मीडिया टीमों को तैनात किया।



IX. ऑपरेशन सिंदूर

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने समयबद्ध तथ्य-जांच और प्रामाणिक सूचना जारी करके ऑनलाइन प्रसारित गलत सूचनाओं और शत्रुतापूर्ण कथनों का सक्रिय रूप से मुकाबला किया। मंत्रालय ने झूठी, भ्रामक, भारत-विरोधी और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री वाले 1,400 से अधिक यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भ्रामक कथनों के जवाब में मई, 2025 में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मीडिया मॉनीटरिंग और फैक्ट चेक सेंटर (एमएमएफसीसी) स्थापित किया गया, जिसने मीडिया प्लेटफॉर्मों की वास्तविक समय में निगरानी, त्वरित तथ्य जांच और समन्वित खंडन का कार्य किया। पीआईबी मुख्यालय से कुल 202 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, जिनमें 75 अंग्रेजी, 68 हिन्दी और 59 उर्दू में थीं। पीआईबी ने देशभर के प्रमुख समाचार-पत्रों में लगभग तीन लेखों के प्रकाशन को सुगम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक क्लिपिंग प्राप्त हुई।

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पत्र सूचना कार्यालय ने X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 670 सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सूचना प्रसारित की, जबकि समर्पित अपडेट, तथ्य-जांच और आधिकारिक बयान साझा किए। लगभग आठ प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गईं, जिनमें 7 मई, 2025 को विदेश मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रीफिंग भी शामिल थी। फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी और भ्रामक सामग्री पर 80 से अधिक सत्यापित फैक्ट चेक किए,

16,000 से अधिक सार्वजनिक प्रश्नों का समाधान किया, और पाकिस्तान से आने वाली फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म X पर 8,000 से अधिक अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया गया।

X. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) मुख्यालय ने अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के साथ '11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025' के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मीडिया प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने समयबद्ध, समन्वित और प्रभावी सूचना प्रसार सुनिश्चित किया। मजबूत संचार रणनीति के हिस्से के रूप में, पीआईबी के माध्यम से 90 द्विभाषी प्रेस विज्ञप्तियां (45 अंग्रेजी और 45 हिन्दी) जारी की गईं, जिनसे प्रमुख घटनाक्रम, मंत्रिस्तरीय सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रमुख कार्यक्रमों पर वास्तविक समय के अपडेट उपलब्ध हुए। पहली बार प्रेस आउटरीच को दैनिक अभियान कार्यक्रम के साथ रणनीतिक रूप से समन्वित किया गया, जिससे तात्कालिकता, मीडिया आकर्षण और कथानक की निरंतरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पीआईबी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच नियमित समन्वय बैठकों ने संदेशों की एकरूपता और प्लेटफॉर्मों पर निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित किया।

पीआईबी की कवरेज में विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय स्तर के समारोह को प्रमुखता से रेखांकित किया गया, जहां माननीय



प्रधानमंत्री ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समागम का नेतृत्व किया और तीन लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। मीडिया संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी बल मिला कि योग सीमाओं, पृष्ठभूमियों और क्षमताओं से परे एक वैश्विक एकता की शक्ति है, जो इसे जन-केंद्रित वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में स्थापित करती है।

‘आईडीवाई 2025’ के ऐतिहासिक वैश्विक स्तर को भी व्यापक कवरेज दी गई, जिसमें शामिल हैं:

- 191 देशों में लगभग 2,000 कार्यक्रम।
- भारतभर में 13.04 लाख पंजीकृत योग संगम कार्यक्रम।
- पीआईबी के प्रसार ने सियाचिन ग्लेशियर, गलवान घाटी, चिनाब रेल पुल, अपतटीय तेल रिग, सीमा क्षेत्र, भू-वैज्ञानिक विरासत स्थल, आध्यात्मिक स्थल और दूरस्थ भूभाग जैसे रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर ‘समग्र सरकार’ के विशिष्ट योग कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। इससे विविध भौगोलिक क्षेत्रों में योग के धैर्य, एकता और सामंजस्य के संदेश को बल मिला।
- प्रधानमंत्री के भाषण सहित प्रमुख संबोधनों का त्वरित अनुवाद और प्रसार, मल्टीमीडिया सामग्री तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार ने प्रिंट,

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में व्यापक पहुंच सुनिश्चित की। इससे जन-जागरूकता, भागीदारी और डिजिटल सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

XI. वेक्स 2025

भारत का पहला ‘विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) 2025’, 1 मई से 4 मई, 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में आयोजित किया गया। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने प्रेस विज्ञप्तियों, मीडिया दौरों, प्रेस सम्मेलनों, मल्टीमीडिया सामग्री और सोशल मीडिया सहभागिता के माध्यम से मीडिया आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीआईबी ने रिकॉर्ड **178 अंग्रेजी मल्टीमीडिया प्रेस विज्ञप्तियां** जारी कीं, जिन्हें 14 क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञप्तियों द्वारा पूरक किया गया, और प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा 16 लेख लिखवाए। इसने पांच प्रेस सम्मेलन भी आयोजित किए, 39 पत्रकारों के लिए एक मीडिया दौरे का आयोजन किया और एक समर्पित वेक्स मीडिया सेंटर स्थापित किया।

पीआईबी की डिजिटल आउटरीच में X (अंग्रेजी) पर **504 पोस्ट**, X (हिन्दी) पर **479**, फेसबुक पर **803**, इंस्टाग्राम पर **247,88** यूट्यूब वीडियो और **59** पब्लिक ऐप वीडियो शामिल थे। शिखर सम्मेलन के दौरान, **5,000** से अधिक प्रिंट क्लिपिंग एकत्र की गईं, **99** यूट्यूब वीडियो और **1,000** से अधिक तस्वीरें रियल-टाइम में साझा की गईं, तथा संचार और जन जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक समर्पित व्हाट्सऐप चैनल लॉन्च किया गया था।



XII. परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्ष

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्ष के उपलक्ष्य में, पत्र सूचना कार्यालय ने 23 मई से चार जुलाई, 2025 तक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान चलाया। पीआईबी मुख्यालय ने अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में 74 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं, जिनसे 500 से अधिक प्रिंट और 142 ऑनलाइन क्लिपिंग प्राप्त हुईं। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखित लगभग 49 लेख प्रकाशित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक मीडिया क्लिपिंग प्राप्त हुईं। इस अभियान ने पीआईबी प्लेटफॉर्मों पर 1,417 पोस्टों के माध्यम से लगभग 24 मिलियन सोशल मीडिया इंप्रेशन उत्पन्न किए, जिसे क्षेत्रीय इकाइयों की 6,200 से अधिक पोस्टों द्वारा और अधिक विस्तार दिया गया। पीआईबी ने 26 मीडिया दौरों का भी आयोजन किया, 14 विषयगत क्षेत्रों को कवर करने वाली 24 पृष्ठभूमि सामग्रियां (बैकग्राउंडर) जारी की, और पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों और पहल को रेखांकित करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के 48 साक्षात्कारों के प्रकाशन को सुगम बनाया।

XIII. सेवा पर्व

‘सेवा पर्व 2025’ का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया गया था। इस अभियान को प्रिंट, टेलीविजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज प्राप्त हुई। अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रमुख समाचार-पत्रों में कुल 77 लेख प्रकाशित हुए, जिनसे 1,524 से अधिक मीडिया क्लिपिंग प्राप्त हुईं। X पर, #SevaParv को 49 हजार उपयोगकर्ताओं द्वारा 320 हजार बार उल्लेखित किया गया, जिससे 61.2 मिलियन व्यूज प्राप्त हुए। अभियान को व्यापक टेलीविजन कवरेज भी मिली, जिसके तहत 13 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर 415 से अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

XIV. बजट आवंटन और उपयोग

स्थापना व्यय और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत पीआईबी के संबंध में बीई/आरई/एफजी 2025-26 में निधियों के आवंटन और 31 दिसंबर, 2025 तक किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	व्यय की श्रेणी	बजट अनुमान 2025-26	संशोधित अनुमान 2025-26	31.12.2025 तक व्यय
1.	स्थापना व्यय (श्रेणी-I)	115.10 करोड़ रुपये	122.58 करोड़ रुपये	93.00 करोड़ रुपये
2.	केंद्रीय क्षेत्र योजना (श्रेणी-II) उप-योजना: “विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)” योजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार-प्रसार	31.68 करोड़ रुपये	27.23 करोड़ रुपये	10.77 करोड़ रुपये

XV. अनुसंधान इकाई

अक्टूबर, 2021 में स्थापित पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की अनुसंधान इकाई सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनसमझ को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ज्ञान और विश्लेषण संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह इकाई प्रामाणिक, शोध-संचालित पृष्ठभूमि सामग्री (बैकग्राउंडर), एक्सप्लेनर, फैक्टशीट, एफएक्यू और फीचर कहानियां तैयार करती है जो जटिल नीतिगत मुद्दों को स्पष्ट और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

छह विशेष क्षेत्रों—किसान और कृषि, समाज, बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, और रणनीतिक मामले—में संरचित,

यह इकाई समग्र, अंतर-क्षेत्रीय विश्लेषण द्वारा समर्थित गहन क्षेत्रीय शोध सुनिश्चित करती है। सभी दस्तावेज पीआईबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं, जिसके साथ मीडिया पेशेवरों और नागरिकों से सीधे फीडबैक के लिए एक टिप्पणी/सुझाव इंटरफेस भी शामिल होता है।

इकाई के प्रसार नेटवर्क में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रिंट आउटलेट, डिजिटल और टेलीविजन मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियां (एपी, एएफपी, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग), केबल टीवी नेटवर्क और सामुदायिक रेडियो स्टेशन शामिल हैं। इसके आधिकारिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर 20,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जो अनुसंधान इकाई की सामग्री की डिजिटल पहुंच को और भी

बढ़ाते हैं। इकाई ने लघु एक्सप्लेनर वीडियो बनाकर अपने संचार प्रारूपों में विविधता भी लाई है, जिससे युवा और डिजिटल-फर्स्ट दर्शकों तक पहुंच का विस्तार हुआ है।

इकाई द्वारा विकसित विशेष विषयगत शृंखलाओं में स्वतंत्रता दिवस फैक्टशीट, 11-वर्षीय सेवा सप्ताह शृंखला, महाकुंभ शृंखला, बजट शृंखला, सुशासन दिवस शृंखला, स्वच्छ भारत मिशन शृंखला, जीएसटी 2.0 शृंखला, श्रम सुधार शृंखला शामिल हैं।

XVI. फोटो प्रभाग

पत्र सूचना कार्यालय का फोटो प्रभाग भारत सरकार की विविध गतिविधियों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्य सहायता प्रदान करता है। अक्टूबर, 1959 में स्थापित यह संभवतः देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास स्वतंत्रता-पूर्व काल से लेकर वर्तमान दिन तक डिजिटल प्रारूप में संरक्षित लगभग 10 लाख नेगेटिव/ट्रांसपेरेंसी का समृद्ध संग्रह है।

उत्पादन के आंकड़े - कवर किए गए असाइनमेंट, अधिग्रहित चित्र, अपलोड किए गए प्रिंट, तैयार किए गए एल्बमों (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक) की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	उत्पादन	आंकड़े
1.	कवर किए गए समाचार और फीचर असाइनमेंट	2497
2.	पीआईबी वेबसाइट पर भेजी/अपलोड की गई तस्वीरें	26434/9638
3.	फोटो प्रभाग वेबसाइट पर अपलोड की गई तस्वीरें	9856
4.	इन-हाउस प्राप्त डिजिटल तस्वीरें	364314
5.	तैयार/आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	636
6.	तैयार किए गए वीवीआईपी फोटो एल्बम	18
7.	तैयार किए गए डिजिटल एल्बम/पिलपबुक	16

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ समन्वय

फोटो प्रभाग सहयोगी मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं में सहायता करता है। प्रभाग का न्यूज फोटो नेटवर्क

पूर्ण डिजिटल मोड में कार्य कर रहा है, ताकि पत्र सूचना कार्यालय और संबंधित हितधारकों को तस्वीरें भेजने में देरी से बचा जा सके। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आगंतुक वीवीआईपी के असाइनमेंट की कवरेज के लिए आयोजन स्थल से ही तस्वीरों को डिजिटल रूप से भेजने के लिए लैपटॉप और वी-डाटा कार्ड के साथ डिजिटल कैमरा उपकरणों का उपयोग किया गया है। प्रभाग केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के लिए वास्तविक आकार की डिजिटल इंकजेट तस्वीरों की आवश्यकता पूरी करता है और प्रकाशन प्रभाग को भी दृश्य सहयोग प्रदान करता है।

XVII. समन्वय इकाई

पत्र सूचना कार्यालय की समन्वय इकाई मंत्रालयों, विभागों और पीआईबी के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के बीच संचार और समन्वय को सुगम बनाती है। यह कई भाषाओं में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर लेखों का प्रसार सुनिश्चित करती है, प्रकाशन प्रतिक्रिया का संकलन करती है, और प्रमुख कार्यक्रमों, कैबिनेट निर्णयों, महत्वपूर्ण घटनाओं तथा मीडिया कवरेज को शामिल करते हुए मासिक कैबिनेट सारांश तैयार करती है। यह इकाई एक समर्पित इवेंट-ट्रेकिंग पोर्टल का प्रबंधन भी करती है, मीडिया योजनाओं का समन्वय करती है, सप्ताह में तीन बार की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करती है, और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों तथा उन पर की गई कार्रवाई को रेखांकित करने वाली साप्ताहिक मंत्रालय-वार रिपोर्ट संकलित करती है।

न्यू मीडिया विंग

वर्ष 1945 में स्थापित अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आरआरटीडी) का वर्ष 2013 में नाम बदलकर **न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)** कर दिया गया। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया विंग के रूप में कार्य करता है।

एनएमडब्ल्यू के कार्यों के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं:

- विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सामान्य रूप से भारत सरकार और विशेष रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए **सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच**।

- ii. संवाद एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों, घोषणाओं आदि पर मीडिया दृष्टिकोणों और चर्चाओं का फीडबैक एवं विश्लेषण।
- iii. नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत (“NaViGate Bharat”), जो भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि से संबंधित वीडियो का केंद्रीय भंडार और एकीकृत पोर्टल है।
- करता है, जिनमें शामिल हैं:
- X (ट्विटर)
 - फेसबुक
 - इंस्टाग्राम
 - यूट्यूब
 - पब्लिक ऐप
 - व्हाट्सऐप
 - टेलीग्राम
 - लिंकडइन

एनएमडब्ल्यू द्वारा की गई गतिविधियां

सोशल मीडिया नेटवर्क्स के बीच विविध संवाद का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। इसकी संवादात्मक प्रकृति के कारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने और उनसे फीडबैक प्राप्त करने में सरकार का जुड़ाव अधिक प्रभावी हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) सरकार और आम जनता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए इन संवादों को सक्षम बना रहा है।

क. मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स से संबंधित आंकड़े (31 दिसंबर, 2025 तक)

न्यू मीडिया विंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स का विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रबंधन और संचालन

मंत्रालय के अंग्रेजी X (ट्विटर) हैंडल @MIB_India ने प्रतिमाह औसतन तीन मिलियन इम्प्रेशन प्राप्त किए, जबकि हिन्दी X (ट्विटर) हैंडल @MIB_Hindi ने प्रतिमाह औसतन 1.7 मिलियन इम्प्रेशन प्राप्त किए।

यूट्यूब चैनल @inbministry पर प्रतिमाह 605 हजार से अधिक व्यूज प्राप्त हुए। फेसबुक पेज @inbministry पर पोस्ट की गई सामग्री ने प्रतिमाह नौ मिलियन से अधिक इम्प्रेशन प्राप्त किए।

मंत्रालय के पब्लिक ऐप अकाउंट @mib_india ने प्रतिमाह लगभग 500 मिलियन व्यूज दर्ज किए। मंत्रालय के व्हाट्सऐप चैनल को प्रतिमाह लगभग 135 हजार व्यूज और टेलीग्राम चैनल को प्रतिमाह 100 हजार व्यूज प्राप्त हुए। मंत्रालय के लिंकडइन पेज को प्रतिमाह दो हजार व्यूज मिले।

क्र. सं.	प्लेटफॉर्म	अकाउंट	सब्सक्राइबर/फॉलोअर
1.	X (अंग्रेजी)	@MIB_India	2.1 मिलियन
2.	X (हिन्दी)	@MIB_Hindi	171.5 हजार
3.	फेसबुक	@inbministry	1.68 मिलियन
4.	इंस्टाग्राम	@MIB_India	622 हजार
5.	यूट्यूब	@inbministry	247 हजार
6.	पब्लिक ऐप	@MIB_India	2.9 मिलियन
7.	व्हाट्सऐप	Ministry of I&B, Govt of India	599 हजार
8.	टेलीग्राम	@MIB_India	15.6 हजार
9.	लिंकडइन	Ministry of Information and Broadcasting	4 हजार

ख. 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के दौरान एनएमडब्ल्यू द्वारा कवर किए गए प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	अभियान का नाम	पोस्ट की संख्या	इम्प्रेशन
1.	महाकुंभ 2025	2,934	776.1 मिलियन+
2.	ऑपरेशन सिंदूर	1,405	143.5 मिलियन
3.	संविधान दिवस	118	6.1 मिलियन+
4.	वक्फ संशोधन विधेयक	336	15.6 मिलियन+
5.	डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष	67	6.5 मिलियन+
6.	नेक्स्ट-जेन जीएसटी	626	70.2 मिलियन+
7.	सेवा पर्व 2025	381	25.3 मिलियन+
8.	स्टॉप ओबेसिटी	133	32.3 मिलियन+
9.	परीक्षा पे चर्चा	566	50.1 मिलियन+
10.	बीट द हीट	59	4.2 मिलियन+
11.	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	1,170	101.3 मिलियन+
12.	सेवा के 11 वर्ष	483	60.5 मिलियन+
13.	बजट 2025	280	8.2 मिलियन+
14.	भारतीय रेल द्वारा त्योहार विशेष व्यवस्थाएं	359	60.2 मिलियन+
15.	वेक्स	1,525	317.2 मिलियन
16.	हर घर तिरंगा	314	32.1 मिलियन+
17.	स्वच्छता ही सेवा 2025	139	4.4 मिलियन+
18.	मेक इन इंडिया के 11 वर्ष	111	1 मिलियन+
19.	श्रम संहिताएं	318	8.9 मिलियन+
20.	56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)	855	102.1 मिलियन+
21.	वीबी-ग्रामजी	270	20.8 मिलियन+

ग. प्रमुख आयोजनों की ऑन-ग्राउंड कवरेज

अपनी डिजिटल पहल के अतिरिक्त, न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने वर्ष के दौरान प्रमुख आयोजनों की व्यापक आउटडोर कवरेज भी की। विभाग ने प्रमुख आयोजनों के लिए ऑन-ग्राउंड कंटेंट निर्माण और रियल-टाइम प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें शामिल हैं:

- महाकुंभ
- वेक्स शिखर सम्मेलन
- भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)

इन कवरेज में फील्ड रिपोर्टिंग, एंकर-आधारित वीडियो,

लाइव अपडेट, शॉर्ट-फॉर्म डिजिटल कंटेंट और समन्वित सोशल मीडिया आउटरीच शामिल थे, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर व्यापक जन-सहभागिता और प्रमुख नैरेटिव का समयबद्ध संप्रेषण सुनिश्चित हुआ।

घ. नई पहल और डिजिटल नवाचार

वर्ष के दौरान न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने उभरते मानकों, तकनीकी प्रगति और बदलते डिजिटल संचार रुझानों के अनुरूप नई पहल जारी रखी। आउटरीच, जुड़ाव और रियल-टाइम प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए एनएमडब्ल्यू ने कई प्रमुख पहल लागू की, जिनमें शामिल हैं:

- एआई-सक्षम वीडियो का निर्माण

- एक्सप्लेनर वीडियो
- एंकर-आधारित कंटेंट
- निर्देशात्मक “कैसे करें” वीडियो
- इंडिया यू माइट हैव मिस्ड - वीडियो श्रृंखला

इसके अतिरिक्त, सूचना के समयबद्ध प्रसार और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 24x7 ट्रेकिंग और मॉनीटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया गया।

ड. संवाद एकीकृत डैशबोर्ड - मीडिया फीडबैक टूल

न्यू मीडिया विंग ने ‘संवाद 2.0’ विकसित किया है, जो ‘निर्णय लेने के लिए मीडिया दृष्टिकोणों के व्यवस्थित समेकन’ (संवाद) एकीकृत मीडिया फीडबैक डैशबोर्ड का संस्करण 2.0 है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रिंट, टीवी, ऑनलाइन और सोशल मीडिया से एकीकृत मीडिया फीडबैक उपलब्ध कराना है। यह डैशबोर्ड सरकार तथा प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को उनसे संबंधित नीतिगत विषयों पर मीडिया कवरेज और टिप्पणियों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाएगा, जिससे सरकार की उपयुक्त नीतिगत उपाय करने की क्षमता बढ़ेगी।

‘संवाद 2.0’ एकीकृत मीडिया फीडबैक डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग से संबंधित समाचार अपडेट पर प्रिंट, टीवी, ऑनलाइन और सोशल मीडिया कवरेज उपलब्ध कराता है।
- दैनिक और रियल-टाइम न्यूज डाइजेस्ट के साथ-साथ रुचि के चयनित विषयों पर मीडिया फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है।
- प्रिंट मीडिया/समाचार-पत्र: देशभर के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों को कवर करता है।
- अंग्रेजी में स्वचालित अनुवाद तथा एआई-जनित समाचार सारांश और भाव-विश्लेषण।

- प्रत्येक मंत्रालय और समग्र रूप से सरकार के लिए स्वतः तैयार धारणा रिपोर्टें।
- डिजिटल कवरेज: प्रमुख समाचार वेबसाइटों और पोर्टलों की स्कैनिंग।
- रियल-टाइम मॉनीटरिंग: उभरते घटनाक्रमों के लिए अलर्ट की व्यवस्था।
- टीवी चैनलों द्वारा समाचार कवरेज के अलर्ट।

च. नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत (“NaViGate Bharat”) परियोजना का अवलोकन

NaViGate Bharat भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार वीडियो कंटेंट का एक समग्र वन-स्टॉप भंडार है। यह एकीकृत पोर्टल 22 फरवरी, 2024 को सरकार की नीतियों, योजनाओं, अभियानों और उपलब्धियों से संबंधित 3,000 से अधिक वीडियो के साथ शुरू किया गया था। इसमें सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) और सीबीएफसी से जुड़े लोक सेवा कंटेंट से संबंधित कंटेंट और हितधारक वर्कफ्लो, विभिन्न वेबसाइटों पर शामिल हैं।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), जिसे पहले लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के नाम से जाना जाता था, पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) के एकीकरण के माध्यम से स्थापित किया गया था। सीबीसी भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों की विज्ञापन और भुगतान-आधारित संचार आउटरीच आवश्यकताओं को पूरा करता है। 23 क्षेत्रीय कार्यालयों और 148 फील्ड कार्यालयों के नेटवर्क के साथ यह प्रिंट, ऑडियो-विजुअल, आउटडोर, प्रदर्शनी, न्यू मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और पहल पर जानकारी प्रसारित करता है। सीबीसी ने सार्वजनिक संचार की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपनी संचार रणनीतियों और नीतिगत दिशा-निर्देशों को उभरते डिजिटल मीडिया परिदृश्य के अनुरूप बनाया है।

अपने फील्ड आउटरीच प्रभाग के माध्यम से, सीबीसी लाइव मीडिया और संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली और लोक प्रस्तुतियों सहित पारंपरिक कला रूपों का उपयोग करके अंतर-व्यक्तिगत संचार करता है। यह स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सतत विकास, पोषण, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और मतदाता सहभागिता जैसे क्षेत्रों में जन-जागरूकता बढ़ाने, जन-सहभागिता को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित करता है।

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने कई मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक संचार, प्रचार और आउटरीच गतिविधियां संचालित की। सीबीसी ने लगभग 100 अखिल भारतीय प्रिंट डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से आउटरीच का विस्तार किया, और 7,432 सूचीबद्ध प्रकाशनों का एक मीडिया नेटवर्क बनाए रखा। ब्यूरो ने आधिकारिक कैलेंडर 2026 की संकल्पना भी की, 'सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल' पुस्तिका का डिजाइन और अनुवाद किया, सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 500 से अधिक समाचार-पत्रों में 20 प्रिंट विज्ञापनों का समन्वय किया, 11 भाषाओं में डिजिटल इंडिया प्रिंट अभियान लागू किया, सोशल मीडिया के लिए जीएसटी क्रिएटिव्स को अनुकूलित किया, और 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चार पुस्तिकाओं का डिजाइन और मुद्रण किया।

सीबीसी ने 'वेक्स 2025', 'भारत गाथा : श्रुति, कृति, दृष्टि', 'विश्व एआई शिखर सम्मेलन 2026', और प्रमुख सरकारी योजनाओं पर प्रदर्शनियों और विशेष आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अलावा 'गणतंत्र दिवस 2026' की झांकी में योगदान दिया। ब्यूरो ने स्वीप, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और राष्ट्रीय महत्व के अन्य अभियानों के तहत संचार पहल को अंजाम दिया, जबकि दर संशोधन नीति और वेक्स 2025 के लिए प्रदर्शनी गतिविधियों पर काम को आगे बढ़ाया।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

क. प्रिंट मीडिया

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रिंट मीडिया डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए, जो भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रमुख अभियानों में जीएसटी बचत उत्सव, श्रम संहिता सुधार, एमएसएमई एससी/एसटी हब योजना, आयकर आउटरीच, पीएम इंटर्नशिप योजना और 'विकसित भारत - ग्रामजी अधिनियम' जैसी प्रमुख सरकारी पहल पर फुल-पेज, हाफ-पेज, क्वार्टर-पेज और स्काईबस विज्ञापन शामिल थे।

ख. न्यू मीडिया विंग, सीबीसी

न्यू मीडिया विंग ने सूचीबद्ध वेबसाइटों के पैनल को 200 से बढ़ाकर 300 करके और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर संचार का विस्तार करके सीबीसी की डिजिटल पहुंच को मजबूत किया। सीबीसी ने सरकारी अभियानों की पहुंच, प्रभावशीलता और दर्शकों की सहभागिता का मूल्यांकन करने के लिए उनके प्रभाव आकलन हेतु एजेंसियों को भी सूचीबद्ध किया। इस विंग ने विशिष्ट प्लेटफॉर्मों सहित वेबसाइटों और मोबाइल अनुप्रयोगों के पैनल का विस्तार करना जारी रखा, जबकि डिजिटल संचार को बढ़ाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों और अतिरिक्त सोशल मीडिया एजेंसियों का सूचीबद्धीकरण प्रगति पर रहा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, न्यू मीडिया विंग ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, सिनेमाघरों और अन्य डिजिटल मीडिया चैनलों जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके विकसित भारत-ग्रामजी, जीएसटी 2.0, राष्ट्रीय एकता दिवस और एआई इम्पेक्ट समिट 2026 सहित प्रमुख सरकारी पहल पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए डिजिटल अभियान चलाए।

ग. मीडिया रेट एवं समन्वय (एमआर एंड सी) विंग

मीडिया रेट एवं समन्वय (एमआर एंड सी) विंग सीबीसी के सबसे महत्वपूर्ण विंग्स में से एक है, जो पूरे भारत में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की सूचीबद्धता से संबंधित कार्य करता है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/पीआईबी/आरएनआई/एबीसी द्वारा जारी प्रसार प्रमाण-पत्रों और समय-समय पर दर संरचना समिति (आरएससी)

द्वारा निर्धारित स्लैब के आधार पर प्रकाशनों को तर्कसंगत विज्ञापन दरें प्रदान की जाती हैं।

एमआर एंड सी विंग का कार्य निम्नानुसार वर्गीकृत है:

प्रकाशनों की नई सूचीबद्धता वर्ष में दो बार फरवरी और अगस्त में की जाती है। नई सूचीबद्धता का अर्थ प्रकाशन को सीबीसी के सूचीबद्ध प्रकाशनों में पहली बार शामिल करना है। वर्तमान 'प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020' के अनुसार पैनल सलाहकार समिति (पीएसी) की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जानी चाहिए।

प्रकाशनों की सूचीबद्धता की तीन श्रेणियां:

- **लघु प्रकाशन:** प्रति प्रकाशन दिवस 25,000 प्रतियों तक के प्रसार वाले प्रकाशन।
- **मझौले प्रकाशन:** प्रति प्रकाशन दिवस 25,001 से 75,000 प्रतियों के बीच प्रसार वाले प्रकाशन।
- **बड़े प्रकाशन:** प्रति प्रकाशन दिवस 75,000 प्रतियों से अधिक प्रसार वाले प्रकाशन।

वर्तमान में सीबीसी के साथ सूचीबद्ध प्रकाशनों की संख्या निम्नानुसार है:

आवधिकता	श्रेणी			कुल
	बड़ा	मझौले	लघु	
प्रकाशनों की संख्या	340	401	6691	7432
श्रेणी	सीए	पीआरजीआई	एबीसी	कुल
	6591	467	374	7432

स्थान	आयोजन स्थल	कार्यक्रम की तारीख	विषय
महाराष्ट्र	जियो कन्वेंशन सेंटर, मुंबई	1 मई, 2025 से 4 मई, 2025 तक	'वेक्स-2025': 'विकसित भारत' के लिए आउटरीच और संचार में सुधार।
नई दिल्ली	सिरी फोर्ट, नई दिल्ली	25 दिसंबर, 2025	सुशासन दिवस
नई दिल्ली	संसद लॉन, नई दिल्ली	14 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक	कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
नई दिल्ली	कर्तव्य पथ (इंडिया गेट), नई दिल्ली	26 जनवरी, 2026	'भारत गाथा: श्रुति, कृति, दृष्टि' - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली	भारत मंडपम, नई दिल्ली	16 फरवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2026	विश्व एआई शिखर सम्मेलन 2026

'प्रिंट मीडिया विज्ञापन 2020' की नीति के अनुसार बड़े, मझौले और लघु श्रेणी के समाचार-पत्रों के बीच 50:35:15 के अनुपात के आधार पर प्रिंट मीडिया विज्ञापन सूचीबद्ध प्रकाशनों को जारी किए जाते हैं। सीबीसी प्रत्येक दो वर्ष में प्रसार के आधार पर दरों का नवीनीकरण करता है, जो 31 दिसंबर, 2027 तक प्रभावी हैं। नवीनीकरण आवेदन जुलाई से सितंबर के बीच ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं।

सीबीसी केवल मझौले और बड़े समाचार-पत्रों के प्रकाशक के अनुरोध पर पीआईबी, पीआरजीआई या एबीसी प्रमाण-पत्रों के आधार पर दर संशोधन भी करता है। अनिवार्य दर नवीनीकरण प्रक्रिया के विपरीत, दर संशोधन केवल प्रकाशक के अनुरोध पर ही किया जाता है।

घ. सूचना एवं प्रसारण विंग

अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान, सीबीसी का सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) विंग भारत सरकार के संचार अभियानों के लिए केंद्रीय रचनात्मक, कंटेंट समन्वय और प्रकाशन केंद्र के रूप में कार्यरत रहा। इस विंग ने एकीकृत प्रिंट, आउटडोर, टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रमुख नीतिगत पहल, स्मरणीय संदेशों और शासन की उपलब्धियों का बहुभाषी, अखिल भारतीय प्रसार सुनिश्चित किया।

ड. प्रदर्शनी विंग

वित्त वर्ष 2025-26 में सीबीसी मुख्यालय द्वारा आयोजित प्रमुख प्रदर्शनियां और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

च. मुद्रित प्रचार विंग

केंद्रीय संचार ब्यूरो का मुद्रित प्रचार विंग (पीपी विंग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रचार सामग्री की योजना, डिजाइनिंग और मुद्रण की जिम्मेदारी संभालता है। अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान, मुद्रित प्रचार विंग ने 'सरकार के 11 वर्ष' पर 13 भाषाओं में 40,000 पुस्तिकाएं और 83,000 किट फोल्डर मुद्रित किए, 'न्यू इंडिया समाचार' के 17 अंक 13 भाषाओं में लगभग 68 लाख प्रतियों के साथ प्रकाशित किए, और 'मन की बात' पुस्तिकाओं के नौ अंक लगभग 1.26 लाख प्रतियों के प्रसार के साथ मुद्रित किए। विंग ने '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' और 'प्रथम वेक्स शिखर सम्मेलन' के लिए भी मुद्रित सामग्री तैयार की।

मुद्रित प्रचार विंग ने सशस्त्र बलों, एनसीसी और 'दिशा' पहल के लिए तीन लाख से अधिक हैंडआउट और एक लाख से अधिक पोस्टरों सहित रक्षा भर्ती अभियानों के लिए सामग्री मुद्रित की। इसने हिन्दी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार के दीवार कैलेंडर की 5.50 लाख प्रतियां भी मुद्रित की। कुल मिलाकर, मुद्रित प्रचार विंग ने 13 से अधिक भारतीय भाषाओं में सामग्री तैयार करके बहुभाषी आउटरीच सुनिश्चित की।

छ. आउटडोर प्रचार विंग

केंद्रीय संचार ब्यूरो का आउटडोर प्रचार विंग होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, बस पैनल्स, ट्रेन रैप्स, मेट्रो और एयरपोर्ट मीडिया तथा डिजिटल आउटडोर प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत सरकार के लिए आउटडोर प्रचार अभियानों की योजना और क्रियान्वयन करता है। एजेंसियों की सूचीबद्धता, दर निर्धारण और कार्य आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, विंग ने 'विकसित भारत-ग्रामजी', राष्ट्रीय एकता दिवस, एआई इम्पैक्ट समिट 2026,

'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (एबी-पीएमजेएवाई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ब्रांड प्रमोशन जैसी पहल पर आउटडोर प्रचार अभियान संचालित किए।

ज. मास मेलिंग विंग

केंद्रीय संचार ब्यूरो का मास मेलिंग विंग (एमएमडब्ल्यू) मुद्रित सरकारी प्रचार सामग्री के बड़े पैमाने पर वितरण का कार्य संभालता है। यह केंद्रीय वितरण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो ग्राम पंचायतों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे भारत में लक्षित प्राप्तकर्ताओं तक सूचना का समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करता है।

क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों द्वारा अन्य जागरूकता गतिविधियां:

1. क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों द्वारा आउटरीच गतिविधियां

आउटरीच प्रभाग सीबीसी का फील्ड संचार विंग है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अंतर-व्यक्तिगत संचार के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह व्यवहार परिवर्तन और जन-सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड एक्टिवेशन, विशेष आउटरीच और लोक कला माध्यमों को मिलाकर एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित करता है।

यह प्रभाग 23 क्षेत्रीय कार्यालयों और 148 फील्ड कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, जो विशेष रूप से दूरस्थ और मीडिया-शैडो क्षेत्रों में आईसीओपी आयोजित करते हैं। फील्ड कार्यालय वाहनों और ऑडियो-विजुअल उपकरणों से लैस हैं और ग्रामीण स्तर पर संचार को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

वार्षिक कार्य-योजना - 2025-26

वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026) के दौरान मुख्यालय में 23,63,68,000 रुपये की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई और 23 क्षेत्रीय कार्यालयों को आईसीओपी आवंटित किए गए:

आईसीओपी का आकार	बड़ा	मझौले	लघु	मिनी	कुल
आईसीओपी की संख्या	46	107	248	737	1138

सोशल मीडिया गतिविधियां (1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)

सीबीसी के सभी फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने जमीनी स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फैलाने के लिए फेसबुक पोस्ट, X पर ट्वीट और री-ट्वीट, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से संदेशों तथा पोस्टरों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए देशभर में जागरूकता अभियान चलाए हैं।

सोशल मीडिया गतिविधियों का विवरण:

फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्वीट और री-ट्वीट की कुल संख्या ("इम्प्रेशन" सहित)	व्हाट्सएप पर प्रसारित पोस्टर/संदेश/वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या
10180	92751 (870092)	44462	5655

फील्ड कार्यक्रम/आउटडोर गतिविधियां (1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2025)

क) एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)

क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड इकाइयों (एफओ) ने 471 प्रदर्शनी दिवसों के साथ 379 आईसीओपी, 846 विशेष आउटरीच कार्यक्रम और फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए तथा स्थानीय भाषाओं में पारस्परिक संचार, लोक परंपरा का उपयोग करके संचार और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार किया।

ख) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों का अवलोकन

क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) / फील्ड इकाइयों (एफओ) द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व

पर्यावरण दिवस, जल संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, महिला सशक्तीकरण दिवस, कारगिल विजय दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, गांधी जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों को मनाने के दौरान अपनी नियमित गतिविधियों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को रेखांकित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) / फील्ड इकाइयों (एफओ) ने भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं पर 98 प्रदर्शनी दिवसों के साथ 95 आईसीओपी, 12 विशेष आउटरीच कार्यक्रम और 166 क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।

सांख्यिकीय आंकड़े (अप्रैल से दिसंबर, 2025 तक की उपलब्धियां)

1.	आईसीओपी की कुल संख्या	437
2.	एसओपी/फील्ड कार्यक्रमों की कुल संख्या	846
3.	प्रदर्शनी दिवसों की कुल संख्या	471

2. कार्यक्रम विंग

सीबीसी के तहत कार्यक्रम विंग (पूर्ववर्ती एस एंड डीडी) अपने जोनल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड कार्यालयों के साथ मिलकर देश भर में क्षेत्र की स्थानीय बोलियों में लोकप्रिय लोक और पारंपरिक रूपों का उपयोग करके केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रसार के लिए लोक और पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत शृंखला का उपयोग करते हुए लाइव मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संचार में संलग्न है। इस उद्देश्य के लिए निजी पंजीकृत मंडलियों (पीआरटी), व्यक्तिगत कलाकारों और विभागीय कलाकारों का उपयोग किया जाता है।

सीबीसी ने 20 नवंबर, 2025 को '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-2025' के भव्य उद्घाटन के दौरान एक विशेष कार्यक्रम 'भारत एक सुर' शीर्षक से एक एकीकृत लोक सिम्फनी प्रस्तुत किया, जिसमें सीबीसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के 100 से अधिक कलाकार शामिल थे।



भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)

(पूर्व में भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक)

वर्ष 2025 'प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023' के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण चरण रहा, जो 1 मार्च, 2024 को लागू हुआ था और जिसने 1867 के 'प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम' का स्थान लिया। तदनुसार, भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) का कार्यालय भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) के रूप में कार्य करता रहा, जो नए अधिनियम के तहत इसके विस्तारित जनादेश को दर्शाता है।

पीआरपी अधिनियम ने प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से शीर्षक सत्यापन, घोषणा, पंजीकरण और वार्षिक विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर एक आधुनिक विनियामक ढांचा पेश किया। यह पोर्टल देश भर के प्रकाशकों को सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाए बिना ऑनलाइन आवेदन जमा करने, दस्तावेज अपलोड करने, जानकारी अपडेट करने और अपने आवेदनों की स्थिति ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।

नए डिजिटल ढांचे ने ऑनलाइन सत्यापन और सत्यापित दस्तावेजों को पीआरजीआई को सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाकर जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका को भी सुव्यवस्थित किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, विलंब में कमी आई है और पंजीकरण प्रक्रिया का एक सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हुआ है। आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर ने दस्तावेजों की अखंडता और आवेदक के सत्यापन को और मजबूत किया है।

प्रेस सेवा पोर्टल नए विनियामक ढांचे का आधार बन गया है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित शासन, पारदर्शिता और व्यापार करने में सुगमता के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता

है। वर्ष के दौरान, पीआरजीआई ने वर्कफ्लो को भी सुव्यवस्थित किया, अद्यतन दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए, अनुपालन तंत्र को मजबूत किया और पोर्टल के माध्यम से अधिनियम के अधिकांश प्रमुख प्रावधानों को लागू किया।

इसके अलावा, पीआरजीआई ने प्रकाशकों, मीडिया संघों, जिला मजिस्ट्रेटों और पीआईबी अधिकारियों को पीआरपी अधिनियम के प्रावधानों और प्रेस सेवा पोर्टल की कार्य-प्रणालियों से परिचित कराने के लिए हितधारक आउटरीच पहल भी आयोजित की।

पत्रिकाओं का पंजीकरण

31 दिसंबर, 2025 तक, भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) के पास कुल 1,60,315 पत्र-पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। वर्ष 2025 के दौरान ही 6,013 नई पत्रिकाएं पंजीकृत की गईं। इन अद्यतनों को पीआरजीआई द्वारा बनाए रखे जाने वाले रिकॉर्ड रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया गया है। आज की तिथि तक, इस कार्यालय ने उन निष्क्रिय शीर्षकों को हटाने की अपनी चल रही पहल के हिस्से के रूप में 88,316 शीर्षकों को रद्द करने का कार्य पूरा कर लिया है, जो लगातार दस या उससे अधिक वर्षों से वार्षिक विवरण दाखिल करने में विफल रहे हैं।

वार्षिक विवरण

'प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023' की धारा 12(1) के तहत, प्रत्येक पंजीकृत पत्र-पत्रिका के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले प्रेस महापंजीयक को एक वार्षिक विवरण जमा करना अनिवार्य है। धारा 12(2) के तहत, जो प्रकाशक अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे प्रेस महापंजीयक के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर वार्षिक विवरण जमा कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर के बाद नहीं। वर्ष के दौरान, 39,345 पत्र-पत्रिकाओं ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विवरण दाखिल किए। यह वार्षिक विवरण प्रिंट मीडिया परिदृश्य पर जानकारी का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है और प्रेस महापंजीयक द्वारा प्रकाशित वार्षिक 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट का आधार बनता है।

‘प्रेस इन इंडिया’ रिपोर्ट

‘प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023’ की धारा 13 के अनुसार, प्रेस महापंजीयक को देश में प्रिंट मीडिया क्षेत्र की स्थिति पर हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट – ‘प्रेस इन इंडिया’ प्रकाशित करनी होती है। पीआरजीआई प्रकाशकों द्वारा दाखिल किए गए वार्षिक विवरणों के आधार पर प्रिंट मीडिया में रुझानों का विश्लेषण और संकलन करके ‘प्रेस इन इंडिया’ रिपोर्ट जारी करता है। ‘प्रेस इन इंडिया’ रिपोर्ट एक प्रशासनिक आवश्यकता से कहीं अधिक है; यह ऐतिहासिक और अकादमिक मूल्य का दस्तावेज है। 1957 में पहली बार प्रकाशित, यह देश में प्रेस के एक व्यापक सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में विकसित हुई है। समय के साथ यह रिपोर्ट शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, मीडिया घरानों, सरकारी विभागों और प्रिंट मीडिया क्षेत्र पर प्रामाणिक डाटा चाहने वाले संस्थानों के लिए एक प्रासंगिक संसाधन बन गई है।

प्रसार सत्यापन

पीआरजीआई प्रकाशकों के अनुरोधों के साथ-साथ विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर ‘प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023’ और ‘पीआरपी नियम, 2024’ के प्रावधानों के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार सत्यापन (सर्कुलेशन वेरिफिकेशन) करता है। 2025 के दौरान, पीआरजीआई ने नए वैधानिक ढांचे के अनुरूप प्रसार सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए। जनवरी, 2026 तक पीआरजीआई को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 से संबंधित डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन के लिए 564 आवेदन प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित सभी 278 आवेदनों पर कार्रवाई की गई, और वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवेदनों सहित कुल 349 प्रसार प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

न्यूजप्रिंट के आयात के लिए स्व-घोषणा का प्रमाणीकरण

पीआरजीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात-निर्यात नीति के अनुसार न्यूजप्रिंट के आयात के उद्देश्य से पीआरजीआई में पंजीकृत पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत स्व-घोषणा को प्रमाणित करता है।

वर्ष के दौरान पीआरजीआई ने न्यूजप्रिंट के आयात के लिए 763 स्व-घोषणाओं का प्रमाणीकरण किया।

संक्षिप्त कार्य-निष्पादन: 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक:

क्र. सं.	विवरण	कुल संख्या
1.	नई पंजीकृत पत्रिकाएं	6013
2.	बंद की गई पत्रिकाएं	344
3.	पीजी पोर्टल की शिकायतों का निपटान	313
4.	आरटीआई/आरटीआई प्रथम अपीलों का निपटान	612



प्रकाशन विभाग निदेशालय

1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग (डीपीडी) भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का भंडार है। यह विभाग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करता है, जिसमें प्रसिद्ध ‘बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ (आधुनिक भारत के निर्माता) शृंखला के साथ-साथ संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला, वनस्पति और जीव-जंतुओं पर कृतियां शामिल हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों को भी लिपिबद्ध करता है, समकालीन विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है और बाल साहित्य को बढ़ावा देता है।

प्रकाशन विभाग गांधीवादी साहित्य का एक प्रमुख प्रकाशक है, जिसमें 100 खंडों में संकलित ‘महात्मा गांधी संपूर्ण वाङ्मय’ (सीडब्ल्यूएमजी) और गांधी हेरिटेज पोर्टल पर उपलब्ध सर्च करने योग्य ‘ई-सीडब्ल्यूएमजी’ शामिल हैं। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहयोग से, प्रकाशन विभाग ने ‘गांधी फॉर डिजिटल एरा’ भी तैयार की है।

यह विभाग चार मासिक पत्रिकाएं—योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल तथा साप्ताहिक इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार

समाचार (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू) भी प्रकाशित करता है। सूचना भवन, नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग का मुख्यालय है। विभाग अपने बिक्री केंद्रों, बिक्री काउंटर्स और क्षेत्रीय कार्यालयों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का संचालन करता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों, विषयगत शृंखलाओं, डिजिटल पहल और संदर्भ कार्यों के माध्यम से एक राष्ट्रीय ज्ञान संस्थान के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया, जिससे भारत की विरासत, नेतृत्व और 'विकसित भारत' की ओर विकास यात्रा के दस्तावेजीकरण में योगदान मिला।

पुस्तकों का प्रकाशन

अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक प्रकाशन विभाग ने हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कुल 168 पुस्तकें प्रकाशित की। इनमें से 91 पुस्तकें अंग्रेजी में, 63 हिन्दी में और 14 अन्य भारतीय भाषाओं में थी।

महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन और कार्यक्रम

‘विंग्स टू आवर होप्स’ (खंड-II)

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 जून, 2025 को माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हिन्दी और अंग्रेजी में चयनित 51 भाषणों के संकलन ‘विंग्स टू आवर होप्स’ (खंड-II) और ‘आशाओं की उड़ान’ (खंड-II) तथा उसके ई-संस्करण का विमोचन किया।

यह पुस्तक राष्ट्रपति के कार्यकाल के दूसरे वर्ष (अगस्त, 2023-जुलाई, 2024) के दौरान उनके दृष्टिकोण, दर्शन और प्राथमिकताओं की झलक प्रस्तुत करती है। अपने संबोधन में माननीय रक्षा मंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधनों, विश्वविद्यालयों में संबोधनों, नवाचार, देश के विकास में महिलाओं के योगदान, समानता और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर आधारित भाषणों के इस संकलन को वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’



माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 23 जून, 2025 को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित पुस्तकों (हिन्दी और अंग्रेजी) का विमोचन करते हुए।

बनाने की सरकार की परिकल्पना का सार बताया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित यह दूसरा खंड शासन, समावेशन और राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर विकसित होते विमर्श का दस्तावेजीकरण करने वाली पूर्ववर्ती कड़ी का अनुसरण करता है।

प्रधानमंत्री के भाषणों के संकलन का विमोचन

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 सितंबर, 2025 को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों के दो खंडों का विमोचन किया। इन खंडों में माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है, जो समावेशी विकास, लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय एकता के मार्गदर्शक दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं।

56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), गोवा-नवंबर, 2025

नवंबर, 2025 में गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' के दौरान प्रकाशन विभाग ने श्री मजहर क्यू. कमरान द्वारा लिखित 'Ma Uma and Padma – The Epic Cinema of Ritwik Ghatak', तथा एफटीआईआई पर एक पुस्तक 'रंगोली : रूप, सुर, लय की' और 'Legends of Indian Silver Screen – Dadasaheb Phalke Award Winners (1969-1991)' सहित प्रतिष्ठित शीर्षकों का विमोचन किया।

इन प्रकाशनों की विद्वत गहराई, अभिलेखीय समृद्धि और उच्च उत्पादन गुणवत्ता के लिए व्यापक सराहना हुई।

दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026

भारत मंडपम में आयोजित 'नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026' के दौरान प्रकाशन विभाग ने कई महत्वपूर्ण शीर्षकों का विमोचन किया, जिनमें शामिल हैं:

- वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री विजय त्रिवेदी द्वारा लिखित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित 'आधुनिक भारत के निर्माण' (बीएमआई) पुस्तक शृंखला।
- बाल शृंखला के अंतर्गत प्रथम पुस्तक—सुश्री सुमन बाजपेयी द्वारा लिखित 'स्वामी विवेकानंद'।

- 'Rare and Unseen'—राज कपूर, राज खोसला और गुरु दत्त पर एक चित्रात्मक पुस्तक। (लेखक: डॉ. मिलिंद दामले, एफटीआईआई)
- डॉ. ऋतु सारस्वत द्वारा लिखित 'धरती की सेहत'।
- दिनकर कुमार द्वारा लिखित 'भारत रत्न भूपेन हजारिका'।

इन प्रकाशनों में सिनेमा, साहित्य, सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय विभूतियों और सांस्कृतिक विरासत को समाहित किया गया तथा पाठकों, विद्वानों और विद्यार्थियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

'आधुनिक भारत के निर्माता' (बीएमआई) शृंखला और बाल प्रकाशन

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित 'आधुनिक भारत के निर्माता' (बीएमआई) पुस्तक शृंखला का शुभारंभ भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक के जीवन, दृष्टि और योगदान का दस्तावेजीकरण करने की एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

बीएमआई बाल शृंखला के अंतर्गत प्रथम शीर्षक 'स्वामी विवेकानंद' का विमोचन युवा पाठकों को सरल, रोचक और शैक्षिक स्वरूप में प्रेरणादायक राष्ट्रीय नेताओं से परिचित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।

महामना मदन मोहन मालवीय शृंखला

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 25 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय' शृंखला के अंतिम बारह खंडों का विमोचन किया, जिससे इस प्रामाणिक बहुखंड के विद्वत संग्रह के 23 खंड पूरे हुए।

भारत 2026 : वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

'भारत 2026', (अंग्रेजी और हिन्दी) वर्ष 2025-26 के दौरान जारी किया गया। इस संस्करण की विशेषता पुस्तक में चार-रंग प्रिंट में कलर कोडिंग, रंगीन तस्वीरों और इन्फोग्राफिक्स का उपयोग, अद्यतन और प्रामाणिक आंकड़े तथा आधुनिक लेआउट और दृश्य प्रस्तुति रही। समकालीन डिजाइन और प्रामाणिक संदर्भ जानकारी के संयोजन के लिए इस प्रकाशन की व्यापक सराहना हुई।

परिवर्तनशील भारत पर विशेष प्रकाशन

वर्ष के दौरान प्रकाशन विभाग ने विविध क्षेत्रों पर विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखित 25 विशेष पुस्तकें भी तैयार की। इन

प्रकाशनों की परिकल्पना भारत के क्षेत्र-वार विकास को प्रस्तुत करने; विज्ञान, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और शासन में उपलब्धियों को रेखांकित करने; 'विकसित भारत' की दिशा में भारत के परिवर्तन को प्रदर्शित करने और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में उभरते भारत को प्रतिबिंबित करने के लिए की गई। ये पुस्तकें पाठकों को भारत की विकास यात्रा और भविष्य की आकांक्षाओं पर व्यापक और विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में योजना; अंग्रेजी और हिन्दी में 'कुरुक्षेत्र'; हिन्दी और उर्दू में 'आजकल' तथा हिन्दी में 'बाल भारती' शामिल हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित किया जाता है।

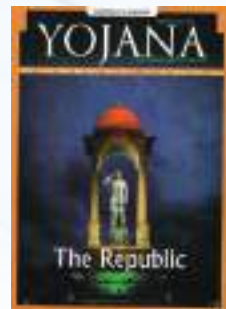
क. इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

वर्ष 1976 में शुरू की गई इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू) सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार से संबंधित प्रामाणिक और समयबद्ध सूचना के प्रसार के लिए समर्पित एक प्रमुख पत्रिका है। यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त और वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी भर्ती अधिसूचनाओं का सबसे प्रामाणिक स्रोत है और देशभर के नागरिकों के लिए पारदर्शी रोजगार अवसरों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, भर्ती सूचनाओं के अतिरिक्त, इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ने विश्लेषणात्मक और करियर-उन्मुख लेखों की विस्तृत शृंखला प्रकाशित की, जिससे एक व्यापक करियर और ज्ञान मंच के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत हुई। प्रमुख विषयों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वस्त्र और तकनीकी वस्त्र, समुद्री उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, सिविल इंजीनियरिंग, खाद्य मूल्य शृंखला, कोल्ड चेन अवसंरचना, भू-तापीय ऊर्जा शामिल थे। उभरते विषयों में करियर मार्गदर्शन और कौशल विकास पर, पाठ्यक्रम, प्रवेश और करियर संभावनाओं विशेष बल दिया गया।

ख. योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)

वर्ष 1957 से प्रकाशित 'योजना' आर्थिक विकास के विषय को समर्पित पत्रिका है। यह 13 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। इस वर्ष 'योजना' ने राष्ट्रीय महत्व और जनहित से जुड़े विषयों पर कई अंक प्रकाशित किए। इनमें 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक अंक शामिल था, जिसमें सुरक्षा, कल्याण और आर्थिक विकास के बीच तालमेल पर बल दिया गया, तथा स्वतंत्रता की विकसित होती यात्रा को नागरिकों के सशक्तीकरण के सामूहिक संकल्प में बदलने की भावना पर केंद्रित एक अंक भी शामिल था।



ग. कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी)

'कुरुक्षेत्र', जो वर्ष 1952 से अंग्रेजी में और 1954 से हिन्दी में प्रकाशित हो रही है, ग्रामीण विकास पर सबसे सम्मानित और प्रामाणिक पत्रिकाओं में से एक है। इस पत्रिका ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख सरकारी पहल और प्रमुख कार्यक्रमों को निरंतर रेखांकित किया है। 'कुरुक्षेत्र' ने नीतिगत सुधारों, जमीनी-स्तर के नवाचारों और विकास अवसरों की व्यापक समझ प्रदान की। 'कुरुक्षेत्र' के अंक ग्रामीण भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समृद्धि के लिए बागवानी, बजट 2025-26: प्रगतिशील ग्रामीण भारत, पंचायती राज, एमएसएमई, समावेशी ग्रामीण विकास, सहकारिता नई ऊंचाइयों की ओर, एग्रीटेक, कौशल, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा ग्रामीण पर्यटन जैसे विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किए गए।



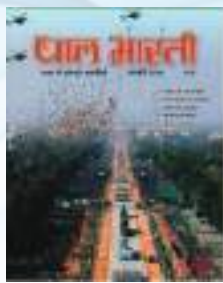
घ. आजकल (हिन्दी और उर्दू)

'आजकल' लगभग अस्सी वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकाशन है—'आजकल' (हिन्दी-प्रथम प्रकाशन 1945) और 'आजकल' (उर्दू-स्थापना 1941)। साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित दोनों मासिक पत्रिकाएं अब सुविधाजनक आकार में रंगीन रूप में प्रकाशित की जा रही हैं। प्रकाशित अंकों के विषयों में सिनेमा और प्रवासी साहित्य में भारत शामिल थे।



ड. बाल भारती (हिन्दी)

‘बाल भारती’, वर्ष 1948 से प्रकाशित बच्चों की मासिक पत्रिका है और बच्चों के बीच लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक है। इसमें समसामयिक विषयों पर कहानियां प्रकाशित की जाती हैं। यह विज्ञान, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर केंद्रित रहती है। कहानियां सरल भाषा में प्रकाशित की जाती हैं ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें।



च. मन की बात

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फरवरी, 2022 से ‘मन की बात’ पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित इस पुस्तिका में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधनों में किए गए विशेष उल्लेखों पर आधारित कहानियां और अनुभव, मंत्रियों और विशेषज्ञों के साक्षात्कार एवं लेख तथा मीडिया में आए संबोधनों पर प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। यह परियोजना प्रकाशन विभाग द्वारा केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से संचालित की जा रही है।

पुस्तक मेलों में भागीदारी

प्रकाशन विभाग ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख और मध्यम स्तर के पुस्तक मेलों, साहित्यिक आयोजनों/उत्सवों तथा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों आदि में भाग लिया।

साहित्यिक आयोजन/उत्सव/कार्यक्रम

- डीपीडी ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक सुंदर नर्सरी में आयोजित ‘जश्न-ए-उर्दू साहित्यिक महोत्सव’ में भाग लिया। यह आयोजन दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।
- डीपीडी ने 5 से 7 दिसंबर, 2025 तक आयोजित ‘जश्न-ए-रेख्ता साहित्यिक महोत्सव’ में भाग लिया। यह देशभर के साहित्य-प्रेमियों को आकर्षित करने वाला एक बड़ा साहित्यिक आयोजन है।
- डीपीडी ने 20 से 28 नवंबर, 2025 तक पणजी, गोवा में आयोजित ‘56वें इफ्फी 2025’ में भाग लिया।
- डीपीडी ने 25 से 28 सितंबर, 2025 तक आयोजित ‘उन्मेष-साहित्य महोत्सव 2025’ में भाग लिया।

- डीपीडी ने 2 से 11 अक्टूबर, 2025 तक तिरुवनंतपुरम में केरल गांधी स्मारक निधि द्वारा आयोजित ‘गांधी पुस्तक महोत्सव’ में भाग लिया।

ई-कॉमर्स और बिक्री

डिजिटल भारत और विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप डीपीडी ने ई-पुस्तकों की दुनिया में कदम रखा। वर्तमान में मुद्रित पुस्तकें भारतकोष पोर्टल <https://bharatkosh.gov.in> पर जीओआई ई-स्टोर के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ई-पुस्तकों के विपणन और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन किंडल, गूगल प्ले और गूगल बुक्स, मैगज़्टर आदि) का भी उपयोग किया जा रहा है। ‘योजना’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘आजकल’ और ‘बाल भारती’ अब इन पोर्टलों पर डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं।

डीपीडी की सभी 18 पत्रिकाएं ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अमेजन किंडल पर ई-प्रकाशन के 1,061 शीर्षक और गूगल प्ले पर 1,324 ई-प्रकाशन उपलब्ध हैं। अमेजन किंडल पर ई-पुस्तकों की 5,773 प्रतियां और गूगल प्ले पर 4,229 प्रतियां बेची गई हैं।

डीपीडी ने अपनी पत्रिकाएं ‘योजना’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘आजकल’, ‘बाल भारती’ और इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार वेब्स ओटीटी पर भी प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त, दर्शकों के लिए ई-पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।

‘समग्र शिक्षा अभियान’ के अंतर्गत थोक पुस्तक आपूर्ति में प्रकाशन विभाग की उपलब्धियां

प्रकाशन विभाग ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के अंतर्गत विभिन्न थोक पुस्तक आपूर्ति आदेशों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहा है जिससे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सरकार के उद्देश्य को बल मिला। डीपीडी ने ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के अंतर्गत पुस्तकों की आपूर्ति के लिए राज्यों से विभिन्न थोक आदेश प्राप्त किए हैं और विभाग उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों और शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध है।

विभाग ने जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, विभिन्न राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों, उत्तर-हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा पुलिस पुस्तकालयों, विभिन्न विभागों के अन्य विभागीय पुस्तकालयों के लिए बड़ी मात्रा में पुस्तकों की आपूर्ति आदेश भी पूरे किए हैं। ये पहल शिक्षा को

बढ़ावा देने, सार्वजनिक पुस्तकालयों को मजबूत करने और देश में ज्ञान के प्रसार में सहयोग देने के प्रति विभाग की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)

(डीम्ड विश्वविद्यालय)

वेबसाइट: iimc.gov.in



भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), जो 'सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860' के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया। संस्थान की स्थापना जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के मूल उद्देश्य से की गई थी। जनवरी, 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएमसी, नई दिल्ली के साथ-साथ आईआईएमसी के पांच परिसरों को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' की धारा 3 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया। इसके क्षेत्रीय परिसर जम्मू (जम्मू और कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेकनाल (ओडिशा) में स्थित हैं।

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आईआईएमसी में मीडिया बिजनेस स्टडीज, स्ट्रेटैजिक कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया कम्युनिकेशन में दो वर्षीय तीन एम.ए. (स्नातकोत्तर डिग्री) कार्यक्रम चल रहे हैं। आईआईएमसी हेल्थ कम्युनिकेशन और मीडिया एवं कम्युनिकेशन गवर्नंस में दो वर्षीय दो नए एम.ए. कार्यक्रम शुरू करने, वर्ष 2026-27 से

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो वर्षीय एम.ए. डिग्री कार्यक्रम में बदलने और पीएच.डी. कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है।

यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क में कई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में “उत्कृष्टता केंद्र” के रूप में मान्यता प्राप्त आईआईएमसी को वर्ष 2025 में इंडिया टुडे पत्रिका ने एक बार फिर जन संचार के क्षेत्र में नंबर-1 संस्थान का दर्जा दिया।

शासी संरचना

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का प्रशासन 50 सदस्यीय सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसका गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वर्तमान में प्रख्यात पत्रकार श्री आर. जगन्नाथन आईआईएमसी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के सदस्य सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठित हस्तियों आदि में से चुने जाते हैं। सोसाइटी के कार्यों का प्रशासन कार्यकारी परिषद् में निहित है।

संचालित गतिविधियां

1 जनवरी, 2026 को पीएच.डी. कार्यक्रम का शुभारंभ : आईआईएमसी ने कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, रजिस्ट्रार श्री एल. मधु नाग और सभी संकाय सदस्यों की उपस्थिति में अपना पीएच.डी. कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया। पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पाठ्यक्रम कार्य 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होना निर्धारित है।

एम.ए. डिग्री कार्यक्रम: आईआईएमसी ने अपने पाठ्यक्रमों की सूची में एक और एम.ए. डिग्री कार्यक्रम जोड़ा। न्यू मीडिया कम्युनिकेशन में एम.ए. पाठ्यक्रम चार परिसरों में 120 अभ्यर्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ शुरू किया गया। प्रवेश सीयूईटी-पीजी के माध्यम से हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल स्टोरीटेलिंग, प्लेटफॉर्म रणनीति, मीडिया एनालिटिक्स और कंटेंट इनोवेशन में मजबूत वैचारिक आधार और अंतर्विषयक कौशल से लैस करना है। यह पाठ्यक्रम एआई-संचालित मीडिया, क्रिएटर-नेतृत्व वाले वाणिज्य और मोबाइल-फर्स्ट उपभोग जैसी उभरती

प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी पाठ्यचर्या को संरेखित कर अकादमिक जगत और उद्योग के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

आईआईएमसी का 61वां स्थापना दिवस

आईआईएमसी के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर “विकसित भारत@2047: मीडिया की भूमिका” विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान प्रख्यात पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और आईआईएमसी के पूर्व अध्यक्ष श्री बलबीर पुंज ने 25 अगस्त, 2025 को दिया।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

भारतीय जन संचार संस्थान ने पत्रकारिता, रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क तथा डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर (पीजी) डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किए। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, 285 शहरों के 302 केंद्रों पर 29 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 7,773 अभ्यर्थी शामिल हुए और काउंसलिंग के बाद 638 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। आईआईएमसी ने 7-8 अगस्त, 2025 को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया, और सभी कार्यक्रमों की कक्षाएं 11 अगस्त, 2025 से शुरू हुईं।

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस)

2025-26 के दौरान, भारतीय जन संचार संस्थान ने 2009, 2023 और 2024 बैचों के 13 भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) समूह 'क' अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए चरण-I का प्रेरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें रक्षा संलग्नता, पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में विशेष प्रशिक्षण, और भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर में एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम शामिल था। 2022 और 2023 बैचों के आठ अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा चरण-II प्रशिक्षण पूरा किया गया, जिसके बाद उन्हें अपनी पहली नियमित पोस्टिंग प्राप्त हुई।

आईआईएमसी ने 28 आईआईएस समूह 'ख' वरिष्ठ ग्रेड प्रोबेशनरों के लिए नौ महीने का फाउंडेशन कोर्स और 24 आईआईएस समूह 'ख' कनिष्ठ ग्रेड प्रोबेशनरों के लिए तीन महीने का फाउंडेशन पाठ्यक्रम भी आयोजित किया। इसके अलावा, सरकारी संचार, सार्वजनिक नीति और विकास में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए आईआईएस समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों के लिए चार रिक्रेशर कोर्स आयोजित किए गए।

मार्च, 2026 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिसंबर, 2025 में 2009, 2024 और 2025 बैचों के आईआईएस समूह 'क' के अधिकारियों के नए बैच के लिए आईआईएमसी में प्रेरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण शुरू हुआ। कुल 21 अधिकारियों ने प्रेरण प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसने उन्हें कक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों के साथ 360 डिग्री संचार के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया और विभिन्न इकाइयों के कामकाज का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए मंत्रालय के तहत मीडिया संगठनों का फील्ड विजिट शामिल किया। चौबीस कनिष्ठ ग्रेड आईआईएस समूह 'ख' प्रोबेशनरों ने भी अपना तीन महीने का फाउंडेशन पाठ्यक्रम पूरा किया।

कार्यकारी शिक्षा केंद्र (सीईई)

भारतीय जन संचार संस्थान ने संचार और मीडिया से जुड़े विषयों पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए। जनवरी-दिसंबर, 2025 के दौरान विस्तार शिक्षा केंद्र ने भारतीय सशस्त्र बलों, एनएचपीसी लिमिटेड, म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड और विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के अधिकारियों के लिए एक से तीन सप्ताह के 20 लघु अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए। ये कार्यक्रम मीडिया, जनसंपर्क और प्रचार में कार्यरत अधिकारियों के लिए उभरती मीडिया प्रवृत्तियों, रणनीतिक संचार और व्यावसायिक कौशल विकास पर केंद्रित थे।

पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से संचार

भारतीय जन संचार संस्थान का प्रकाशन विभाग दो सहकर्मी-समीक्षित त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिकाएं, 'कम्यूनिकेटर' (अंग्रेजी) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी) प्रकाशित करता है, जो भारत में सबसे पुरानी संचार पत्रिकाओं में से हैं। यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा विमर्श' भी प्रकाशित करता है।

अपना रेडियो 96.9 एफएम

भारतीय जन संचार संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 'अपना रेडियो 96.9 एफएम' ने स्वास्थ्य जागरूकता, राष्ट्रीय मिशनों, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक भागीदारी पर कार्यक्रमों के माध्यम से 2025-26 के दौरान समुदाय-केंद्रित प्रसारण को बढ़ावा देना जारी रखा। छात्रों, संकाय, विषय विशेषज्ञों और सामुदायिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ, इस

स्टेशन ने जन जागरूकता, सहभागी संचार और अनुभवात्मक शिक्षण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार (वेक्स के तहत)

भारतीय जन संचार संस्थान ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से पूरे भारत के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए एक दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन ने सामुदायिक प्रसारण में ज्ञान साझा करने, क्षमता-निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो हितधारकों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाया।

राष्ट्रीय मान्यता और उपलब्धि

‘अपना रेडियो 96.9 एफएम’ ने ‘वेक्स’ प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में कंटेंट क्रिएशन (मनोरंजन) श्रेणी में रजत पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह राष्ट्रीय स्तर की मान्यता स्टेशन की रचनात्मक उत्कृष्टता, नवीन कथावाचन शैली और आकर्षक समुदाय-केंद्रित मनोरंजन सामग्री तैयार करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन

‘अपना रेडियो 96.9 एफएम’ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से गुवाहाटी में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (पूर्व) और कोच्चि में (दक्षिण) का आयोजन किया। इन सम्मेलनों ने क्षेत्रीय और स्थानीय विकास में सामुदायिक रेडियो की भूमिका को मजबूत करते हुए क्षमता-निर्माण, ज्ञान साझा करने, कंटेंट इनोवेशन और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो पेशेवरों को एक साथ लाया।

स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन विभाग 2025-26

स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन विभाग (डीएससी) ने 2024 में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में दो वर्षीय एम.ए. कार्यक्रम शुरू किया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के पास दो बैच (2024-26 और 2025-27) थे, जिनमें प्रत्येक बैच में 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता थी, साथ ही सशस्त्र बलों के अधिकारियों और मीडिया पेशेवरों के लिए 20 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी कोटा था।

वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि भारतीय सेना के अपर महानिदेशक, रणनीतिक संचार के साथ (20 दिसंबर, 2025)

और भारत के यूनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूशन (यूएसआई) के साथ (18 दिसंबर, 2025) समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना था। 2024-26 बैच के छात्रों ने भारतीय सेना, भारत के यूएसआई, आईकेएस डिवीजन (शिक्षा मंत्रालय), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर), ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, यूनेस्को, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), और रायसीना संवाद सहित संगठनों के साथ इंटरशिप भी पूरी की।

मीडिया बिजनेस स्टडीज विभाग (एमबीएस)

भारतीय जन संचार संस्थान का मीडिया बिजनेस स्टडीज विभाग ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के अनुरूप मीडिया बिजनेस स्टडीज में दो वर्षीय मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम प्रदान करता है। यह कार्यक्रम छात्रों को पारंपरिक और नए मीडिया में मीडिया योजना, व्यवसाय विकास, सामग्री मुद्राकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए प्रबंधकीय, रणनीतिक और नैतिक क्षमताओं से लैस करता है।

न्यू मीडिया कम्युनिकेशन विभाग 2025-26

भारतीय जन संचार संस्थान में 2016 में स्थापित न्यू मीडिया कम्युनिकेशन विभाग, पेशेवरों को न्यू मीडिया प्रौद्योगिकियों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। यह विभाग न्यू मीडिया की क्षमताओं और सीमाओं की समझ को बढ़ावा देता है और मीडिया छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है।

आईआईएमसी, ढेकनाल में इन्क्यूबेशन सेंटर

कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आईआईएमसी, ढेकनाल में फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस प्रदर्शनी ने छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा और दृश्य कथावाचन (विजुअल स्टोरीटेलिंग) के कौशल को प्रदर्शित किया, जो उनकी गहरी पत्रकारिता दृष्टि और कलात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आईआईएमसी, ढेकनाल की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया और छात्रों तथा संकाय सदस्यों को मीडिया और संचार के क्षेत्र में नवीन स्टार्ट-अप विचारों पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।



आईआईएमसी, कोट्टायम में इन्क्यूबेशन सेंटर

आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आईआईएमसी के दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर में इन्क्यूबेशन सेंटर के कार्यालय का उद्घाटन किया, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम है।

आईआईएमसी, जम्मू में इन्क्यूबेशन सेंटर

कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने विशिष्ट शिक्षाविदों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति में आईआईएमसी, जम्मू परिसर में इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया।

क्षेत्रीय परिसर

1. आईआईएमसी, कोट्टायम

2025 में, भारतीय जन संचार संस्थान, कोट्टायम परिसर ने समकालीन मीडिया प्रथाओं पर मजबूत ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियों को मजबूत करना जारी रखा।

परिसर ने कई कार्यशालाएं भी आयोजित की, जिनमें मीडिया परिदृश्य में उभरते रुझानों पर एक और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल के सहयोग से मीडिया और संचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक अन्य कार्यशाला शामिल है।

2. आईआईएमसी, अमरावती

भारतीय जन संचार संस्थान, अमरावती परिसर ने 2025

के दौरान कई कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और इसी तरह की गतिविधियां आयोजित की।

अमरावती के बडनेरा इलाके में 15 एकड़ के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इस परियोजना में एक समर्पित शैक्षणिक-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, एक आवासीय ब्लॉक, छात्रावास और एक सभागार शामिल है।

3. आईआईएमसी, जम्मू

2025 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू ने कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के साथ अपनी शैक्षणिक और संस्थागत प्रोफाइल को मजबूत किया। 2024-25 बैच ने 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हासिल किया, जबकि परिसर ने विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और छात्र गतिविधियों का भी आयोजन किया, जिनमें हिन्दी पखवाड़ा, पूर्व छात्र सम्मेलन जम्मू जमघट 2025, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस तथा फिट इंडिया खेल और फिटनेस कार्यक्रम शामिल हैं।

4. आईआईएमसी, आइजोल

भारतीय जन संचार संस्थान ने प्रसिद्ध फोटोग्राफर डॉ. रुबेन लालमालसावमा द्वारा एक सप्ताह की फोटोग्राफी कार्यशाला और एडम सप्रिनसानागा द्वारा डाटा पत्रकारिता पर दो दिवसीय कार्यशाला (3 फरवरी, 2025 से 3 फरवरी, 2025 तक) आयोजित की। इन कार्यक्रमों ने फोटोग्राफी, डाटा-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग, खोजी पत्रकारिता, बीट रिपोर्टिंग और नैतिक पत्रकारिता में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

5. आईआईएमसी, ढेंकनाल

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान, भारतीय जन संचार संस्थान, ढेंकनाल ने शैक्षणिक, छात्र और सहायता अवसंरचना के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के माध्यम से परिसर का आधुनिकीकरण किया। परिसर ने शैक्षणिक सहयोग, प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता और भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके संस्थागत सहयोग को भी मजबूत किया।



भारतीय प्रेस परिषद्

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद् एक सांविधिक, अर्द्ध-न्यायिक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसे 'प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978' के अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1979 में पुनः स्थापित किया गया। इसका दोहरा उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना तथा भारत में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है।

परिषद् में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं जो प्रेस, संसद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

परिषद् को अपनी निधि का एक भाग संसद द्वारा विधिवत विनियोजन के बाद केंद्र सरकार से अनुदान-सहायता के रूप में प्राप्त होता है और समाचार-पत्रों से श्रेणीबद्ध संरचना के अनुसार लिए जाने वाले शुल्क और अन्य प्राप्तियों से भी परिषद् की अपनी निधि बनती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परिषद् का संशोधित स्वीकृत बजट 10.48 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 10.34 करोड़ रुपये है।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान परिषद् में कुल 1,300 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 181 शिकायतें प्रेस द्वारा सरकारी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के संबंध में और 1,119 शिकायतें पत्रकारिता आचार-संहिता के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध दर्ज की गईं। इनमें से 906 मामलों का निपटान इस अवधि के दौरान किया गया, जिनमें पिछले वर्षों से लंबित शिकायतें भी शामिल थीं। इनका संक्षिप्त निपटान अध्यक्ष द्वारा परिषद् के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होने, जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार न होने, शिकायतकर्ता द्वारा आगे कार्यवाई न करने/शिकायत वापस लेने या मामले के

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किया गया।

स्वतः संज्ञान

'प्रेस परिषद् (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979' के विनियम 13 के अंतर्गत पीसीआई के अध्यक्ष ने नौ मामलों में स्वतः संज्ञान लिया। इनमें से पांच मामले प्रेस द्वारा पत्रकारिता आचार-संहिता के उल्लंघन से संबंधित थे और चार मामले प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित थे।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025

'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' देश में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में "बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण" विषय पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि और माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विजय जोशी ने मुख्य भाषण दिया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद् की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने की।

भारतीय प्रेस परिषद् का 15वें कार्यकाल के लिए पुनर्गठन

'प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978' की धारा 5(4) के तहत प्रत्येक तीन वर्ष में परिषद् के पुनर्गठन का प्रावधान है। परिषद् का 14वां कार्यकाल 5 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गया। केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर, 2024 की अपनी राजपत्र अधिसूचना द्वारा पांच सदस्यों [प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) (डी) के अंतर्गत तीन सदस्य और धारा 5(3)(ई) के अंतर्गत दो सदस्य] को अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना द्वारा नौ और सदस्यों को भी अधिसूचित किया [धारा 5(3)(बी) के अंतर्गत छह सदस्य और धारा 5(3)(ई) के अंतर्गत तीन सदस्य], जिससे प्रेस परिषद् के कुल 28 सदस्यों में से नामित सदस्यों की संख्या 14 हो गई।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड (पीआरएबी) नव अधिनियमित 'प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023' की धारा 15 अंतर्गत गठित की गई है जो पत्रिकाओं

के पंजीकरण से संबंधित विवादों और अपीलों के निपटारे के लिए एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। 'प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023' को 1 मार्च, 2024 से प्रभावी किया गया है, जबकि 'प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867' को निरस्त कर दिया गया है। पीआरएबी बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नामित दो सदस्य शामिल हैं, जिनमें कम-से-कम एक सदस्य 'प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978' के तहत निर्दिष्ट श्रेणियों से होना चाहिए।

ऑटम इंटरनशिप कार्यक्रम, 2025

भारतीय प्रेस परिषद् ने 'प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978' की धारा 13(2)(सी) और (डी) के अंतर्गत अपने अधिदेश के अनुसरण में पत्रकारिता और जन संचार के विद्यार्थियों के लिए अपना छठा इंटरनशिप कार्यक्रम, अर्थात् "ऑटम इंटरनशिप कार्यक्रम (एआईपी) 2025", 18 अगस्त, 2025 से 16 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया। इसके लिए 11 जून, 2025 की सूचना के माध्यम से देशभर के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए।

सचिवालय को प्राप्त सभी आवेदनों की जांच तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य-विवरण, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद, एआईपी, 2025 में शामिल होने के लिए 15 उम्मीदवारों का चयन किया गया।



भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)

परिचय

भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की धारा 8 कंपनी के रूप में महाराष्ट्र सरकार और फिक्की तथा सीआईआई जैसे उद्योग निकायों के सहयोग से स्थापित एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) है। इसका उद्देश्य एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र में नवाचार और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देना है। संस्थान 18 जुलाई, 2025 से एनएफडीसी परिसर, मुंबई से परिचालित है।

संस्थागत ढांचा और शासन

आईआईसीटी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें भारत सरकार (34 प्रतिशत), महाराष्ट्र सरकार (14 प्रतिशत) तथा उद्योग निकाय फिक्की और सीआईआई (प्रत्येक 26 प्रतिशत) की इक्विटी भागीदारी है। यह सहयोगात्मक संरचना परिचालन लचीलापन, संस्थागत स्वायत्तता और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ मजबूत तालमेल सुनिश्चित करती है।

शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण

आईआईसीटी यूजी डिप्लोमा, 1-वर्षीय डिप्लोमा और अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें एआई-आधारित कार्यक्रम भी शामिल हैं। पाठ्यक्रम उद्योग-संरेखित है और वर्चुअल प्रोडक्शन तथा एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। "करके सीखने" की पद्धति लचीले वितरण माध्यमों और वैश्विक मानकों के साथ व्यावहारिक, स्टूडियो-आधारित सीखने को सुनिश्चित करती है।

विद्यार्थी नामांकन और पाइपलाइन

आईआईसीटी में 167 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है और 150 से अधिक उम्मीदवार पाइपलाइन में हैं। एलटीआई माइंडट्री, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) और एमआईटी आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग तथा यूट्यूब जैसी डिजिटल साझेदारियों ने मजबूत मांग और ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा दिया है।

नवाचार और इन्क्यूबेशन

आईआईसीटी स्टार्टअप के इन्क्यूबेशन के माध्यम से नवाचार को समर्थन देता है। फैकल्टी, उद्योग विशेषज्ञों और टी-हब के साथ सहयोग के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

उद्योग साझेदारियां

आईआईसीटी ने प्रौद्योगिकी (एनवीडिया, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल), अकादमिक जगत और उद्योग से संबंधित अग्रणी संगठनों के साथ 43 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्लेसमेंट के अवसर मजबूत हुए हैं।

बुनियादी ढांचे का विकास

वर्तमान में संचालन एनएफडीसी, मुंबई से किया जा रहा है, जबकि फिल्म सिटी, गोरेगांव में 10 एकड़ का स्थायी परिसर विकसित किया जा रहा है, जिसमें उन्नत स्टूडियो और इमर्सिव प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी।

वेवएक्स

1. परिचय

वेवएक्स, वेक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेटर पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया एवं मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र, विशेषकर एवीजीसी-एक्सआर डोमेन में उद्यमिता, नवाचार और बौद्धिक संपदा (आईपी) सृजन को बढ़ावा देना है। यह “क्रिएट इन इंडिया” पारिस्थितिकी तंत्र के उद्यम और व्यवसायीकरण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।

2. उद्देश्य और ढांचा

वेवएक्स को भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें संरचित इन्क्यूबेशन, वित्तपोषण और बौद्धिक संपदा के व्यवसायीकरण के सीमित अवसर शामिल हैं। यह टी-हब और एफआईटीटी (आईआईटी दिल्ली) जैसे प्रमुख संस्थानों को मास्टर इन्क्यूबेटर तथा आईआईसीटी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई सहित साझेदार संस्थानों को शामिल करते हुए हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करता है।

3. कार्यक्रम संरचना

वेवएक्स स्टार्टअप जीवन-चक्र के सभी चरणों में समग्र सहायता प्रदान करता है:

- **पूर्व-इन्क्यूबेशन:** विचार सत्यापन, मार्गदर्शन, बूटकैंप और सीड सहायता (सीआईसी पाइपलाइन से जुड़ी हुई)
- **इन्क्यूबेशन:** बुनियादी ढांचे तक पहुंच, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और उद्योग एकीकरण
- **एक्सेलेरेशन:** बाजार तक पहुंच, निवेशक संपर्क, वैश्विक अवसर और विस्तार संबंधी सहायता

इस कार्यक्रम में हैकाथॉन, नवाचार चुनौतियां, सार्वजनिक प्रसारकों के साथ सैंडबॉक्सिंग तथा आईपी पंजीकरण और मुद्राकरण के लिए सहायता भी शामिल है।

4. प्रगति और उपलब्धियां (2025-26)

- 120 से अधिक स्टार्टअप आवेदन प्राप्त हुए।
- 30 से अधिक स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन के अंतर्गत जोड़ा गया।

- ‘वेक्स 2025’ के दौरान 200 से अधिक स्टार्टअप के साथ सहभागिता।
- लगभग 100 स्टार्टअप ने राष्ट्रीय मंच पर नवाचार प्रदर्शित किए।

वेवएक्स ने एवीजीसी-एक्सआर स्टार्टअप के लिए स्वयं को एक संरचित राष्ट्रीय एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

5. बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र सहायता

स्टार्टअप को वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो, गेमिंग लैब, एक्सआर/वीआर वातावरण, एनिमेशन और वीएफएक्स सुइट तथा प्रोटोटाइपिंग सुविधाओं सहित उन्नत बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की गई है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच ने पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है।

6. पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरण

वेवएक्स व्यापक वेक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सहज रूप से एकीकृत है:

- क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) से प्रतिभा और विचार प्राप्त करता है।
- आईआईसीटी के बुनियादी ढांचे और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करता है।
- बाजार तक पहुंच और वैश्विक पहुंच के लिए वेक्स बाजार का लाभ उठाता है।

7. प्रभाव और परिणाम

वेवएक्स ने निम्नलिखित में योगदान दिया है:

- रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप का विकास।
- एवीजीसी-एक्सआर में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
- आईपी सृजन और नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- उद्योग भागीदारी और निवेशक सहभागिता में वृद्धि।

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी)

1. परिचय

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) वेब्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करना, उसे विकसित करना और समर्थन प्रदान करना है। यह रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय मंच है।

2. अवधारणा और दृष्टि

सीआईसी भारत के रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनात्मक कमियों, जैसे बिखरी हुई प्रतिभा पहचान, उद्योग-संरक्षित कौशल की सीमित उपलब्धता और सृजनकर्ताओं के लिए मार्गों की कमी को दूर करता है। इसे बाजार की जरूरतों के अनुरूप उद्योग-निर्धारित चुनौतियों पर आधारित निरंतर नवाचार और प्रतिभा विकास मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है।

3. पैमाना और भागीदारी (2024-25 में सीजन 1)

‘वेब्स 2025’ की पूर्व-तैयारी के रूप में शुरू किया गया सीआईसी सीजन 1 भारत का सबसे बड़ा रचनात्मक प्रतिभा आंदोलन बनकर उभरा:

- भारत और 60 से अधिक देशों से एक लाख से अधिक पंजीकरण।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भागीदारी।
- आठ क्षेत्रों में 33 चुनौतियां और 25 से अधिक उद्योग साझेदार।
- ‘वेब्स 2025’ में प्रदर्शन के लिए 750 से अधिक फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्ट किए गए।
- 21.3 मिलियन से अधिक डिजिटल इम्प्रेशन।

इस पहल ने विद्यार्थियों, जमीनी-स्तर पर नवोन्मेषकों और वैश्विक पेशेवरों की भागीदारी के साथ समावेशिता सुनिश्चित की।

4. क्रिएटोस्फीयर

सीआईसी का समापन क्रिएटोस्फीयर में हुआ, जो गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, एक्सआर, संगीत और डिजिटल कंटेंट में नवाचारों को प्रदर्शित करने वाला एक इमर्सिव प्लेटफॉर्म था। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां, मास्टरक्लास, पैनल चर्चाएं और नेटवर्किंग

सत्र शामिल थे, जिनसे सृजनकर्ताओं को नेटफ्लिक्स, अमेजन, मेटा और यूट्यूब जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों से सीधे जुड़ने का अवसर मिला।

5. आर्थिक और उद्योग संबंधी परिणाम

सीआईसी से महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक परिणाम सामने आए:

- बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।
- आईपी मुद्राकरण, सह-निर्माण और निवेश के लिए मार्ग बने।
- विजेताओं को टोक्यो गेम शो, ओसाका एक्सपो और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे वैश्विक मंचों पर अंतरराष्ट्रीय अवसर प्राप्त हुए।

6. कार्यक्रम के बाद सहभागिता और निरंतरता

सीआईसी ने वेब्स बाजार और इंडियाजॉय, इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस (आईजीडीसी) तथा इफ्पी जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से निरंतर सहभागिता सुनिश्चित की। इन मंचों ने उद्योग संपर्क और निवेश अवसरों के माध्यम से सृजनकर्ताओं को बाजार के लिए तैयार नवोन्मेषक बनने में सक्षम बनाया।



18 जुलाई, 2025 को माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आईआईसीटी के अस्थायी परिसर का उद्घाटन।

डिजिटल मीडिया प्रभाग

1. भारत सरकार ने ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000’ के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना द्वारा ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ अधिसूचित किए हैं। मध्यस्थों से संबंधित नियमों के भाग-II का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिकी

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित नियमों के भाग-III का प्रशासन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसमें अन्य बातों के साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान है। नियमों की तीन व्यापक विशेषताएं हैं:

- i. डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए आचार संहिता।
- ii. तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निम्नानुसार है:
 - क. स्तर-I - प्रकाशक
 - ख. स्तर-II - प्रकाशकों का स्व-विनियामक निकाय
 - ग. स्तर-III - अंतर-विभागीय समिति से युक्त केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र।
- iii. प्रकाशकों द्वारा सरकार को सूचना उपलब्ध कराना।

2. समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों के लिए लागू आचार संहिता में निम्नलिखित के पालन की आवश्यकता है:

- (i) भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रकारिता आचरण संबंधी मानदंड;
- (ii) 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता; और
- (iii) ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करना, जो वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित हो।

3. ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए आचार संहिता में उनसे अपेक्षा की गई है कि वे:

- (i) ऐसी कोई सामग्री प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित न करें जो वर्तमान में लागू किसी विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित की गई हो;

(ii) अपने प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित की जाने वाली सामग्री का निर्णय करते समय भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था जैसे कारकों को ध्यान में रखें;

(iii) नियमों में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सामग्री को पांच आयु-आधारित श्रेणियों में स्वयं वर्गीकृत करें;

(iv) ऐसा वर्गीकरण सामग्री-विवरणक के साथ प्रदर्शित करें, जिससे उपयोगकर्ता को सामग्री की प्रकृति की जानकारी मिले, और प्रत्येक कार्यक्रम के आरंभ में दर्शकों को विवेक की सलाह दें, ताकि उपयोगकर्ता कार्यक्रम देखने से पहले सोच-समझकर निर्णय ले सकें;

(v) उपयुक्त अभिगम नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से बच्चों द्वारा उच्च आयु-वर्गीकरण वाली सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के सभी प्रयास करें; और

(vi) उपयुक्त अभिगम सेवाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से अपने द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के युक्तिसंगत प्रयास करें।

4. 25 फरवरी, 2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' की अधिसूचना जारी होने के बाद नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाइयां/विकास हुए हैं:

- **सूचना उपलब्ध कराना:** 4,300 से अधिक प्रकाशकों ने निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत कर दी है। इन प्रकाशकों का अनुमानित विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	संख्या
ओटीटी प्लेटफॉर्म	66
डिजिटल समाचार प्रकाशक (स्टैंडअलोन) और यूट्यूब पर	3578
समाचार-पत्रों की डिजिटल विंग	618
टीवी चैनलों की डिजिटल विंग	97
कुल	4359

- **सूचना का प्रकटीकरण:** ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा शिकायतों के समाधान से संबंधित मासिक रिपोर्टें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। जनता के हित में प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रकटीकरण और उनके शिकायत अधिकारियों के संपर्क विवरण के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 27 फरवरी, 2023 के पत्र द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्मों और स्व-विनियामक निकायों को नियमों के पारदर्शिता और प्रकटीकरण प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है। मंत्रालय में प्राप्त ओटीटी प्लेटफॉर्मों की सामग्री से संबंधित शिकायतों/शिकायत-प्रस्तुतियों का या तो सीधे उत्तर दिया जाता है या उन्हें नियमों के अंतर्गत निर्धारित तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के तहत निवारण के लिए संबंधित प्लेटफॉर्मों को भेजा जाता है।
- **स्व-विनियामक निकाय:** मंत्रालय ने 11 स्व-विनियामक निकायों (एसआरबी) का पंजीकरण किया है (डिजिटल समाचार प्रकाशकों के नौ और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के 2), जो शिकायत निवारण तंत्र के स्तर-II के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सूची इस प्रकार है:

क. डिजिटल समाचार

- इंडियन डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेस काउंसिल (कन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन मीडिया)
- वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)
- प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी (एनबीए)
- मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)
- डिजिपब्ल न्यूज इंडिया फाउंडेशन
- वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल
- रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड न्यूज पोर्टल ग्रीवेस काउंसिल ऑफ इंडिया
- प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)
- जर्नलिस्ट एंड मीडिया एसोसिएशन ग्रीवेस काउंसिल (जेएमएजीसी)

ख. ओटीटी प्लेटफॉर्म

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) के अंतर्गत गठित डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेस काउंसिल (डीपीसीजीसी)
 - डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (डीएमसीआरसी)
5. आईटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए परामर्शात्मक क्षमता में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाले स्व-विनियामक निकाय (एसआरबी) डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेस काउंसिल (डीपीसीजीसी) द्वारा की गई कार्रवाई:
- शिकायतों का समाधान: स्व-विनियामक निकाय (एसआरबी) सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडी ने सितंबर 2021 और जनवरी 2026 के बीच 137 शिकायतों का समाधान किया है।
 - 14 अप्रैल, 2023 को डीपीसीजीसी के सदस्यों के लिए एक परामर्शिका जारी की गई, जिसमें उन्हें 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021' का अनुपालन सुनिश्चित करने और अपनी वेबसाइट और ऐप पर शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की कड़ी सलाह दी गई थी।
 - शिकायत निवारण बोर्ड (जीआरबी) द्वारा कुछ सीरीज की स्वतः संज्ञान (सुओ-मोटो) समीक्षा के बाद एक सदस्य को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 22 मई, 2023 को संबंधित प्लेटफॉर्म को एक परामर्शिका जारी की गई ताकि एक ही सीरीज के विभिन्न सीजन के कंटेंट विवरणों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही आचार संहिता में दी गई आयु रेटिंग के अनुसार पैरेंटल कंट्रोल में बदलाव करने की सलाह दी जा सके।
 - 19 जून 2023 को, शिकायत निवारण बोर्ड (जीआरबी) ने एक सदस्य प्लेटफॉर्म को फटकार लगाते हुए उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट के मौजूदा स्वरूप पर कड़ी आपत्ति जताई।
 - शिकायत निवारण बोर्ड (जीआरबी) ने प्लेटफॉर्म को इन वेब-सीरीज को प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटाने के लिए एक कड़ी परामर्शिका जारी की।

जीआरबी ने प्लेटफॉर्म को अपनी लाइब्रेरी में मौजूद सभी सीरीज की समीक्षा करने और आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने तथा जीआरबी को रिपोर्ट करने की भी सलाह दी। इसके आधार पर प्लेटफॉर्म ने अगस्त, 2023 में 109 वेब सीरीज हटा दी।

- vi. जीआरबी के अध्यक्ष द्वारा 28 दिसंबर, 2023 को एक परामर्शिका जारी की गई, जिसमें प्लेटफॉर्म को उचित उपाय करने की कड़ी सलाह दी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारा कंटेंट देश के विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित अश्लीलता और पोर्नोग्राफी की कसौटी पर खरी उतरे।
- vii. जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, डीपीसीजीसी के अध्यक्ष ने देश भर के विभिन्न शिक्षा बोर्डों के प्रमुखों को पत्र लिखकर स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता के बीच कंटेंट विवरण, आयु रेटिंग, एक्सेस कंट्रोल उपायों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- viii. डीपीसीजीसी ने 19 फरवरी, 2025 की परामर्शिका सभी सदस्य प्लेटफॉर्मों के साथ साझा की, जिसमें उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शिका का पालन करने और अपने प्लेटफॉर्मों पर सामग्री प्रकाशित करते समय लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021' के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता का पालन करने, विशेष रूप से आचार संहिता में निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई।
- ix. डीपीसीजीसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी 8 मई, 2025 की परामर्शिका भी अपने सभी सदस्यों के साथ साझा की, जिसमें उनसे सदस्यता-आधारित मॉडल पर उपलब्ध कराई गई या अन्यथा उपलब्ध वेब-सीरीज, फिल्में, गीत, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री, जिनका उद्गम पाकिस्तान में है, को तत्काल बंद कर उक्त परामर्शिका का पालन करने का अनुरोध किया गया।
- x. अगस्त, 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दो सदस्य प्लेटफॉर्मों- एलटीटी और उल्लू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, जिन्हें पहले

सक्रिय समीक्षा और प्राप्त शिकायतों के आधार पर डीपीसीजीसी से चेतावनियां और आदेश मिले थे, उनकी सदस्यता डीपीसीजीसी द्वारा तत्काल समाप्त कर दी गई।

6. आईटी नियम, 2021 के नियम 14 के अंतर्गत प्रावधानित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन अधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) के प्रतिनिधियों को समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है।
7. मंत्रालय को नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र के स्तर-III पर एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत को अंतर-विभागीय समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिश के आधार पर, संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई कि वे अपने कंटेंट के स्टेटिक और ऑडियो-विजुअल विज्ञापनों (खासकर प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि में, जिन्हें सभी उम्र के लोग देखते-सुनते हैं) में उम्र-सीमा और कंज्यूमर एडवाइस शामिल करें, और ऐप व वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारी की जानकारी ज्यादा प्रमुखता से प्रदर्शित करें। इस संबंध में, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को इन बातों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई, 2023 को एक परामर्शिका भी जारी की गई थी।
8. 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' की धारा 79(3) (बी) के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में आम जनता के लिए अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया है। इस सामग्री में यौन संकेत और कुछ मामलों में नग्नता वाले यौन दृश्यों के लंबे हिस्से शामिल थे, जो प्रकृति में पोर्नोग्राफिक थे। इसमें शायद ही कोई कहानी, थीम या सामाजिक संदर्भ वाला संदेश था। सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अश्लील और भद्दा था, जिसका एकमात्र मकसद कई अनुचित संदर्भों (जैसे पारिवारिक रिश्ते आदि) में नग्नता और यौनता को दिखाना था। इन प्लेटफॉर्मों की सामग्री 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' की धारा 67, 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धारा 294 और 'महिलाओं के अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986' की धारा 4 का उल्लंघन करती पाई

गई। कुछ प्लेटफॉर्मों ने आईटी एक्ट की धारा 67ए का उल्लंघन करते हुए यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित की।

- क. मार्च, 2024 में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई: भारत में आम जनता के लिए 19 वेबसाइट और 10 ऐप (सात गूगल प्ले स्टोर पर, तीन एप्पल ऐप स्टोर पर) बंद कर दिए गए।

ड्रीम्स फिल्मस	वूवी	हॉट-शॉट्स वीआईपी	अनकट अड्डा	ड्राई फिल्मस	एक्स प्राइम
निर्योन एक्सवीआईपी	बेशर्म्स	हंटर्स	रैबिट	एक्स्ट्रा-मूड	न्यूफिल्क्स
मूड एक्स	मोजफिल्क्स	येस्मा	फूगी	चिकूफिल्क्स	प्राइम प्ले

- ख. 23 जुलाई, 2025 को 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई: इन प्लेटफॉर्म से जुड़ी 26 वेबसाइटों और 14 ऐप्स (नौ गूगल प्ले स्टोर पर, पांच एप्पल ऐप स्टोर पर) को भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया गया।

बिग शॉट्स ऐप	देसीफिल्क्स	बूमेक्स	निऑनएक्स वीआईपी	नवारासा लाइट
गुलाब ऐप	कंगन ऐप	बुल ऐप	शोहिट	जलवा ऐप
वाह एंटरटेनमेंट	लुक एंटरटेनमेंट	हिटप्राइम	फुजी	फेनियो
शोएक्स	सोल टॉकीज	अड्डा टीवी	एलटीटी	हॉटएक्स वीआईपी
हलचल ऐप	मूडएक्स	ड्राईफिल्क्स	उल्लू	मोजफिल्क्स

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, 25 प्लेटफॉर्मों में से पांच प्लेटफॉर्म, जिन्हें मार्च, 2024 में सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया गया था, उन्होंने नए डोमेन नामों पर अश्लील सामग्री (कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री) प्रकाशित करना फिर से शुरू कर दिया; इन नए डोमेन को जुलाई, 2025 में सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया गया।

9. **आईटी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत कार्रवाई:** 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' अन्य बातों के साथ केंद्र सरकार को 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' की धारा 69ए में उल्लिखित आधारों, अर्थात् "भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध

के लिए उकसावे को रोकने के लिए" सामग्री को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने में सक्षम बनाते हैं।

सामग्री अवरुद्ध करने के अनुरोध मंत्रालय को भेजने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में नोडल अधिकारियों की एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। कोई भी व्यक्ति 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' की धारा 69ए के अंतर्गत डिजिटल समाचार प्रकाशक या ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित सामग्री को अवरुद्ध करने के संबंध में अपनी शिकायत संबंधित नोडल अधिकारी/अधिकारियों को भेज सकता है। नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय को समय-समय पर फिल्म/वेब-सीरीज में मानचित्रों के गलत चित्रण के संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया से संदर्भ प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में कुछ वेब-सीरीज को हटाया गया और अन्य मामलों में सामग्री को हटाया/संशोधित किया गया। ऐसे मामलों का विवरण इस प्रकार है:

वेब सीरीज/फिल्मों का नाम	प्लेटफॉर्मों का नाम	की गई कार्रवाई
केजीएफ चैप्टर-2	अमेजन प्राइम वीडियो	संबंधित दृश्य को सही किया गया।
जुरासिक वर्ल्ड	अमेजन प्राइम वीडियो	फिल्म में दिखाए गए भारतीय मानचित्र में आवश्यक बदलाव किए गए।
हिस्ट्री 101	नेटफिल्क्स	वेब सीरीज से संबंधित दृश्य हटाया गया।

10. **आगे की कार्रवाई के लिए पीआईबी तथ्य-जांच :** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के तहत एक तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना की। इकाई को सरकारी नीतियों, पहल और योजनाओं से संबंधित गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए या तो स्वतः संज्ञान या शिकायतों के माध्यम से संदर्भित कार्रवाई के तहत निवारण करने का दायित्व सौंपा गया है। तथ्य जांच इकाई को व्हाट्सऐप (+918799711259), ईमेल (pibfactcheck@gmail.com), ट्विटर (@PIBFactCheck) और पीआईबी की वेबसाइट (www.pib.gov.in) के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से संचार/संदेश प्राप्त होते हैं। ये तथ्य-जांच <https://x.com/PIBFactCheck> पर उपलब्ध हैं।

पीआईबी एफसीयू द्वारा तथ्य-जांच की गई सामग्री को 'आईटी नियम, 2021' के नियम 3(1)(बी) के तहत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

11. **परामर्शिकाएं जारी करना:** मंत्रालय नियमों के अंतर्गत आचार संहिता के पालन से संबंधित मामलों पर ओटीटी प्लेटफॉर्मों को नियमित रूप से परामर्शिकाएं जारी करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर स्व-विनियामक निकायों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के साथ नियमित समन्वय और संवाद करता है। मंत्रालय द्वारा हाल में जारी परामर्शिकाएं निम्नानुसार हैं:
- गैंगस्टर्स और अपराधियों पर बायोपिक और डॉक्यूमेंट्री सहित किसी भी फिल्म या वेब सीरीज के प्रकाशन/प्रसारण के संबंध में उचित सावधानी और विवेक बरतने की परामर्शिका। (27 अक्टूबर, 2025)।
 - सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों को पाकिस्तान से उत्पन्न सामग्री बंद करने संबंधी परामर्शिका। (8 मई, 2025)।
 - ओटीटी प्लेटफॉर्मों और स्व-विनियामक निकायों को उनके प्लेटफॉर्मों पर सामग्री प्रकाशित करते समय 'दिव्यांगजन

अधिकार अधिनियम, 2016' तथा 'आईटी नियम, 2021' के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता सहित लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में 22 अप्रैल, 2025 की परामर्शिका।

- ओटीटी प्लेटफॉर्मों और स्व-विनियामक निकायों को भारतीय कानूनों और 'आईटी नियम, 2021' के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता के पालन के लिए 19 फरवरी, 2025 की परामर्शिका।
- मंत्रालय ने मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित स्ट्रीमिंग सामग्री पर ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए दिनांक 26 नवंबर, 2024 को परामर्शिका जारी की है।
- उनके द्वारा प्रकाशित सामग्री से संबंधित विज्ञापनों और अन्य प्रचार सामग्री में आयु-आधारित वर्गीकरण रेटिंग प्रदर्शित करने के संबंध में सलाह जारी की (18 जुलाई, 2023)।
- ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के सरोगेट विज्ञापनों सहित विज्ञापनों पर सलाह दिनांक 13 जून, 2022; 3 अक्टूबर, 2022; 6 अप्रैल, 2023; 25 अगस्त, 2023; 21 मार्च, 2024 को जारी की।

■ ■ ■



माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में '71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह' में सुश्री रानी मुखर्जी को 'मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया।

अवलोकन

प्रसारण क्षेत्र को व्यापक रूप से 'कंटेंट' और 'कैरिज सेवाओं' में वर्गीकृत किया गया है। निजी सैटेलाइट चैनलों की सामग्री तथा मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क का विनियमन 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' और समय-समय पर जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से किया जाता है। प्रसारण कैरिज सेवाओं में मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स-एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह मंत्रालय डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित परिचालनों के लिए लाइसेंस/अनुमति प्रदान करता है।

प्रसारण नीति और विधिक प्रावधान

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)

डीटीएच एक एड्रेसेबल सैटेलाइट-आधारित टीवी कार्यक्रम वितरण प्रणाली है और यह पूरे देश को कवर करती है। डीटीएच सेवाओं में बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल रूप से संपीड़ित, एन्क्रिप्ट और कू-बैंड में उपग्रहों से प्रसारित किया जाता है और डिश एंटीना के माध्यम से ग्राहकों द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है। पहली डीटीएच सेवा वर्ष 2003 में शुरू की गई। वर्तमान में देश में निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या चार है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन भी फ्री-टू-एयर आधार पर अपनी डीटीएच सेवाएं प्रदान कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2022 के आदेश द्वारा भारत में डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) चैनलों और

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे की साझेदारी के संबंध में परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के आठ प्रतिशत की दर से तिमाही आधार पर डीटीएच ऑपरेटरों को देना होगा। पीएस चैनलों के संबंध में कुल चैनल वहन क्षमता के पांच प्रतिशत तक की अनुमति है। डीटीएच ऑपरेटरों को प्रति पीएस चैनल 10,000 रुपये एकमुश्त अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना होगा। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान सभी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में भारतकोष के माध्यम से **618.20 करोड़ रुपये** जमा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए **141.44 करोड़ रुपये** का लाइसेंस शुल्क जनवरी, 2026 में डीटीएच ऑपरेटरों से प्राप्त हुआ है।

हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस)

एचआईटीएस (हिट्स) सेवा उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रित स्वरूप है। एचआईटीएस ऑपरेटर टीवी प्रसारण को उपग्रह पर अपलिंक करता है, जिसे एमएसओ/एलसीओ द्वारा डाउनलिंक किया जाता है और केबल नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचाया जाता है। केबल नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल प्रसारित करने वाले एमएसओ के विपरीत एचआईटीएस (हिट्स) ऑपरेटर उपग्रह के माध्यम से उपभोक्ता को डिजिटल चैनलों की विस्तृत शृंखला, बेहतर तस्वीर गुणवत्ता और किफायती दर पर मूल्य-वर्द्धित सेवाएं प्रदान करते हैं।

वर्तमान में भारत में दो एचआईटीएस ऑपरेटर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अर्थात् मेसर्स हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में एनएक्सटीडिजिटल) और मेसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने छह नवंबर, 2020 के आदेश द्वारा "भारत में हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस)

प्रसारण सेवा प्रदान करने के दिशा-निर्देश दिनांक 26 नवंबर, 2009” में संशोधन किए हैं। ये संशोधन एचआईटीएस ऑपरेटर को मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/एचआईटीएस (हिट्स) ऑपरेटर के साथ एचआईटीएस बुनियादी ढांचे की साझेदारी की अनुमति देते हैं।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से, केबल ऑपरेटरों के अतिरिक्त, अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों के वितरण का एक अन्य माध्यम है। निर्धारित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों को आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्व-घोषणा आवश्यक है।

वर्ष 2025 के दौरान 28 आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं ने आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत की है। वर्तमान में कुल 80 आईपीटीवी सेवा प्रदाता हैं, जिन्होंने आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत की है।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007

‘खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007’ को भारत या विदेश में आयोजित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की पहुंच अधिकतम श्रोताओं और दर्शकों तक फ्री-टू-एयर आधार पर उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(1) (एस) केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कवरेज के लिए राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। यह मंत्रालय समय-समय पर कुछ खेल आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित करता है, ताकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों

को अधिकतम श्रोताओं और दर्शकों तक फ्री-टू-एयर आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 325 (ई) दिनांक 17 जनवरी, 2025 के माध्यम से अनिवार्य चैनलों की सूची से डीडी रेड्रो चैनल को हटाने, दो मौजूदा अनिवार्य डीडी चैनलों के नाम में परिवर्तन, तीन मौजूदा अनिवार्य संसद टीवी चैनलों के नाम में परिवर्तन, संसद टीवी 1 एचडी और चार डीडी एचडी चैनलों (अर्थात् डीडी नेशनल एचडी, डीडी न्यूज एचडी, डीडी स्पोर्ट्स एचडी और डीडी इंडिया एचडी) को अनिवार्य चैनलों की सूची में शामिल करने को अधिसूचित किया है।

वर्तमान में सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा वहन किए जाने वाले 32 अनिवार्य चैनल हैं और 11 क्षेत्रीय अनिवार्य चैनल हैं, जिन्हें संबंधित राज्य के एमएसओ/एलसीओ द्वारा वहन किया जाना है, जिनसे वे क्षेत्रीय चैनल संबंधित हैं।

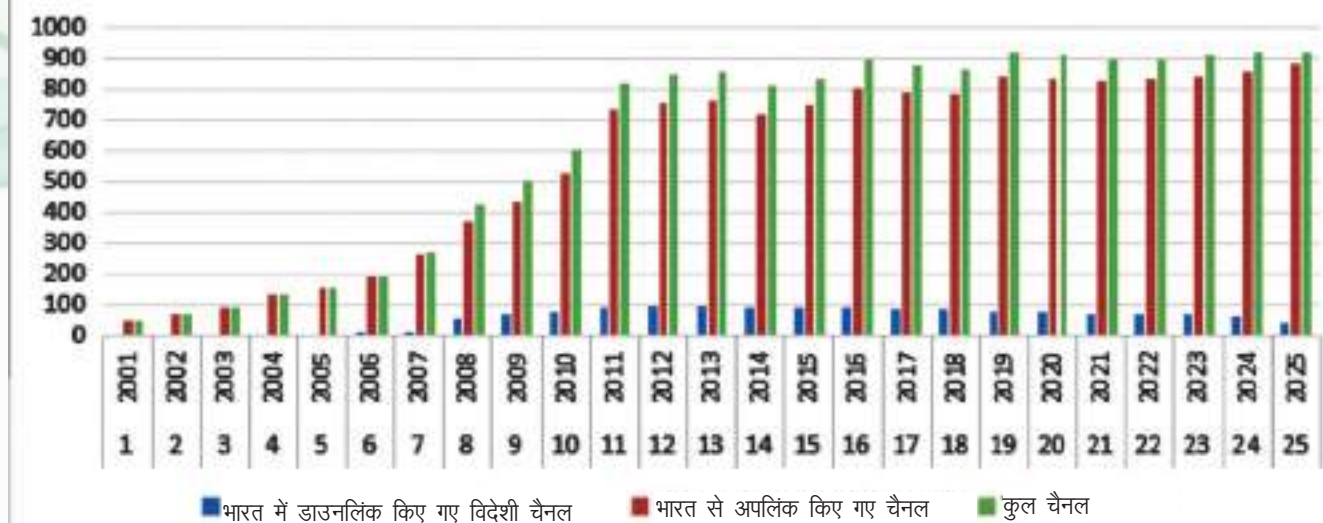
भारत में निजी सैटेलाइट टीवी चैनल

भारत में पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को वर्ष 2000 में भारत से अपलिक करने की अनुमति दी गई थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2002 में अपलिकिंग और वर्ष 2005 में डाउनलिकिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों को बाद में दिसंबर, 2011 में संशोधन किया गया और नवीनतम संशोधन नवंबर, 2022 में किया गया। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

टेलीविजन चैनलों की वृद्धि

पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल ‘आज तक’ को वर्ष 2000 में अनुमति दी गई थी। तब से भारत में निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों का समूह तेज गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में 31 दिसंबर, 2025 तक भारत में 920 अनुमत टीवी चैनल हैं।

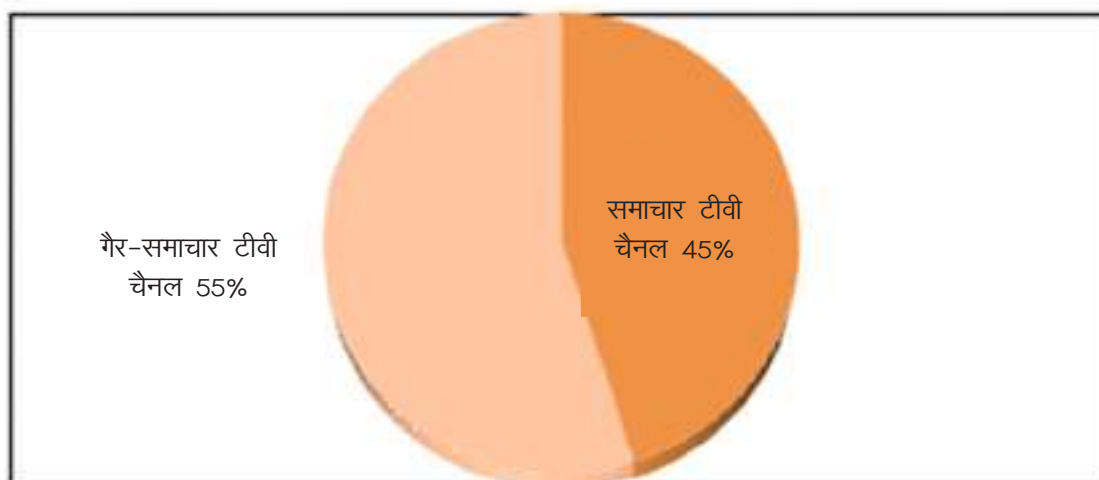
2001 से अनुमत चैनलों की संख्या



मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों की केवल दो श्रेणियों—‘समाचार और समसामयिक विषयों के टीवी चैनल’ तथा ‘गैर-समाचार और समसामयिक विषयों के टीवी चैनल’—के संचालन की अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त कुल चैनलों में समाचार और गैर-समाचार चैनलों की संख्या क्रमशः 415 और 505 है।

श्रेणीवार अनुमत चैनल

अनुमत टीवी चैनल-समाचार बनाम गैर-समाचार



ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल

ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अंतर्गत प्रसारण विंग के स्वचालन योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रसारण लाइसेंस/अनुमतियों/पंजीकरणों आदि के आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल समाधान विकसित करना और कंप्यूटरीकृत वेब-आधारित प्रणाली स्थापित करना था। योजना का फोकस आवेदक को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए एकल-बिंदु सुविधा प्रदान करना था। पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं शामिल थीं:

- निजी सैटेलाइट टीवी चैनल
- टेलीपोर्ट ऑपरेटर
- मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)
- निजी एफएम चैनल
- स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)

अब मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नए फीचर्स जोड़ने और एक ओर प्रसारकों के आवेदनों के प्रसंस्करण में शामिल एजेंसियों के साथ सुगम इंटरफेस तथा दूसरी ओर मंत्रालय में ऐसे आवेदनों के कुशल प्रसंस्करण की सुविधा के लिए पुनर्संरचित किया है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

हितधारकों के लिए विशेषताएं:

- i. नई अनुमतियों, नवीनीकरण, नाम/लोगो/टेलीपोर्ट/सैटेलाइट आदि में परिवर्तन के लिए एंड-टू-एंड प्रसंस्करण आवेदन प्रक्रिया को सक्षम बनाना।
- ii. भुगतान प्रणाली (भारतकोष), ई-ऑफिस और अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकरण।
- iii. विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)।
- iv. एकीकृत हेल्पडेस्क और डाटा सेंटर।
- v. डीटीएच ऑपरेटरों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और डिजिटल मीडिया तक विस्तार।

- vi. उपयोगकर्ता पंजीकरण और अद्यतन।
- vii. शुल्क गणना और भुगतान, आवेदन फॉर्म और स्थिति ट्रैकिंग, पत्र/आदेश डाउनलोड करना, हितधारकों को अलर्ट (एसएमएस/ई-मेल)।

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) वेब पोर्टल <https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/> पर ऑनलाइन दायर आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/स्थिति भी देख सकती हैं।

टीवी चैनलों का कंटेंट विनियमन

'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' के अनुसार निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों को 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' तथा उसके अंतर्गत बनाए गए 'केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994' में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत शिकायत निवारण संरचना

'केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994' में 17 जून, 2021 की अधिसूचना द्वारा 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021' के रूप में संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' के प्रावधानों के अनुसार निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की परिवेदनाओं/शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

संशोधित नियम प्रसारकों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के पालन को सुनिश्चित करने और उससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित तीन-स्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) का प्रावधान करते हैं:

- क. स्तर I – प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;
- ख. स्तर II – प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन; और
- ग. स्तर III – केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

‘केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021’ के नियम 19 और 20 के अनुसार, प्रसारकों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के पालन में समन्वय और सुविधा प्रदान करने तथा निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 14 जुलाई, 2021 के आदेश द्वारा एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया।

आईडीसी का पुनर्गठन 29 मई, 2025 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव/अपर सचिव को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों—महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, जो ‘केबल टेलीविजन

नेटवर्क नियम, 1994’ के नियम 6 और 7 में परिभाषित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की सुनवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों जैसे गैर-सरकारी सदस्य (विषय विशेषज्ञ) भी आईडीसी में शामिल हैं।

वर्ष 2025 के दौरान 17 जून, 2025 को आईडीसी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 13 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें सिफारिशों की गईं और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई।

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान टीवी चैनलों को जारी सामान्य परामर्श निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विषय-वस्तु	परामर्श जारी करने की तारीख
1.	दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए राष्ट्रपति के संबोधन और गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री को सांकेतिक भाषा सहित प्रसारित करने संबंधी परामर्श।	23 जनवरी, 2025
2.	सभी मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज दिखाने से बचने संबंधी परामर्श।	26 अप्रैल, 2025
3.	दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री को सांकेतिक भाषा सहित प्रसारित करने संबंधी परामर्श।	11 अगस्त, 2025
4.	राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रमों का सांकेतिक भाषा अनुवाद सहित प्रसारण संबंधी परामर्श।	30 अक्टूबर, 2025
5.	हाल की घटनाओं से संबंधित संवेदनशील सामग्री के प्रसारण संबंधी परामर्श।	18 नवंबर, 2025

पीजी पोर्टल पर शिकायत याचिकाएं

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सामग्री से संबंधित 398 शिकायत याचिकाओं का निपटान किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2008 में स्थापित मीडिया संगठन है, जो देश में प्रसारित सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री की निगरानी करता है ताकि ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995’ के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन का पता लगाया जा सके।

स्पष्ट उल्लंघनों का पता चलने के बाद ईएमएमसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव (बीसी) की अध्यक्षता में स्कूटनी समिति के माध्यम से मामले की जांच करता है, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित मीडिया संस्थानों को स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किए जाते हैं। अग्रिम जांच की आवश्यकता वाले मामले उचित कार्रवाई के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) को भेजे जाते हैं।

ईएमएमसी डिश फार्म, आरएफ डाउनलैंक रूम, स्टोरेज रूम और डीटीएच रूम जैसी सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे के माध्यम से निगरानी करता है। यह

वास्तविक समय में अनुमत सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की सामग्री को रिकॉर्ड करता है और भविष्य की जांच के लिए 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग को संग्रहित रखता है।

केंद्र के पास 900 तक टेलीविजन चैनलों की सामग्री को प्राप्त, रिकॉर्ड, संग्रहित और पुनः प्राप्त करने की क्षमता है और यह 24x7 तीन-शिफ्ट तंत्र के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी करता है।

सामुदायिक रेडियो

1. अवलोकन

सामुदायिक रेडियो (सीआर), लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग, रेडियो प्रसारण का एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम-शक्ति वाले रेडियो स्टेशन होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाना है। दिसंबर, 2002 में भारत सरकार ने सुव्यवस्थित शैक्षणिक संस्थानों को सीआरएस स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी। नीति दिशा-निर्देशों में 2006 में संशोधन किया गया और 2017, 2018, 2022 तथा 2024 में आगे संशोधन किए गए, जिनके माध्यम से सिविल सोसाइटी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत सोसाइटियों, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों, गैर-लाभकारी किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों

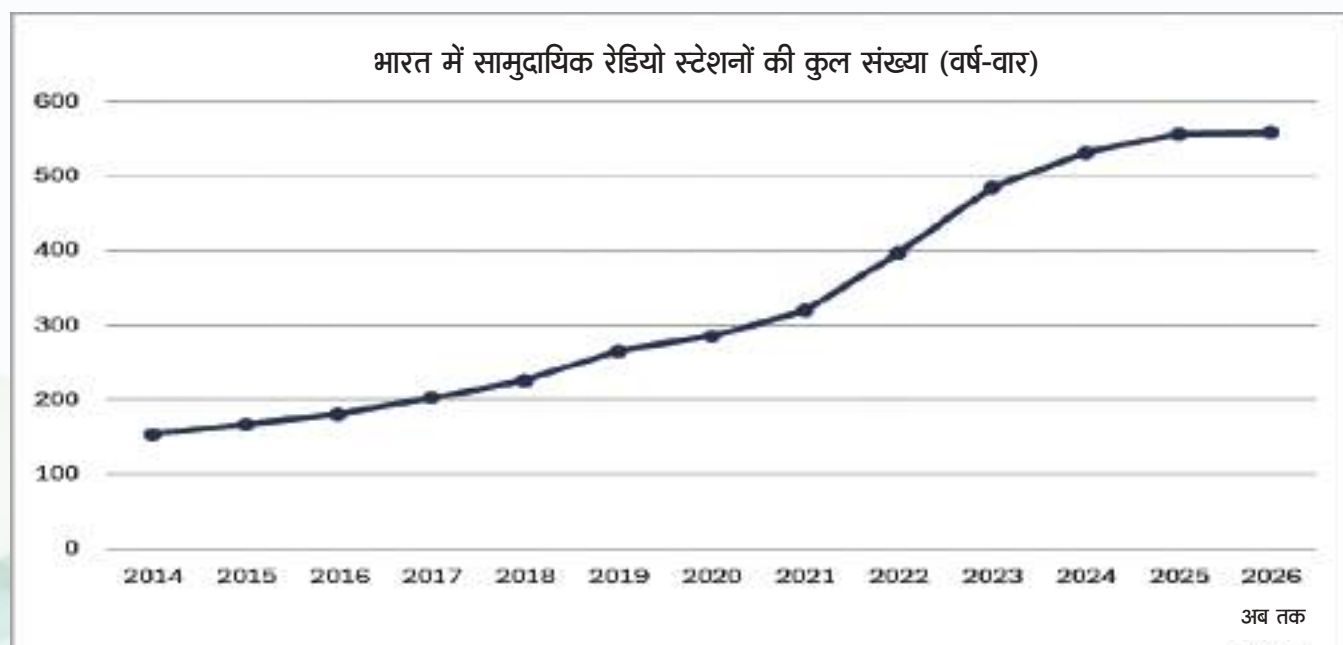
(एसएयू), आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वायत्त निकायों आदि जैसे समुदाय-आधारित संगठनों को सीआरएस का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई।

सामुदायिक रेडियो समुदायों को स्थानीय भाषाओं और बोलियों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे मुद्दों पर स्थानीय आवाजों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और पारंपरिक गीतों को संरक्षित करके और स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करके स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के भंडार के रूप में कार्य करता है। 19 जनवरी, 2026 तक कुल 558 परिचालनरत कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के साथ इस क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है।

2. भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति:

श्रेणी	सीआरएस की संख्या
गैर-सरकारी संगठन	328
शैक्षणिक संस्थान	208
केवीके, एसएयू, स्वायत्त निकाय आदि	22
कुल	558

परिचालनरत सीआरएस की वृद्धि का ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:



मंत्रालय की भूमिका और कार्य

सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निम्नलिखित भूमिका और कार्य करता है:

- i. सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन देने के लिए “भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन” नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 2026-2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
- ii. मंत्रालय योजना के अंतर्गत नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), मौजूदा सीआरएस के उपकरणों के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और सीआरएस के लिए आपातकालीन अनुदान हेतु अनुदान-सहायता प्रदान करता है।
- iii. सामुदायिक रेडियो नीति को बढ़ावा देने और पात्र संगठनों को नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पूरे भारत में, विशेषकर सीआर डार्क क्षेत्रों में, सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- iv. सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने वाले संगठनों को एक मंच पर लाने, सहकर्मि शिक्षण, अनुभवों के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक ज्ञान-साझेदारी की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
- v. स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने, नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता और सीआर के लिए स्थिरता मॉडल स्थापित करने में अच्छा कार्य करने वाले सीआरएस को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

मंत्रालय की नई पहल

- i. “भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन” योजना को वित्त वर्ष 2026-31 के लिए अगले पांच वर्षों तक बढ़ाया गया है।
- ii. सीआरएस की श्रोता संख्या, पहुंच, प्रभावशीलता और वित्तीय स्थिरता से संबंधित रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

मंत्रालय द्वारा गतिविधियां

- i. राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मई, 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया।

- ii. सामुदायिक रेडियो (सीआर) डार्क क्षेत्रों में पांच सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- iii. दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और एक क्षेत्रीय सम्मेलन फरवरी, 2026 में आयोजित करने की योजना है।
- iv. 36 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

एफएम क्षेत्र

1. एफएम रेडियो देशभर में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा माध्यमों में से एक है। विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत विविध सामग्री को लोगों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है और यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने का संभावित माध्यम भी बन गया है।
2. मंत्रालय का एफएम सेल भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह कार्य 7 जुलाई, 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार की चरण-III नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
3. सरकार ने जुलाई, 1999 में मुख्यतः राज्यों की राजधानियों सहित 12 शहरों में 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों के साथ एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला। वर्ष 2005 में शुरू की गई एफएम चरण-II योजना के अंतर्गत 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 86 शहरों में 245 निजी एफएम चैनल परिचालन में आए, जिनमें चरण-I से स्थानांतरित 21 चैनल भी शामिल थे।
4. एफएम रेडियो की पहुंच को और बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को एफएम चरण-III नीति दिशा-निर्देशों की घोषणा की। इसका उद्देश्य एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों के 11 सीमावर्ती शहरों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है, में भी निजी एफएम रेडियो का विस्तार करना था। एफएम रेडियो चरण-III के अंतर्गत ई-नीलामी के दो बैच पूरे होने के बाद मंत्रालय ने देशभर में 162 और चैनल जोड़े। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती

क्षेत्रों भद्रवाह, कठुआ और पुंछ में निजी एफएम रेडियो चैनल परिचालन में लाए गए हैं।

5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए अपूरित शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच तथा निजी एफएम चरण-III नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे 10 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया। सरकार ने कुल 19 कंपनियों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पूर्व-अर्ह घोषित किया। ई-नीलामी 9-10 जुलाई, 2025 को आयोजित हुई। कुल मिलाकर 43 नए शहरों में 63 चैनल बेचे गए। सफल बोलीदाताओं से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क अर्थात् सफल बोली राशि प्राप्त होने के बाद 28 अगस्त, 2025 को उन्हें आशय-पत्र (एलओआई) जारी किए गए।
6. 31 दिसंबर, 2025 तक देश के 26 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में 385 एफएम रेडियो चैनल परिचालन में हैं।

पारदर्शिता उपाय और पर्यवेक्षण

- क. एफएम रेडियो चैनलों की अनुमति कंपनियों को आरोही ई-नीलामी के आधार पर दी जाती है। निजी प्रसारकों से तिमाही लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।
- ख. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण “ब्रॉडकास्ट सेवा” ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है, ताकि विभिन्न अनिवार्य दस्तावेजों तथा लाइसेंस शुल्क और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का संग्रह किया जा सके।
- ग. एफएम चरण-III नीति दिशा-निर्देशों और निजी प्रसारकों के साथ हस्ताक्षरित अनुमति अनुदान समझौते (जीओपीए) में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय रेडियो स्टेशनों और कॉमन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करता है।

सरकार को राजस्व प्राप्ति

- क. सरकार को निजी प्रसारकों से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क, अप्रतिदेय एकमुश्त माइग्रेशन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।
- ख. वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो प्रसारण की शुरुआत

से 31 दिसंबर, 2025 तक देश में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क, अप्रतिदेय एकमुश्त माइग्रेशन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व लगभग 7088.31 करोड़ रुपये है।

डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम (डीएस)

i) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण

वर्ष 2025 के दौरान 87 एमएसओ पंजीकरण प्रदान किए गए। दिसंबर, 2025 तक कुल 774 पंजीकरण दिए जा चुके हैं। वर्ष के दौरान 88 एमएसओ के पंजीकरण रद्द भी किए गए। एमएसओ पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से की जा रही है।

ii) प्लेटफॉर्म सेवा चैनल पंजीकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर “मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश” 30 नवंबर, 2022 को जारी किए गए, जो 1 दिसंबर, 2023 से प्रभावी हुए। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य केबल ऑपरेटरों द्वारा अपने नेटवर्क पर प्रसारित स्थानीय सामग्री को विनियमित करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि केबल ऑपरेटरों की नेटवर्क क्षमता का प्राथमिक उपयोग पंजीकृत टीवी चैनलों के वितरण के लिए हो। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की स्थानीय सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए एमएसओ हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। पीएस दिशा-निर्देश पीएस चैनलों की सामग्री के संबंध में कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के पालन, 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग रखने आदि को अनिवार्य बनाते हैं और पायरेसी से मुकाबले में सहायक हैं। वर्ष 2025 के दौरान 1,506 पीएस चैनलों को पंजीकरण प्रदान किया गया।

iii) स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) पंजीकरण

- क. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994’ में संशोधन करते हुए राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 65(ई) दिनांक 17 जनवरी, 2025 जारी की। अब एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। पंजीकरण की वैधता और शुल्क को क्रमशः एक वर्ष और 500 रुपये से बढ़ाकर पांच वर्ष और

5,000 रुपये कर दिया गया है। उन्हें पूरे भारत में संचालन की अनुमति भी दी गई है। इन संशोधनों के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी (डीएस) को एलसीओ के लिए पंजीकरण प्राधिकारी बनाया गया है। आधार, पैन, सीआईएन, डीआईएन आदि सहित आवेदक विवरणों के सफल सत्यापन के बाद एलसीओ पंजीकरण प्रमाण-पत्र वास्तविक समय में जारी किए जा रहे हैं।

ख. वर्ष 2025 में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से 24,056 एलसीओ को पंजीकरण प्रदान किया गया।



प्रसार भारती

परिचय

प्रसार भारती का गठन 'प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990' के अंतर्गत 23 नवंबर, 1997 से एक वैधानिक निगम के रूप में किया गया। आकाशवाणी (पूर्व में ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। प्रसार भारती को जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन प्रदान करने तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रसारण सेवा के आयोजन और संचालन का दायित्व सौंपा गया है।

बदलते समय के साथ प्रसार भारती डिजिटल उन्मुख प्लेटफॉर्मों की "मीडिया कन्वर्जेंस" की प्रगतिशील और परिवर्तनकारी धारा में आगे बढ़ा है। प्रसार भारती यूट्यूब और मोबाइल ऐप "NewsOnAIR" जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों को विविध सामग्री उपलब्ध कराता है। प्रसार भारती अपने कंटेंट और कार्यक्रमों/समाचारों से संबंधित अद्यतन जानकारी के प्रसार के लिए फेसबुक, X आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग करता है।

लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती अपने दायित्वों का वैधानिक अनुपालन करने और प्रतिस्पर्धी वातावरण

में व्यावसायिक रूप से सक्षम बने रहने के बीच संतुलन रखने का प्रयास कर रहा है। प्रसार भारती वर्तमान में अपने रेडियो नेटवर्क के माध्यम से देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र और 98 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता है तथा टीवी नेटवर्क के सैटेलाइट मोड के माध्यम से लगभग 100 प्रतिशत पहुंच रखता है। देशभर में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती के पास वर्तमान में 591 आकाशवाणी प्रसारण प्रतिष्ठान और 66 दूरदर्शन केंद्र हैं।

उद्देश्य

उपधारा (2) के अनुसार, प्रसार भारती को दिया गया अधिदेश संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है:

- देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।
- जनहित के सभी मामलों पर नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष तथा संतुलित सूचना प्रवाह प्रस्तुत करना।
- शिक्षा और साक्षरता प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- विविध संस्कृतियों, खेल-कूद और युवा मामलों को पर्याप्त कवरेज देना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगार वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा प्रसारण सुविधाओं और प्रसारण प्रौद्योगिकी के विकास का विस्तार करना।

प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती का शीर्ष स्तर पर संचालन प्रसार भारती बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसे निगम के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, दिशा-निर्देशन और प्रबंधन के अधिकार प्राप्त हैं। प्रसार भारती बोर्ड

में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की अधिकतम आयु, जो पहले हो, तक होता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। सामान्यतः प्रसार भारती बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम-से-कम छह बार आयोजित होती हैं। योजना के कार्यान्वयन को छोड़कर सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में, जहां शक्तियों का प्रत्यायोजन अलग से निर्धारित है, पूर्ण वित्तीय शक्तियां बोर्ड के पास निहित होती हैं।

संगठनात्मक व्यवस्था

आकाशवाणी की संगठनात्मक संरचना

आकाशवाणी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। उनकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशक (एडीजी) तथा इंजीनियरिंग विंग में इंजीनियर-इन-चीफ करते हैं। समाचार विंग के प्रमुख प्रधान महानिदेशक (समाचार) होते हैं। महानिदेशक, आकाशवाणी देशभर में स्थापित आकाशवाणी के सभी संस्थानों की नीति-निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन तथा संचालन और रखरखाव गतिविधियों के पर्यवेक्षण आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

आकाशवाणी को कार्यक्रमों के भौगोलिक कवरेज के आधार पर पांच कार्यक्रम जोनों में विभाजित किया गया है—उत्तर जोन (मुख्यालय दिल्ली), दक्षिण जोन (मुख्यालय चेन्नई), पूर्व जोन (मुख्यालय कोलकाता), पश्चिम जोन (मुख्यालय मुंबई) और पूर्वोत्तर जोन (मुख्यालय गुवाहाटी)। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय जोन भी बनाया गया है। प्रत्येक जोन में एडीजी/डीडीजी जोनल हेड (कंटेंट संचालन), जोनल हेड (ब्रॉडकास्ट संचालन) और जोनल हेड (प्रशासन) के रूप में कार्य करते हैं।

दूरदर्शन की संगठनात्मक संरचना

दूरदर्शन के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। उनकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशक तथा इंजीनियरिंग विंग में इंजीनियर-इन-चीफ करते हैं। समाचार विंग

के प्रमुख प्रधान महानिदेशक (समाचार) होते हैं। महानिदेशक, दूरदर्शन, देशभर में दूरदर्शन व्यवस्था के नीति-निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन तथा संचालन और रखरखाव गतिविधियों के पर्यवेक्षण आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

दूरदर्शन के पांच कार्यक्रम जोन, भौगोलिक कवरेज के आधार पर, दिल्ली (उत्तर जोन), मुंबई (पश्चिम जोन), चेन्नई (दक्षिण जोन), कोलकाता (पूर्व जोन) और गुवाहाटी (पूर्वोत्तर जोन) में हैं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम जोन महानिदेशक को रिपोर्ट करता है। समानांतर रूप से परियोजना और रखरखाव के लिए भौगोलिक कवरेज आधारित पांच इंजीनियरिंग जोन और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग जोन हैं।

वर्ष 2025 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां

आकाशवाणी

राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रमों के कवरेज/प्रसारण में से कुछ कार्यक्रमों/प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

- संसद के बजट सत्र का कवरेज।
- प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय के प्रमुख समाचार बुलेटिनों और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के बुलेटिनों में कवर किया गया। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मासिक प्रसारण को व्यापक प्रचार दिया। 'मन की बात' के एपिसोड के अनूदित संस्करण उर्दू, चीनी और फारसी जैसी भाषाओं में भी प्रसारित किए गए।
- 10 फरवरी, 2025 को 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी-2025) के आठवें संस्करण का सीधा प्रसारण, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया।
- 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'स्वच्छ भारत' अभियान दो बड़े अभियान हैं, जिनका सभी आकाशवाणी स्टेशन योजनाओं की शुरुआत से ही व्यापक प्रचार कर रहे हैं।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 29 अक्टूबर, 2025 को आकाशवाणी भवन के रंग भवन सभागार में माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा "भारतीय अंतरिक्ष

यात्रा - नई सीमाओं की खोज में” विषय पर स्मृति व्याख्यान दिया गया।

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी ने अपना प्रतिष्ठित वार्षिक डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान “वर्तमान समय में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के विचारों की प्रासंगिकता” विषय पर प्रसारित किया, जिसे लोकसभा के माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे ने दिया।

दूरदर्शन

- लोक सेवा प्रसारण की भूमिका निभाते हुए चुनावी जागरूकता और सूचित भागीदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ‘लोकसभा चुनाव 2024’ के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी) श्रेणी में ईसीआई मीडिया पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 25 जनवरी, 2025 को ‘15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर माननीया राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।
- दर्शकों को आकर्षित करने के लिए “सरदार – द गेम चेंजर”, “हम तो मिडिल क्लास हैं जी”, “साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना”, “काकभुशुण्डि रामायण”, “फौजी 2”, “भेद भरमः रहस्यों का मायाजाल”, “जहां चांद रहता है- सीजन 2”, “रजनी 2.0” जैसे कई नए कार्यक्रम शुरू/प्रसारित किए गए।
- दूरदर्शन ने ‘इफ्फी 2026’ और इसरो प्रक्षेपणों से लेकर प्रयागराज में ‘महाकुंभ 2025’ के व्यापक कवरेज तक कई महत्वाकांक्षी आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग (ओबी) पहल की।
- दूरदर्शन ने Battle of Bands, Battle of Bands – International, Symphony of India और ‘वाह उस्ताद’ जैसे संगीत आधारित रियलिटी शो/चुनौतियों के प्रसारण के साथ ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज’ सफलतापूर्वक पूरा किया। इसने भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को मजबूत करने तथा वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित प्रथम ‘विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन’ (वेक्स) के सीधे प्रसारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा प्रसारित “Krish Trish and Baltiboy: Bharat Hain Hum” कार्यक्रम का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम “मन की

बात” में किया। सीजन 1 का प्रसारण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सीजन 2 के एपिसोड 1 दिसंबर, 2024 से प्रसारित हुए और वर्ष 2025 में जारी रहे।

- ‘प्रयागराज महाकुंभ’ (13 जनवरी-26 फरवरी 2025) का हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष पैकेज, ग्राउंड रिपोर्ट, लाइव कवरेज, विशेष साक्षात्कार, स्टोरी, वृत्तचित्र आदि के साथ नियमित कवरेज किया गया।
- प्रयागराज में स्थापित डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी) व्यवस्था से डीडी न्यूज और डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनलों पर ‘महाकुंभ’ का दैनिक लाइव कवरेज संभव हुआ। अमृत स्नान के दिनों में लाइव कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मल्टी-कैमरा सेटअप और लाइव कार्यक्रमों के लिए स्टूडियो स्थापित किया गया।
- फरवरी, 2025 के दौरान “दिव्य-भव्य महाकुंभ” की व्यापक थीम के अंतर्गत कवरेज के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित रहे:
 - “एक थाली, एक थैला” अभियान, NaMo ऐप पवेलियन, संविधान पवेलियन, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, कुंभ के समापन के बाद स्वच्छता अभियान आदि पर वॉइस-ओवर पैकेज चलाए गए।
 - कुंभ के आध्यात्मिक महत्व की पड़ताल करने वाला विशेष वृत्तचित्र “River of Faith” भी निर्मित और प्रसारित किया गया।
 - अमृत स्नान के दिनों (बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि) पर दिन के महत्व को रेखांकित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया, जिनमें आयोजन के दौरान लाइव इनपुट भी शामिल थे।
 - महाकुंभ आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और हस्तियों, महाकुंभ के सह-संयोजक राकेश जैन, आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य तथा प्रशासन, पुलिस, रेलवे, हवाई अड्डा प्राधिकरण आदि के अधिकारियों के साथ विशेष बातचीत प्रसारित की गई।
 - माननीया राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भूटान के महामहिम राजा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं और पवित्र स्नान को भी उचित कवरेज दिया गया।

- 'महाकुंभ 2025' के सफल समापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ब्लॉग को भी प्रमुखता से कवर किया गया।
- नियमित ग्राउंड रिपोर्टों में अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं और आगंतुकों सहित लोगों की प्रतिक्रियाओं को प्रमुखता से दिखाया गया।
- प्रयागराज, गंगा नदी, समुद्र मंथन, मौनी अमावस्या, आस्था का महासागर, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, बड़े हनुमान जैसे फिलर भी इस अवधि में नियमित रूप से चलाए गए।
- 'काशी तमिल संगमम 3.0' (15 से 24 फरवरी, 2025) ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के माध्यम से भारत के उत्तर और दक्षिण के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के विभिन्न पहलुओं का उत्सव मनाया। डीडी न्यूज ने 'काशी तमिल संगमम 2025' के 10-दिवसीय तीसरे संस्करण का व्यापक और आकर्षक कवरेज सुनिश्चित किया।
- दूरदर्शन ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स और सोशल मीडिया उपस्थिति को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूरदर्शन ने यूट्यूब, फेसबुक, X और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों के अब छह मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

वर्ष 2025 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां

आकाशवाणी

आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। रिपोर्ट अवधि के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क 591 स्टेशनों तक बढ़ गया। ट्रांसमीटरों की कुल संख्या बढ़कर 754 (121 मीडियम वेव, सात शार्टवेव और 626 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन) हो गई है, जो देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र में फैली 98 प्रतिशत जनसंख्या को कवरेज प्रदान करते हैं। इसमें लगभग 8-10 किलोमीटर त्रिज्या के स्थानीय कवरेज के लिए स्थापित 100 वाट के 292 एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल हैं।

i. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधियां

- आकाशवाणी उज्जैन (मध्य प्रदेश) में अंतरिम बहुउद्देशीय

स्टूडियो सुविधा का उद्घाटन 26 नवंबर, 2025 को किया गया।

- आकाशवाणी धनबाद में 100 मीटर टावर की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसईटीसी) पूरी की गई और 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर अब पूर्ण क्षमता पर चल रहा है।
- ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बाइंड) योजना के अंतर्गत डीएसएनजी वैन 14 अगस्त, 2025 को आकाशवाणी दिल्ली को सौंपी गई। वैन स्टेशन पर संतोषजनक सेवा दे रही है।

ii. कमीशनिंग के लिए तैयार इंस्टॉलेशन

- भुज (गुजरात) में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित होकर परीक्षाधीन है।
- जैसलमेर (राजस्थान) में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर अंतरिम एंटीना व्यवस्था पर स्थापित और परीक्षण किया गया।
- शिमोगा (कर्नाटक) और कुंभकोणम (तमिलनाडु) में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित कर डमी लोड/अस्थायी एंटीना प्रणाली पर परीक्षण किया गया।

iii. कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाएं

- जगदलपुर, अंबाजोगाई और सहरसा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित कर डमी लोड पर परीक्षण किए गए हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं।
- नए एफएम विस्तार के अंतर्गत पांच किलोवाट डिजिटल-संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित 24 प्रसारण ट्रांसमीटरों की (1+1) कॉन्फिगरेशन, ऑटोमैटिक चेंजओवर यूनिट और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं सहित आपूर्ति का आदेश दिया गया है।
- एक किलोवाट डिजिटल-संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित 15 प्रसारण ट्रांसमीटरों की (1+1) कॉन्फिगरेशन, ऑटोमैटिक चेंजओवर यूनिट और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं सहित आपूर्ति की प्रक्रिया चल रही है।
- जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटेनरयुक्त पांच किलोवाट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटरों के पांच सेट तथा संबंधित उपकरणों/वस्तुओं की आपूर्ति प्रक्रिया में है। कंटेनराइजेशन टेंडर प्रक्रिया में है।

- 22 स्थानों पर 100/50 मीटर एसएस टावरों की डीएसईटीसी स्थापना में 11 स्थानों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 11 स्थानों का कार्य चालू योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है।
- एफएम मोनो और स्टीरियो मॉड्यूलेशन मॉनीटर की 48 संख्या की आपूर्ति का आदेश दिया गया है और आपूर्ति प्रक्रिया में है।
- समाचार उत्पादन उपकरणों के संवर्द्धन के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों को टेलीप्रॉम्प्टर, 4 इनपुट 4जी/5जी मोबाइल न्यूज गैदरिंग यूनिट तथा डीडी नेटवर्क के लिए मैनुअल टेलीस्कोपिक स्टैंड वाले स्पीच प्रॉम्प्टर प्रदान किए गए।
- लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं को एचडी में उन्नत करने के अंतर्गत:

iv. डीडी और एआईआर चैनलों का फेसलिफ्ट

- विभिन्न जनों में 34 स्थानों पर आकाशवाणी स्टूडियो का नवीनीकरण किया जा रहा है; 10 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है और 24 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- 38 स्थानों पर नए एसी प्लांट की स्थापना/प्रतिस्थापन में 22 स्थानों पर स्थापना पूर्ण हुई और 16 स्थानों पर कार्य प्रक्रिया में है।
- 15 स्थानों पर 25 केवीए/62.5 केवीए जेनसेट स्थापित किए गए।
- 33 स्थानों पर विजुअल रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रक्रिया में है।
- यूएचडी फील्ड प्रोडक्शन सुविधा को बढ़ाने के लिए आठ कैमरों वाली नेटिव यूएचडी मल्टी-फॉर्मेट मोबाइल प्रोडक्शन सुविधाओं (ओबी वैन) की एसआईटीसी प्रदान की गई है।
- यूएचडी फील्ड प्रोडक्शन सुविधा को बढ़ाने के लिए 32 कैमरों और पांच तक स्टैंडअलोन कॉन्फिगरेशन वाली पूरी तरह से निर्मित और स्वीकृत नेटिव यूएचडी मॉड्यूलर फ्लाय पैक ओबी यूनिट उपलब्ध कराई गई।
- कंटेंट नवाचार हेतु प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वर्टिकल कॉलम और ट्रैक पर रोबोटिक नियंत्रित कैमरा, स्टूडियो के लिए ऑटोमेटेड क्रेन, डीडीके दिल्ली और सीपीसी दिल्ली में 12 कैमरों वाली नेटिव यूएचडी मल्टी-फॉर्मेट मोबाइल प्रोडक्शन सुविधाएं (ओबी वैन/ट्रक) का एसआईटीसी, डायरेक्ट व्यू एलईडी वीडियो वॉल का एसआईटीसी प्रदान किया गया है।

दूरदर्शन

- i. जनवरी, 2025 से दिसंबर 2025 तक प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:
 - दूरदर्शन चैनलों के दर्शकों के आंकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न डीडी केंद्रों को डीडी चैनलों हेतु एचडी बार्क वाटर मार्किंग सिस्टम प्रदान किए गए।
 - कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को एचडी में स्वचालित और आधुनिक बनाने के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों को इंटरचेंजेबल लेंस और एक्सेसरीज वाले 4K कैमरे, यूएचडी/एफएचडी/एचडी ईएनजी कैमरा यूनिट, पेशेवर गुणवत्ता वाले कैमरे, लेंस, रिकॉर्डिंग सिस्टम और एक्सेसरीज, यूपीएस सिस्टम, एक्टिव वीडियो वॉल के लिए मीडिया सर्वर, माइक्रोफोन, फोन-इन कंसोल (श्रेणी ए और बी), 32 इनपुट और 16 आउटपुट वाला, 2 एमई मल्टीफॉर्मेट वीडियो मिक्सर, वितरण और कंट्रीब्यूशन आईपी स्ट्रीमर-कम-डिकोडर उपलब्ध कराए गए।
- दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनलों के फेसलिफ्ट के अंतर्गत विभिन्न डीडी केंद्रों को 3 एमई विजन मिक्सर, यूएचडी/4K कैमरा चैनल, डिजिटल ऑडियो मिक्सर, 32 पोर्ट इंटरकॉम/टॉकबैक सिस्टम, डीडीके हैदराबाद में चार कैमरा एमसीयू यूनिट, मल्टी-पर्पज कन्वर्टर, ग्राफिक सिस्टम और वर्चुअल सेट, समाचार स्टूडियो के लिए विशेष लाइट्स, वर्टिकल कॉलम और ट्रैक पर रोबोटिक नियंत्रित कैमरा, डच हेड और ट्रैक वाले कैमरा जिब, बॉक्स लेंस के साथ 3जी एचडी-एसडीआई कैमरा चैनल (पुनः आदेश) और 4जी/5जी मोबाइल न्यूज गैदरिंग यूनिट (पुनः आदेश) उपलब्ध कराए गए।
- ii. डीडी फ्री डिश
 - “डीडी फ्री डिश” प्रसार भारती की फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा है, जो देश में बिना किसी मासिक सदस्यता शुल्क के मुफ्त उपलब्ध है। डीडी फ्री डिश के सिग्नल देश में

छोटे आकार की कम लागत वाली डिश रिसीव यूनिट की मदद से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीडी चैनलों और विभिन्न विधाओं के निजी चैनलों के 'डीडी फ्री डिश' पर उपलब्ध होने से दर्शकों को शैक्षिक चैनलों सहित विविध प्रकार के चैनलों का बेहतर विकल्प मिलता है।

बाजार अनुमान के अनुसार 40 मिलियन से अधिक परिवारों के पास ऐसे सेट टॉप बॉक्स हैं, जो डीडी फ्री डिश डीटीएच चैनलों को प्राप्त कर सकते हैं। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म वर्ष 2014 में 59 टीवी चैनलों से बढ़कर वर्तमान में 162 चैनलों तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती ने शैक्षिक डीटीएच चैनलों के प्रसारण के संबंध में भारत सरकार के भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान {बीआईएसएजी (एन)} के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के दायरे में प्रसार भारती के अंतर्गत वर्तमान में 320 सह-ब्रांडेड शैक्षिक चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं।

वेक्स - प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म

प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेक्स' को 20 नवंबर, 2024 को 'भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (इफ्फी) में लॉन्च किया गया, ताकि लीनियर प्रसारण चैनलों से आगे डिजिटल पहुंच का विस्तार किया जा सके। लोक सेवा डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित 'वेक्स', भारत के लोक प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच को ऑन-डिमांड और मोबाइल-फर्स्ट मीडिया वातावरण तक बढ़ाता है।

'वेक्स' टेलीविजन, रेडियो, अभिलेखीय और मौलिक डिजिटल सामग्री को एकीकृत स्ट्रीमिंग इंटरफेस में जोड़ता है तथा देश और विदेश में नागरिकों को विश्वसनीय, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सूचनात्मक कार्यक्रमों तक पहुंच मजबूत करता है।

1. कार्यनीतिक संदर्भ

इस प्लेटफॉर्म का विकास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के व्यापक डिजिटल आधुनिकीकरण रोडमैप के अनुरूप है, जिसके तहत प्रसार भारती भारत के लोक सेवा प्रसारक के रूप में कार्य करता है। प्लेटफॉर्म के कार्यनीतिक उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लीनियर प्रसारण से आगे बढ़कर ओटीटी स्ट्रीमिंग में विस्तार करना।
- मुफ्त और सुलभ लोक सेवा सामग्री प्रदान करना।

- अभिलेखीय संपत्तियों का डिजिटल संरक्षण और मुद्रीकरण करना।
- भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना।
- विज्ञापन-समर्थित, विस्तार योग्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

2. ओवर द टॉप (ओटीटी) सेवाएं

'वेक्स' को एक व्यापक डिजिटल गंतव्य के रूप में डिजाइन किया गया था जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

क. लाइव स्ट्रीमिंग:

- दूरदर्शन चैनल,
- ऑल इंडिया रेडियो सेवाएं,
- क्षेत्रीय और विषयगत चैनल, अन्य समाचार और मनोरंजन चैनल।

ख. लाइव इवेंट:

- खेल,
- राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय आयोजन,
- प्रधानमंत्री के प्रसारण।

ग. वीडियो-ऑन-डिमांड:

- क्लासिक दूरदर्शन धारावाहिक,
- समाचार फीचर और जन-जागरूकता सामग्री,
- फिल्में,
- शो तथा 300 से अधिक भागीदारों की समकालीन सामग्री।

घ. ऑडियो-ऑन-डिमांड:

- पॉडकास्ट और विषयगत ऑडियो श्रृंखलाएं,
- संगीत,
- फीचर,
- नाटक।

ड. पत्रिकाएं/ई-बुक्स

- पीडीपी पुस्तकें/पत्रिकाएं/आवधिक प्रकाशन,
- ई-गेम्स,
- फोटो एल्बम,
- ई-शॉपिंग।

3. प्रदर्शन की प्रमुख बातें (कैलेंडर 2025)

- दिसंबर, 2025 तक 88 लाख (8.8 मिलियन) से अधिक डाउनलोड।
- वर्ष के दौरान 44 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता।
- मेट्रो और टियर-II/III शहरों में इसका व्यापक प्रसार हो रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे पारंपरिक प्रसारण प्लेटफॉर्मों से कहीं आगे तक प्रसार भारती की डिजिटल उपस्थिति काफी विस्तृत हो गई है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासी भारतीयों द्वारा उपयोग में वृद्धि।

4. राजस्व और मुद्रिकरण ढांचा

व्यावसायिक सदस्यता-आधारित ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विपरीत, 'वेक्स' लोक सेवा आधारित विज्ञापन-समर्थित मॉडल का अनुसरण करता है।

i. राजस्व स्रोत

- डिजिटल विज्ञापन।
- सैटेलाइट चैनलों के साथ राजस्व-साझेदारी।
- पे-पर-व्यू (पीपीवी) प्रयोगात्मक सामग्री मॉडल।
- कार्यनीतिक कंटेंट साझेदारियां।

ii. पे-पर-न्यू (पीपीवी) पायलट पहल (2025)

अक्टूबर, 2025 में प्रसार भारती ने पीपीवी कंटेंट सोर्सिंग नीति पायलट शुरू किया, जिसका उद्देश्य है:

- स्वतंत्र सृजनकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- सत्यापित दर्शक संख्या से पारिश्रमिक को जोड़ना।

- लोक प्रसारक ढांचे के भीतर सृजनकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- यह मॉडल लोक सेवा दायित्व और डिजिटल स्थिरता के बीच संतुलन बनाने वाला मिश्रित मुद्रिकरण प्रयोग है।

5. साझेदारियां और कंटेंट विस्तार

- स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउसों को जोड़ा गया।
- सैटेलाइट टीवी चैनलों को राजस्व-साझेदारी समझौतों के अंतर्गत आमंत्रित किया गया।
- कार्यनीतिक सहयोग से मनोरंजन और युवा-केंद्रित कंटेंट लाइब्रेरी का विस्तार हुआ।
- डिजिटल पुनःप्रकाशन के लिए अभिलेखीय डिजिटलीकरण पहल में तेजी आई।
- दूरदर्शन, आकाशवाणी, एनएफडीसी, स्वतंत्र निर्माता, प्रोडक्शन हाउस और कंटेंट एग्रीगेटर/सिंडिकेटर सहित लगभग 300 कंटेंट भागीदार।
- हर माह 60-75 नए शीर्षकों का नियमित समावेश, जिससे कंटेंट का निरंतर नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ।

6. प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना

- क्लाउड-आधारित कंटेंट डिलिवरी अवसंरचना।
- एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग।
- मोबाइल-फर्स्ट अनुकूलन।
- बेहतर कंटेंट मेटाडेटा और खोज-योग्यता।
- उच्च-ट्रैफिक राष्ट्रीय आयोजनों के लिए विस्तार योग्य बैकएंड।
- 100 प्रतिशत प्लेटफॉर्म अपटाइम।
- बहुत कम बफरिंग और स्ट्रीमिंग विफलता दर।
- उच्च-ट्रैफिक लाइव आयोजनों के दौरान निरंतर प्रदर्शन।

7. लोक सेवा प्रभाव

- सरकारी योजनाओं और जनकल्याण संबंधी जानकारी का प्रसार।
- भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय कलाओं और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देना।

- गलत सूचना के दौर में विश्वसनीय समाचार तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- भारत की डिजिटल लोक अवसंरचना को मजबूत करना।

वैश्विक आउटरीच

प्रसार भारती का वैश्विक आउटरीच विंग विदेशी देशों के लोक सेवा प्रसारकों/संगठनों के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर जैसी अंतरराष्ट्रीय संबंध गतिविधियों को देखता है। यह विदेशी प्रसारकों की प्रसार भारती के सभी वर्टिकल में आधिकारिक यात्राओं, विदेशी एमओयू भागीदारों तथा एबीयू, एआईबीडी आदि अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संघों के लिए देश में/उप-क्षेत्रीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के आयोजन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों में अधिकारियों की भागीदारी को सुगम बनाता है।

अवधि के दौरान प्रसार भारती द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू/समझौते

क्र. सं.	देश	प्रसारक	हस्ताक्षर की तारीख	उद्देश्य
1.	भारत	आईआईटी दिल्ली	27 मार्च, 2025	2025, 2026 और 2027 के लिए राष्ट्रीय रोबोकॉन प्रतियोगिता “डीडी रोबोकॉन” का आयोजन।
2.	रूस	रशिया टुडे (आरटी) टेलीविजन	8 जुलाई, 2024 को हस्ताक्षरित, परिशिष्ट 5 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया।	कार्यक्रमों का आदान-प्रदान; समाचार कवरेज, कर्मियों/प्रशिक्षण का आदान-प्रदान।
		रूसी संघ की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी गैज़प्रोम-मीडिया होल्डिंग	5 दिसंबर, 2025	कार्यक्रमों का आदान-प्रदान; समाचार कवरेज, कर्मियों/प्रशिक्षण का आदान-प्रदान।
		टीवी ब्रिक्स	5 दिसंबर, 2025	प्रसारण क्षेत्र में सहयोग को विकसित और मजबूत करने हेतु रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान।
		बिग एशिया	5 दिसंबर, 2025	प्रसारण क्षेत्र में सहयोग को विकसित और मजबूत करने हेतु रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान।
		नेशनल मीडिया ग्रुप (एनएमजी)	5 दिसंबर, 2025	प्रसारण क्षेत्र में सहयोग को विकसित और मजबूत करने हेतु रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान।
3.	जर्मनी	डॉयचे वेले (डीडब्ल्यू)	5 जुलाई, 2025	डीडी चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेजी विज्ञान पत्रिका “इको इंडिया” के प्रसारण हेतु समझौता ज्ञापन को 7 जुलाई, 2025 से 6 जुलाई, 2026 तक एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया।
		डॉयचे वेले	20 नवंबर, 2025	प्रसार भारती और डॉयचे वेले (डीडब्ल्यू) जर्मनी के बीच “मंथन” कार्यक्रम से संबंधित एमओयू 20 नवंबर, 2025 को एक वर्ष की वैधता के लिए हस्ताक्षरित, जिसके तहत डीडब्ल्यू की हिन्दी विज्ञान पत्रिका “मंथन” को दूरदर्शन पर प्रसारित करने के अधिकार बढ़ाए गए।

1. **रूस के साथ एमओयू:** भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 5 दिसंबर, 2025 को प्रसार भारती और रूस के प्रसारकों (बिग एशिया मीडिया ग्रुप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी गैज़प्रोम-मीडिया होल्डिंग, नेशनल मीडिया ग्रुप, टीवी ब्रिक्स और एशिया टुडे टीवी) के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता के पांच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर के बाद रूसी प्रसारकों ने शिष्टाचार बैठक के लिए प्रसार भारती का दौरा किया।
2. **प्रसार भारती के सीईओ और एडीजी (ग्लोबल आउटरीच) की राजदूतों/विदेशी प्रसारकों के साथ बैठकें और भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा:** डीडी इंडिया चैनल को बढ़ावा देने और प्रसारण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ/एडीजी (जीओ) ने डॉयचे वेले जर्मनी, स्पुतनिक, रूस; नेशनल मीडिया ग्रुप, रूस; आईटीवी, अमेरिका; बिग एशिया, रूस; गैज़प्रोम, रूस आदि विदेशी प्रसारकों और विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ ऑनलाइन/भौतिक बैठकें कीं, ताकि प्रसारण के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा और खोज की जा सके।
 - **डॉयचे वेले, जर्मनी:** 29 जनवरी, 2025 को डॉयचे वेले के महानिदेशक के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रसार भारती का दौरा किया और प्रसार भारती के सीईओ और ग्लोबल आउटरीच अनुभाग के अधिकारियों से सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।
 - **रॉसिया सेगोडन्या/स्पुतनिक न्यूज, रूस:** स्पुतनिक की प्रमुख सुश्री ओल्गा लिसोगोरे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 फरवरी, 2025 को प्रसार भारती का दौरा किया और प्रसार भारती के सीईओ तथा महानिदेशक (समाचार) से सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। सीईओ ने प्रतिनिधिमंडल को 'वेक्स 2025' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
 - **बिग एशिया, रूस:** बिग एशिया मीडिया, रूस के महानिदेशक के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19 मार्च, 2025 को प्रसार भारती का दौरा किया और दोनों प्रसारकों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए सीईओ, प्रसार भारती से मुलाकात की।
 - **गैज़प्रोम मीडिया, रूस:** रूस के गैज़प्रोम मीडिया के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 को प्रसार भारती के सीईओ से मुलाकात की और कंटेंट कैटलॉग साझा करने, "सर्वाइव इन इंडिया" परियोजना के सह-निर्माण और 'वेक्स शिखर सम्मेलन' में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में चर्चा की।
 - **आईटीवी, अमेरिका:** 10 जुलाई, 2025 को प्रसार भारती के अध्यक्ष और आईटीवी, अमेरिका के अध्यक्ष के बीच सामग्री-साझाकरण और अमेरिका में डीडी इंडिया चैनल के वितरण पर बैठक हुई। निर्णय हुआ कि आईटीवी स्थानीय केबल ऑपरेटर के माध्यम से अमेरिका में डीडी इंडिया चैनल के वितरण में सहायता करेगा।
 - **नेशनल मीडिया ग्रुप, रूस:** 17 सितंबर, 2025 को प्रसार भारती सचिवालय में कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, पारस्परिक इंटरनशिप, अनुभव और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान तथा मीडिया क्षेत्र में पारस्परिक एकीकरण पर बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल ने 18 सितंबर, 2025 को डीडी न्यूज का भी दौरा किया, जिसमें दोनों के बीच समाचार और समसामयिक विषयों में संभावित सहयोग पर चर्चा की गई।
 - **डॉयचे वेले, जर्मनी:** 16 दिसंबर, 2025 को प्रसार भारती सचिवालय में सीईओ, प्रसार भारती और डॉयचे वेले, जर्मनी के वरिष्ठ वितरण कार्यकारी, दक्षिण एशिया के बीच प्रस्तावित नए एमओयू पर केंद्रित बैठक हुई। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कंटेंट एक्सचेंज, ओटीटी सहयोग, न्यूज फीड साझा करना और विशेष रूप से एआई अनुप्रयोगों सहित प्रसारण नवाचारों पर कर्मचारी प्रशिक्षण शामिल थे।
3. **एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू), एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) और प्रशिक्षण कार्यक्रम**
 - **डीडी रोबोकॉन 2025 आईआईटी दिल्ली में:** प्रसार

भारती, आईआईटी दिल्ली और एसटीपीआई ने 12-13 जुलाई, 2025 को आईआईटी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय एबीयू रोबोकॉन की घरेलू प्रतियोगिता “डीडी रोबोकॉन 2025” का सह-आयोजन किया। आयोजन का विषय “रोबोट बास्केटबॉल” था। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न हिस्सों से 40 टीमों ने भाग लिया। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने घरेलू प्रतियोगिता जीती और अगस्त, 2025 में उलानाबातर, मंगोलिया में ‘एबीयू रोबोकॉन 2025’ की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रसार भारती, भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोनों दिनों का कार्यक्रम प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया।

- **एआईबीडी एशिया मीडिया समिट (एएमएस):** सीईओ, प्रसार भारती के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-24 जुलाई, 2025 को सिएम रीप, कंबोडिया में 20वें एआईबीडी एशिया मीडिया समिट और प्री-समिट कार्यशालाओं में भाग लिया। सीईओ, प्रसार भारती एआईबीडी महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने उद्घाटन समारोह में विशेष टिप्पणी दी तथा प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘वेक्स’ पर प्रस्तुति दी।
- **50वां वार्षिक सम्मेलन/23वां एआईबीडी महासम्मेलन एवं संबंधित बैठकें, 2025:** सीईओ, प्रसार भारती के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-21 अगस्त, 2025 को फुकेट, थाईलैंड में आयोजित महासम्मेलन तथा संबद्ध बैठक में भाग लिया। महासम्मेलन के दौरान चुनाव हुए और भारत को सबसे अधिक मतों के साथ एआईबीडी के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।
- सीईओ, प्रसार भारती और अध्यक्ष एआईबीडी महासम्मेलन ने 20 अगस्त, 2025 को फुकेट में आयोजित 23वें एआईबीडी महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बल दिया कि एशिया-प्रशांत में मीडिया को विश्वसनीय और प्रासंगिक बने रहना चाहिए तथा एआईबीडी मिशन के केंद्र में निहित सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों को बनाए रखना चाहिए।



ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसे 24 मार्च, 1995 को ‘कंपनी अधिनियम, 2013’ (पूर्व में ‘कंपनी अधिनियम, 1956’) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। इसका स्वामित्व भारत के राष्ट्रपति के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव तथा संयुक्त सचिव के माध्यम से है।

कंपनी की स्थापना प्रारंभ में रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग, प्रसारण अवसंरचना की स्थापना, कंटेंट प्रोडक्शन सुविधाओं, स्थलीय, उपग्रह एवं केबल प्रसारण सहित भारत और विदेशों में परियोजना परामर्श सेवाएं तथा संपूर्ण टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी।

अब कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आईटी/आईसीटी/आईटीईएस, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस (जैसे सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, इंट्रूजन डिटेक्शन आदि), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन, निगरानी एवं विश्लेषण (जिसमें सेंटिनल एनालिटिक्स, काउंटर ड्रोन/यूएवी आदि शामिल हैं) जैसे कार्यनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है। गतिविधियों में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग, परामर्श सेवाएं, तकनीकी ऑडिट, मीडिया विश्लेषण, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल इंडिया से संबंधित परियोजनाएं, स्मार्ट सर्विलांस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ऑडियो-वीडियो एवं डाटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, संचालन एवं अनुरक्षण,

जनशक्ति उपलब्ध कराना, एमसी तथा पूर्ण टर्नकी परियोजनाएं शामिल हैं।

बेसिल का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में, कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में तथा क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं। बेसिल अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए अनेक राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है।

प्रमुख परियोजनाएं / व्यावसायिक गतिविधियां

1. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीय स्तर का पीएसीएस सॉफ्टवेयर

बेसिल भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर की 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 320 करोड़ रुपये है। मार्च, 2027 तक पीएसीएस के लिए आधुनिक ईआरपी-आधारित मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना नाबार्ड के अंतर्गत संचालित होगी। यह देशव्यापी डिजिटलीकरण त्वरित ऑडिट, निर्बाध एकीकरण, पारदर्शिता, दक्षता तथा 13 करोड़ से अधिक किसानों के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करेगा।

2. भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

बेसिल, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के डिजाइन एवं उसकी स्थापना हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है, जहां विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ये सुविधाएं विशेष रूप से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स), गेमिंग, कॉमिक्स, इमर्सिव मीडिया एवं वर्चुअल प्रोडक्शन जैसे उन्नत पाठ्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं, जो एवीजीसी-एक्सआर पारिस्थितिकी

तंत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के आईआईसीटी के मिशन के अनुरूप हैं।

प्रधानमंत्री के “क्रिएट इन इंडिया” दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत को वैश्विक एवीजीसी-एक्सआर केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, विस्तारित वास्तविकता (एक्सआर) आदि क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजित किए जाने का अनुमान है। यह एवीजीसी-एक्सआर मिशन ‘वेक्स 2025’ के दौरान प्रारंभ किया गया। बेसिल अपनी आईटी/आईसीटी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए इस परिवर्तनकारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रहा है, जिससे भारत रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित हो सके। इस परियोजना की लागत 66.56 करोड़ रुपये है (एसआईटीसी कार्य पूर्ण तथा ओएंडएम कार्य प्रगति पर है)।

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के लिए “सड़क सुरक्षा अभियान” का क्रियान्वयन

बेसिल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) को उसके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रव्यापी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान “सड़क सुरक्षा अभियान” के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया। यह ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता पहल’ लगभग 45 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से संचालित की गई। “परवाह” थीम और “परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे” टैगलाइन के साथ चलाए गए इस अभियान ने सक्रिय जनसहभागिता को बढ़ावा दिया, समुदाय-आधारित संचार को सशक्त किया तथा प्रवर्तन-केंद्रित संदेशों से व्यवहार परिवर्तन आधारित संदेशों की ओर महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित किया।

4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में उभरती प्रौद्योगिकियों हेतु उत्कृष्टता केंद्र प्रयोगशालाओं की स्थापना

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), जालंधर ने पेशेवर सेवाओं की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु बेसिल को नियुक्त किया। यह परियोजना उन्नत अवसंरचना तथा अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना से संबंधित है, जिसमें (i) 5जी और उससे आगे, (ii) साइबर सुरक्षा, (iii) इलेक्ट्रिक वाहन; (iv) मोबाइल अनुप्रयोग विकास तथा (v) उन्नत कक्षा स्तर पर स्मार्ट कक्षा सहित अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। बेसिल ने सफलतापूर्वक “5जी एवं उससे आगे के लिए उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान अवसंरचना” की स्थापना की। इस परियोजना का मूल्य 39 करोड़ रुपये है।

5. हरियाणा राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों एवं पुलिस चौकियों में संबंधित अवसंरचना सहित सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (एचपीएचसी) की सीसीटीवी परियोजना, जिसका मूल्य लगभग 106 करोड़ रुपये है, के अंतर्गत हरियाणा राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों एवं पुलिस चौकियों में व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों तथा संबंधित अवसंरचना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (एसआईटीसी) की गई है। परियोजना में संबंधित अवसंरचना तथा पांच वर्षों के संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) का प्रावधान भी शामिल है।

स्थापित सीसीटीवी प्रणालियों को करनाल, हरियाणा स्थित केंद्रीकृत कमांड एवं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएचएमएस) से एकीकृत किया गया है तथा उनकी वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। इससे संचालन और अनुरक्षण अवधि के दौरान केंद्रीकृत निगरानी, प्रणाली स्वास्थ्य मॉनिटरिंग तथा सेवा सतर समझौते (एसएलए) पर आधारित परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

6. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र अभियंता

भारतनेट डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), दूरसंचार विभाग

द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी आबाद ग्राम पंचायतों, गांवों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

बेसिल को पैकेज-3 के लिए स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किया गया है, जिसमें (1) कर्नाटक, गोवा एवं पुदुचेरी, (2) केरल, (3) असम, (4) पूर्वोत्तर-I (मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय) तथा (5) पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर) शामिल हैं। स्वतंत्र अभियंता के रूप में बेसिल सत्यापन, लेखा-परीक्षण, निरीक्षण, स्वीकृति परीक्षण तथा चालान प्रसंस्करण आदि के लिए उत्तरदायी है।

यह परियोजना बीएसएनएल द्वारा नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतनेट कार्यक्रम के संशोधित चरण के तहत क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना का मूल्य 144 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) है।

7. भारतनेट चरण-II के क्रियान्वयन हेतु तृतीय पक्ष एजेंसी तमिलनाडु में

तमिलनाडु फाइबरनेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैनफिनेट), भारतनेट चरण-II परियोजना को तमिलनाडु राज्य के लगभग 12,525 ग्राम पंचायतों में 388 ब्लॉकों तक उच्च गति फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के डिजिटल ढांचे को सुदृढ़ करना तथा ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी समुदायों के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना है।

बेसिल को इस परियोजना के लिए ऑडिट एजेंसी नियुक्त किया गया है, ताकि गुणवत्ता आश्वासन, पारदर्शिता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बेसिल की जिम्मेदारियों में सर्वेक्षण रिपोर्टों की तकनीकी जांच एवं सत्यापन, स्वीकृत विनिर्देशों के अनुरूप सामग्री एवं उपकरणों का निरीक्षण और प्रमाणीकरण

तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, उपकरणों (सक्रिय एवं निष्क्रिय) की स्थापना तथा स्टेट नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर के एकीकरण सहित परियोजना क्रियान्वयन का आवधिक निरीक्षण, सत्यापन और प्रमाणीकरण शामिल है। इस परियोजना का मूल्य **34 करोड़ रुपये** (जीएसटी सहित) है।

8. हिमाचल प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल कक्षाओं एवं डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना

बेसिल ने हिमाचल प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल कक्षाओं एवं डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना हेतु **13 करोड़ रुपये** मूल्य की परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। इस पहल का उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत तथा छात्र-केंद्रित शिक्षण वातावरण का निर्माण करके डिजिटल शिक्षण को सुदृढ़ बनाना और शिक्षा की पहुंच में सुधार करना है।

डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ई-पुस्तकों, संदर्भ सामग्री, ऑडियो पुस्तकों तथा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग द्वारा उनके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है।

9. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार के विद्यालयों में व्यापक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तैनाती

बेसिल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की ओर से बिहार के सरकारी विद्यालयों में 32,43,590 शिक्षण-अधिगम सामग्री की आपूर्ति हेतु **138 करोड़ रुपये** मूल्य की परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया।

इस पहल ने लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तैनाती के माध्यम से कक्षा शिक्षण तथा डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान एवं न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा दिया।

10. प्रथम वैश्विक विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स-2025) का आयोजन

बेसिल, 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन' (वेक्स 2025) के अंतर्गत आयोजित कर्टेन रेज़र कार्यक्रम, ग्लोबल मीडिया डायलॉग तथा 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' (इंडिया: ए बडर्स आई व्यू चैलेंज) जैसे आयोजनों के संचालन में क्रियान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में निकटता से जुड़ा रहा।

'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' के अंतर्गत पूरे भारत में जनसंपर्क अभियान चलाए गए, प्रतिभागियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों एवं देशों से हितधारकों तथा प्रतिनिधियों को 'वेक्स शिखर सम्मेलन' में आमंत्रित किया गया।

11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी), सूचना भवन, नई दिल्ली में स्थापित एवी लॉगिंग एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था का उन्नयन

बेसिल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) द्वारा एवी (ऑडियो/वीडियो) लॉगिंग एवं मॉनिटरिंग प्रणाली के संपूर्ण उन्नयन हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 900 टीवी चैनलों की लॉगिंग एवं मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक 365×24×7 परिचालन डाटा सेंटर सुविधा स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली में उच्च क्षमता वाले सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क स्विच, संबंधित परिधीय उपकरण तथा उन्नत मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का एकीकरण किया गया है, जिससे 24×7 टीवी चैनलों की फीड का निरंतर रिकॉर्डिंग एवं 90 दिनों तक सुरक्षित भंडारण संभव हो सके।

यह व्यवस्था टेलीविजन सामग्री की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाएगी तथा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, समाधान में डिजास्टर

रिकवरी के माध्यम से अतिरिक्त बैकअप व्यवस्था भी शामिल है, जिसके अंतर्गत 300 महत्वपूर्ण चैनलों की 24x7 फीड को 90 दिनों तक क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत **46.86 करोड़ रुपये** है।

12. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु 50-वॉट ट्रांसमीटर एवं 2-बे फोल्डेड डाइपोल एंटीना का उत्पादन एवं आपूर्ति (मेक इन इंडिया उत्पाद)

बेसिल देश में निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सोसाइटियों तथा सरकारी विद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना हेतु परामर्श एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये सेवाएं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से लेकर परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन तक उपलब्ध कराई जाती हैं। बेसिल स्थापित सुविधा से के तकनीकी संचालन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

बेसिल ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए मोनो और स्टीरियो दोनों मोड में एक स्वदेशी एफएम ट्रांसमीटर और एक डाइपोल एंटीना का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। यह पहल भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णतः स्वदेशी निर्माण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और प्रसारण अवसंरचना के घरेलू क्षमता विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। ट्रांसमीटर और एंटीना के उत्पादन से कुल प्राप्त राजस्व लगभग **19 करोड़ रुपये** है।

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2025-26 के लिए	वर्ष 2011 से अब तक
1.	एफएम सीआरएस स्टेशनों की स्थापना हेतु बेसिल का तकनीकी समर्थन	16 स्टेशन	280 स्टेशन
2.	सीआरएस को आपूर्ति किए गए एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या	30 संख्या	438 संख्या
3.	आपूर्ति किए गए एफएम फोल्डेड डाइपोल एंटीना की संख्या	20 संख्या	231 संख्या

13. ई-गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन

- भारत के प्रेस महापंजीयक के लिए प्रेस सेवा पोर्टल
बेसिल ने भारत के प्रेस महापंजीयक के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के उन्नयन की परियोजना को निष्पादित किया है, जिसमें मानव संसाधन सहित वेब-आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। परियोजना का मूल्य **सात करोड़ रुपये** है।

- केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए ई-गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन
बेसिल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए “सीबीसी स्वचालन परियोजना” को लागू किया है, जिसका उद्देश्य मीडिया योजना एवं ई-बिलिंग प्रणाली सहित सामग्री प्रबंधन का केंद्रीकृत और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया था। परियोजना का मूल्य **28 करोड़ रुपये** है।

14. स्व-समर्थित स्टील लैटिस टॉवर के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग

बेसिल ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और महाराजगंज में एफएम प्रसारण हेतु 100 मीटर ऊंचे स्व-समर्थित लैटिस स्टील टॉवर के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी, इंफोकॉम तथा अहमदाबाद एसेट के विभिन्न परियोजनाओं के लिए 57 स्थानों पर स्व-समर्थित लैटिस स्टील टावरों के रखरखाव का कार्य भी पूरा कर लिया।

15. केबल क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का केंद्रीकृत रिपॉजिटरी के माध्यम से विकास

बेसिल ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विकास एजेंसी के सहयोग से स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के विकास का

सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल बेसिल द्वारा विकसित और प्रबंधित एक ऑनलाइन अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग की एएमसी अवधि वर्ष 2029 तक है। नेशनल रजिस्टर फॉर एलसीओ, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का एक मॉड्यूल है, जिसका उपयोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एलसीओ पंजीकरण के लिए किया जाता है।

16. ओडिशा पुलिस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मिलित चेहरे की पहचान प्रणाली

इस परियोजना में एक एकीकृत चेहरे की पहचान प्रणाली के साथ पुलिस स्टेशन स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, मोबाइल स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, तथा ओडिशा पुलिस के लिए पाम प्रिंट लाइव स्कैनिंग समाधान का कार्यान्वयन शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है। यह समाधान केंद्रीकृत आपराधिक और नागरिक बायोमेट्रिक डेटाबेस के आधार पर व्यक्तियों के वास्तविक समय बायोमेट्रिक डेटा अधिग्रहण, मिलान और पहचान को सक्षम बनाता है।

17. आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर में स्मार्ट कैम्पस नेटवर्क अवसंरचना समाधान विकास मॉडल एवं रखरखाव परियोजना का डिजाइन और कार्यान्वयन

बेसिल ने स्मार्ट कैम्पस नेटवर्क अवसंरचना समाधान विकास मॉडल जैसे संचार नेटवर्क, सुरक्षित कैम्पस, कैम्पस प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा ग्रीन एनर्जी समाधानों के डिजाइन और कार्यान्वयन हेतु परियोजना को निष्पादित किया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर के लिए की गई है। परियोजना की लागत 15.36 करोड़ रुपये है।

18. महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में डिजिटल साइनेज डिस्प्ले प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना और संचालन

बेसिल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की अवसंरचना/अस्पतालों/महाविद्यालयों/संस्थानों में पांच वर्षों के लिए डिजिटल साइनेज समाधानों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और

हस्तांतरण (डीबीओटी) हेतु परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। बेसिल ने महाराष्ट्र भर के 26 चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में डीबीओटी मॉडल पर इस परियोजना को लागू किया है।

19. उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

बेसिल ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। कार्य के दायरे में एक मजबूत और उच्च-रिजॉल्यूशन निगरानी नेटवर्क की तैनाती शामिल थी।

20. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के लिए प्रबंधित सेवा मॉडल पर वेब-आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), डिजास्टर रिकवरी और क्लाउड आधारित समाधान

बेसिल, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) बेसिल क्लाउड होस्टिंग और डिजास्टर रिकवरी सहायता के साथ एक वेब-आधारित ईआरपी प्रणाली प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य एनटीए अधिकारियों के लिए प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र तथा निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करके एनटीए की समग्र गतिविधियों का स्वचालन करना है। ईआरपी समाधान और डिजास्टर रिकवरी साइट दोनों को क्लाउड पर विभिन्न भूकंपीय भौगोलिक स्थानों में होस्ट किया जाएगा, जहां सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का एक कार्यशील इंस्टेंस तथा एनटीए परिसर में डेटाबेस उपलब्ध होगा।

21. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान के लिए राज्य विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति और कार्यान्वयन

बेसिल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए एक व्यापक राज्य विश्वविद्यालय

प्रबंधन प्रणाली लागू कर रहा है, जिसके तहत राजस्थान के सभी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, छात्रों और कर्मचारियों को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाया जा रहा है। यह वेब-आधारित समाधान एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वचालन तथा डिजिटल लेन-देन को सक्षम बनाता है।

22. कर्मचारियों की जनशक्ति नियुक्ति एवं परिनियोजन-पश्चात प्रबंधन

बेसिल ने स्वयं को ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए व्यापक

जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने वाले एक अग्रणी सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया है। देशभर में कार्यरत बेसिल विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों आदि की कर्मचारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संगठन के पास एक समर्पित मानव संसाधन विभाग है, जो बहु-श्रेणी के पेशेवर, तकनीकी, गैर-तकनीकी, उच्च-कुशल, कुशल, अर्द्ध-कुशल तथा अकुशल कर्मियों की भर्ती और नियुक्ति का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है।

■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 2 मई, 2025 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित 'वेक्स' कार्यक्रम के दौरान क्रिएटिव अवॉर्ड सेरेमनी को संबोधित करते हुए।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने 21 जून, 2025 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित 11वें 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' समारोह में भाग लिया।



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

अवलोकन

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में की गई थी, ताकि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय फिल्म उद्योग के समेकित विकास की योजना बनाई जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके और संगठित किया जा सके।

भारत सरकार के वर्ष 2020 के निर्णय के अनुसार चार फिल्म मीडिया इकाइयों, अर्थात् फिल्म प्रभाग (एफडी), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ

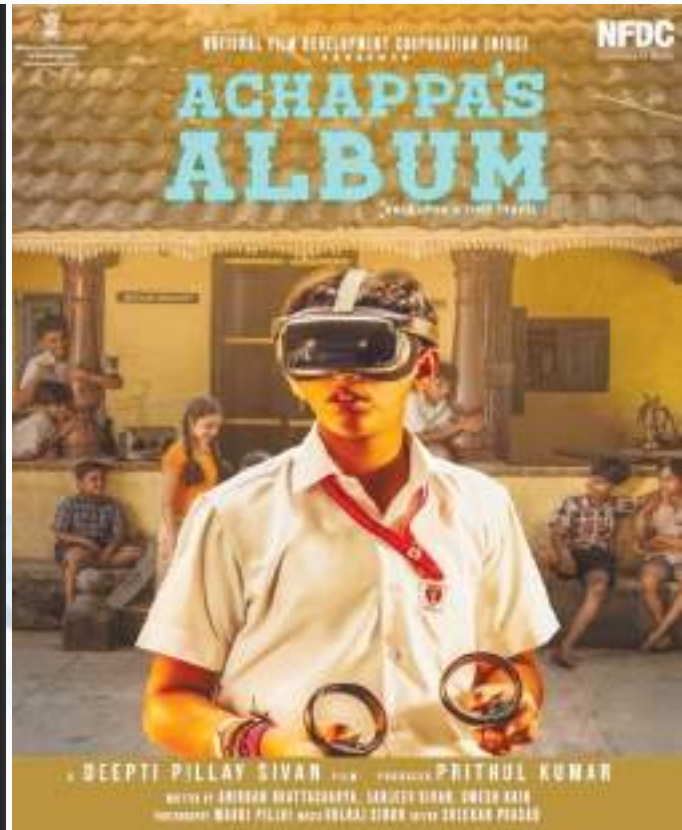
इंडिया (एनएफआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में किया गया। अब सीएफएसआई, एफडी, डीएफएफ और एनएफआई के सभी कार्य 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी रूप से एनएफडीसी के साथ एकीकृत हैं।

पूर्ण रूप से एकीकृत निगम के रूप में एनएफडीसी अब भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सशक्त बनाने की स्थिति में है। विलय के बाद अनुसूची “बी” कंपनी के रूप में वर्गीकृत एनएफडीसी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के विकास, निर्माण और विपणन को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका संभाली है।

कंपनी की गतिविधियां

क. फिल्म निर्माण

निगम भारतीय सिनेमा की विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली फीचर फिल्मों, बाल फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण तथा



एनएफडीसी द्वारा पूर्ण की गई कुछ परियोजनाओं के पोस्टर (2025-26)

सह-निर्माण करता है। ये गतिविधियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की “फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार” (डीसीडीएफसी) योजना के अंतर्गत, विशेष रूप से “विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों, बाल फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण” उप-योजना के तहत संचालित की जाती हैं। इस पहल के अंतर्गत निगम का ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित है:

- नवोदित फिल्मकारों को समर्थन
- पूर्वोत्तर सिनेमा के लिए विशेष पहल
- वेक्स फिल्म बाजार और फिल्म समारोहों से फिल्म निर्माण

वर्ष 2025-26 के दौरान “पूर्वोत्तर के अलावा” श्रेणी में चार परियोजनाएं पूर्ण हुईं और 13 परियोजनाएं निर्माणाधीन रही। इसके अतिरिक्त “पूर्वोत्तर” श्रेणी के अंतर्गत तीन परियोजनाएं पूर्ण हुईं, जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की व्यापक विविधता को दर्शाती हैं।

ख. फिल्म वितरण

वर्ष 2025-26 के दौरान एनएफडीसी ने थिएट्रिकल वितरण, कंटेंट सिंडिकेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, फिल्म समारोहों और मंत्रालय-नेतृत्व वाली पहल के माध्यम से अपने फिल्म वितरण कार्यों को और मजबूत किया। ओटीटी, सैटेलाइट, डीटीएच और इन-प्लेइट एंटरटेनमेंट के लिए सामग्री का लाइसेंस दिया गया। एनएफडीसी ने गैर-विशिष्ट और राजस्व-साझेदारी मॉडल के माध्यम से मुद्रीकरण किया।

घरेलू बाजार में वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि मेसर्स स्काई स्क्रीन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन-प्लेइट एंटरटेनमेंट अधिकारों के लिए 24 माह के लाइसेंसिंग समझौते का निष्पादन रही। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के वेक्स ओटीटी, अमेज़न के प्राइम वीडियो और एपिक (ईपीआईसी) ऑन के साथ सहयोग के माध्यम से डिजिटल और क्षेत्रीय पहुंच को बढ़ाया गया।



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएफडीसी ने 50 से अधिक भारतीय मिशनों के माध्यम से समन्वय किया, जिससे विदेशों में भारत की सिनेमाई उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुई। निगम ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम (आईएफएफआर) और Marche International des Programmes de Communication (मिपकॉम) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भाग लिया।

डीसीडीएफसी योजना के अंतर्गत एनएफडीसी द्वारा पूर्वोत्तर के दूरस्थ गांवों में आयोजित आउटरीच स्क्रीनिंग से 50,000 से अधिक स्कूली बच्चे लाभान्वित हुए।

ग. फिल्म प्रोत्साहन

i. वेक्स बाजार और वेक्स फिल्म बाजार

क. वेक्स बाजार (1-3 मई, 2025, वेक्स समिट 2025 के साथ)

1-3 मई, 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ‘वेक्स बाजार 2025’ ने फिल्म और मीडिया सामग्री के लिए वैश्विक बाजार के रूप में भारतीय फिल्म बाजार की स्थिति को सफलतापूर्वक मजबूत किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप, इस मंच ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और महत्वपूर्ण कारोबारी सहभागिता को सुगम बनाया। व्यूइंग रूम प्रस्तुतियों में से नौ फीचर, दो वृत्तचित्र, दो शॉर्ट और दो वेब सीरीज सहित कुल 15 चयनित परियोजनाओं को चुना गया और 2 मई, 2025 को ओपन पिच सत्र में प्रस्तुत किया गया। इसका संचालन शोना उर्वशी ने किया और प्रमाण-पत्र मुकेश छाबड़ा द्वारा प्रदान किए गए।



‘वेक्स शिखर सम्मेलन 2025’ की झलक

ख. वेक्स फिल्म बाजार (20-24 नवंबर, 2025, इफ्फी 2025 के साथ)

गोवा में '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (इफ्फी) के साथ आयोजित 'वेक्स फिल्म बाजार 2025' ने अपने 19वें संस्करण में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, जिन्होंने वैश्विक सिनेमाई सहयोग और दक्षिण एशियाई कथा-वाचन के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। इस आयोजन को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। व्यूइंग रूम को 230 आवेदन प्राप्त हुए, को-प्रोडक्शन मार्केट में 22 फीचर फिल्म प्रविष्टियां आईं और पांच वृत्तचित्रों का चयन किया गया। इस संस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और 2,500 से अधिक वैश्विक प्रतिभागियों के साथ फिल्मकारों और उद्योग पेशवरों के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए।

स्क्रीनराइटर्स लैब (एसडब्ल्यूएल) एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम बना हुआ है, जो लेखकों को प्रशंसित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी पटकथाओं को निखारने का अवसर देता है। वैश्विक उद्योग मानकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, 2025 लैब में रुचि में वृद्धि देखी गई और पिछले वर्ष की 154 प्रविष्टियों की तुलना में 196 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

बाजार का समापन उत्साहपूर्ण रहा जिसने फिल्म निर्माण तथा बाजार विस्तार के उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत किया। 56वें आईएफएफआई (इफ्फी) संस्करण की पहचान असाधारण अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, ऐतिहासिक

साझेदारियों और कंटेंट सृजनकर्ताओं तथा वितरकों के लिए अभूतपूर्व अवसरों से हुई।



गोवा के पणजी में आयोजित 'वेक्स फिल्म बाजार 2025' की झलक

ii. गोवा में आयोजित '56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (इफ्फी), 2025

वर्ष 2025 में गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (इफ्फी) ने सिनेमाई उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य किया। 56वें इफ्फी की प्रमुख झलकियां आगे दी गई हैं:

विवरण	ब्यौरा
अंतरराष्ट्रीय खंड में प्राप्त प्रस्तुतियां	2314
देशों की संख्या	127
अंतरराष्ट्रीय खंड में फिल्मों की संख्या	181
विदेशी फिल्में	167
भारतीय फिल्में	14
अंतिम सूची में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की संख्या	84
विश्व प्रीमियर की संख्या	13
अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर की संख्या	5
एशियाई प्रीमियर की संख्या	45
भारतीय प्रीमियर की संख्या	98
गोवा प्रीमियर की संख्या	3
गैर-प्रीमियर की संख्या	1
शो की संख्या	234

क. अंतरराष्ट्रीय प्रोग्रामिंग वर्टिकल के रेड कार्पेट

‘56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ में अंतरराष्ट्रीय सिनेमा रेड कार्पेट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सिनेमा और उसके सृजनकर्ताओं को प्रदर्शित करना था। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट गतिविधियों के पैमाने में उल्लेखनीय विस्तार देखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता फिल्मों और विश्व प्रीमियर पर इफ्फी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएं

- अंतरराष्ट्रीय प्रोग्रामिंग टीम ने 56वें इफ्फी में 24 अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट आयोजित किए, जो पिछले संस्करण के 12 रेड कार्पेट की तुलना में दोगुने थे।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की सभी फिल्मों के अतिथियों को समर्पित रेड कार्पेट पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिससे यह खंड इफ्फी के प्रमुख आकर्षणों में से एक के रूप में मजबूत हुआ।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता फिल्मों, विश्व प्रीमियर और समीक्षकों द्वारा सराही गई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को प्रमुखता दी गई।
- रेड कार्पेट ने अकीनोला डेविस जूनियर, रेचल ग्रिफिथ,

डायने कुरिस, रत्नापूम बूनबुंवाचोके, अनुपम खेर, डॉली अहलूवालिया सहित कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म हस्तियों का स्वागत किया।

ख. अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस

56वें इफ्फी में 19 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं, जो 55वें संस्करण में आयोजित 10 सत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी थीं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को अंतरराष्ट्रीय सूची की भौगोलिक, भाषाई और कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए रणनीतिक रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में “कंट्री ऑफ फोकस: जापान” के लिए विशेष पैनल, उद्घाटन और समापन फिल्मों के लिए समर्पित सम्मेलन और विश्व प्रीमियर पर केंद्रित सत्र सहित कई उच्च-स्तरीय सत्र शामिल थे। इसके अलावा, महोत्सव ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जूरी और आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक के लिए विशेष प्रेस बैठकें आयोजित कीं, जिससे महोत्सव के सबसे प्रतिष्ठित खंडों को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुआ।

ग. 56वें इफ्फी पुरस्कार

- गोल्डन पीकॉक पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ फिल्म: ऐश मेफेयर द्वारा निर्देशित वियतनामी फिल्म ‘स्कीन ऑफ यूथ’ ने ‘56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ (इफ्फी) में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता।



फिल्म ‘ट्रांसपेरेंट लैंड्स’ के कलाकार और क्रू रेड कार्पेट पर

- **सिल्वर पीकॉक पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ निर्देशक:** संतोष दावखर को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित फिल्म 'गोधल' (भारत) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया।
- **सिल्वर पीकॉक पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष):** उबेइमार रियोस गोमेज़ ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड की फिल्म 'ए पोएट' में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
- **सिल्वर पीकॉक पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री:** जारा सोफिया ओस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शित 'लिटिल ट्रबल गर्ल्स' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला।
- **सिल्वर पीकॉक - विशेष जूरी पुरस्कार:** अकिनोला डेविस जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित अपनी फिल्म 'फादर्स शैडो' के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता।
- **निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर फिल्म:** हेसम फरहमंद और टोनिनस पिल को उनकी फिल्मों 'माई डॉटर्स हेयर' और 'फ्रेंक' के लिए यह सम्मान साझा रूप से दिया गया।
- **आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक:** एरिक स्वेन्सन द्वारा निर्देशित 'सेफ हाउस' को आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और श्रव्य-दृश्य संचार परिषद् (पेरिस) और यूनेस्को द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन फिल्मों को मान्यता देता है जो शांति स्थापना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के यूनेस्को के मूल उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती हैं।

iii. '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' में 'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' का 5वां संस्करण

'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' (सीएमओटी) के पांचवें संस्करण में प्रतिभागियों द्वारा विकसित पांच मौलिक फिल्मों प्रदर्शित की गईं। इन परियोजनाओं ने विचारों और दृष्टिकोणों की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित किया और उभरती प्रतिभाओं की अपार क्षमता को रेखांकित किया।

'56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (इफ्फी) के तत्वावधान में आयोजित सीएमओटी ने देश भर से संभावनाशील कहानीकारों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के अपने मूल दृष्टिकोण की पुनर्पुष्टि की। मार्गदर्शन, व्यावहारिक अनुभव और

रचनात्मक स्वतंत्रता को जोड़ने वाला गतिशील मंच प्रदान करके यह पहल युवा सृजनकर्ताओं को उनके पेशेवर सफर को आकार देने और भारतीय सिनेमा के विकसित होते परिदृश्य में योगदान देने के लिए आवश्यक साधन और अवसर देती रही है।

कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक 48-घंटे की फिल्म निर्माण चुनौती रहा, जिसमें टीमों ने "गलत कारणों से वायरल" विषय पर लघु फिल्में बनाने की प्रतिस्पर्धा की। इस चुनौती ने सीमित समय में विचार विकसित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की उनकी क्षमता की परीक्षा ली, जिसका समापन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्क्रीनिंग के साथ हुआ।

सीएमओटी के इस संस्करण में 13 फिल्म शिल्पों से 125 उभरते सृजनकर्ता जुड़े, जिससे यह बहु-विषयक प्रतिभा संवर्द्धन मंच के रूप में मजबूत हुआ। वर्ष 2021 में आरंभ होने के बाद से इस पहल ने उल्लेखनीय प्रभाव दिखाया है, जिसके तहत पूर्व छात्रों को वैश्विक समारोहों में पहचान मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई है। इस संस्करण में निर्मित पांच फिल्मों ने सहयोग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से प्रेरित नवाचार की व्यापक शृंखला प्रस्तुत की।

iv. मास्टर क्लास

एनएफडीसी ने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ विविध मास्टरक्लास और पैनल चर्चाओं का सफल आयोजन किया। उनका विवरण नीचे दिया गया है:

- **अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (7 मार्च, 2025):** दीप्ति पिल्लै सिवन ने "रिप्रेजेंटेशन मैटर्स : डाइवर्सिटी एंड इन्क्लूजन इन फिल्म्स" शीर्षक से एक विचारोत्तेजक सत्र का संचालन किया, जिसमें समावेशी कहानी-वाचन के महत्व पर चर्चा हुई।
- **ओशन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (6 अप्रैल, 2025):** एक विशेष सहयोग के अंतर्गत धन्या पिलो ने सिनेमा के माध्यम से समुद्र संरक्षण और उसके महत्व पर केंद्रित मास्टरक्लास आयोजित की।
- **विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) 2025:** "इंडिया'ज रीच टू ऑस्कर्स" शीर्षक वाले उच्च-स्तरीय पैनल ने अकादमी पुरस्कार प्रक्रिया की बारीकियों पर प्रकाश डाला। चर्चा में चालुवे गौड़ा, ए. श्रीकर प्रसाद,

रवि कोट्टारक्कारा और उज्ज्वल निर्गुडकर जैसे उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए।

- **मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (पुणे):** रचनात्मक साझेदार सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहाल ने “द डायनामिक डुओ एंड द आइकॉनिक पोएसी” शीर्षक से “इन कन्वर्सेशन” सत्र आयोजित किया, जिसमें पटकथा लेखन, गीत और निर्देशन के बीच सामंजस्य पर चर्चा हुई।
- **56वां इफ्फी - कला अकादमी सत्र:** विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्रों की श्रृंखला में एआई, वीएफएक्स और सिनेमाई स्थिरता जैसे समकालीन उद्योग स्तंभों को शामिल किया गया। वक्ताओं में विधु विनोद चोपड़ा, आमिर खान और अकादमी पुरस्कार विजेता विशेष प्रभाव समन्वयक क्रिस्टोफर चार्ल्स कॉर्बोल्ड, ओबीई शामिल थे।
- **इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान:** एनएफडीसी ने क्षेत्रीय आकांक्षी प्रतिभाओं के लिए तकनीकी फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित कर अपने शैक्षणिक आउटरीच का विस्तार किया।

v. अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन

टोक्यो गेम शो, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एशिया टीवी फोरम एंड मार्केट (सिंगापुर), ओसाका वर्ल्ड एक्सपो, इबरसीरिज और प्लेटिनो इंडस्ट्रीया, फोकस लंदन, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ), मलेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मिपकॉम कान्स, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और यूरोशियन फिल्म मार्केट (कज़ाख़स्तान) जैसे अग्रणी वैश्विक मंचों पर एनएफडीसी की रणनीतिक भागीदारी ने मीडिया और मनोरंजन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। यह व्यापक उपस्थिति फिल्म समारोहों, कंटेन्ट बाजारों और रचनात्मक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों में अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को आगे बढ़ाने में एनएफडीसी की नेतृत्वकारी भूमिका को प्रदर्शित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन के अंतर्गत जिन समारोहों में एनएफडीसी ने भाग लिया, उनकी सूची नीचे दी गई है:

1. कान्स अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फ्रांस
2. मलेशिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मलेशिया
3. इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया
4. ओसाका वर्ल्ड एक्सपो, जापान

5. वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इटली
6. यूरोशियन फिल्म मार्केट, कज़ाख़स्तान
7. टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कनाडा
8. बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दक्षिण कोरिया
9. इबरसीरिज और प्लेटिनो इंडस्ट्रीया, स्पेन
10. टोक्यो गेम शो, जापान
11. मिपकॉम कान्स, फ्रांस
12. रेड सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सऊदी अरब
13. फोकस लंदन, यूके
14. बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जर्मनी
15. एशिया टीवी फोरम एंड मार्केट (एटीएफएम), सिंगापुर
16. हांगकांग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हांगकांग

इन वैश्विक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप सैकड़ों बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) बैठकें हुईं, कई सह-निर्माण पाइपलाइन विकसित हुईं और प्रमुख संस्थागत साझेदारियां, आशय पत्र (एलओआई) तथा निवेश संभावनाएं स्थापित हुईं। इसके अतिरिक्त, एनएफडीसी ने यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ संधि-आधारित सहयोग का विस्तार किया। इन प्रयासों से न केवल भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है, बल्कि इससे ठोस आर्थिक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, जिससे भारत वैश्विक मीडिया और मनोरंजन जगत में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले देश के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया है।

घ. कौशल विकास प्रशिक्षण

एनएफडीसी को अपने सतत प्रयासों के कारण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) से “अवार्डिंग बॉडी” का दर्जा प्राप्त हुआ। ‘स्किल इंडिया मिशन’ के अंतर्गत चेन्नई स्थित एनएफडीसी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रशिक्षण प्रभाग दक्षिणी राज्यों के बेरोज़गार युवाओं के लिए एनिमेशन, कैमरा, एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे विशेष क्षेत्रों में विभिन्न मीडिया-संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

वर्ष 2025 के दौरान, एनएफडीसी ने “वेब्री निचायम” कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु कौशल विकास निगम (टीएनएसडीसी) के साथ सहयोग के माध्यम से अपनी कौशल विकास पहल को मजबूत किया, जिसमें दिव्यांगजनों, मछुआरा समुदाय के छात्रों और

बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 64 प्रतिभागियों के लिए एविड (डीएनएलई) प्रमाणन और 13 प्रतिभागियों के लिए एक मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिससे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिला।

ड. भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी)

मुंबई स्थित एनएमआईसी सिनेमाई विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और फिल्मों के संरक्षण के लिए समर्पित है, जो एक शताब्दी लंबी सिनेमाई यात्रा के सार को संजोता है। एनएमआईसी का उद्देश्य भारत की विविध सिनेमाई विरासत के भंडार के रूप में कार्य करना और इस कला रूप के प्रति सराहना को बढ़ावा देना है। एनएमआईसी में स्थित ऐतिहासिक गुलशन महल सिनेमाई जड़ों का प्रतीक है, जबकि समकालीन कांच की इमारत भारत की सिनेमाई प्रगति को दर्शाती है। एनएमआईसी में वर्ष की प्रमुख उपलब्धि 18 जुलाई, 2025 को भारत पवेलियन का उद्घाटन रही।

च. सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संचार

एनएमआईसी वर्चुअल इवेंट, प्रदर्शनियों, कॉफी टेबल बुक्स, नुक्कड़ नाटक और इमर्सिव वीडियो कंटेंट सहित 360-डिग्री

दृष्टिकोण के माध्यम से सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए एकीकृत संचार सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान कमीशन प्रोडक्शन विभाग ने अपने विभिन्न वर्टिकल्स के अंतर्गत लगभग 100 ग्राहक मंत्रालयों/विभागों को लगभग 120 परियोजनाओं के लिए सेवाएं प्रदान कीं। कमीशन प्रोडक्शन विभाग ने 23 सितंबर, 2025 को भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति में “71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023” का आयोजन किया, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, मोहनलाल, विधु विनोद चोपड़ा जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को माननीया राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

छ. इंडिया सिने हब (आईसीएच)

इंडिया सिने हब (आईसीएच) भारत में शूटिंग करने के इच्छुक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमतियां प्राप्त करने में सहायता करता है और प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। यह अधिक सहभागिता और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारों, प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और देशभर के प्रमुख व्यापार संघों के साथ



निकटता से कार्य करता है। यह प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। आईसीएच पोर्टल की वेबसाइट <https://indiachinehub.gov.in> है। वर्ष 2025 में 13 देशों की 31 परियोजनाओं को आधिकारिक सह-निर्माण का दर्जा दिया गया और 65 घरेलू परियोजनाओं को आईसीएच द्वारा सुविधा प्रदान की गई।

ज. नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई)

एनएफडीसी अब अपनी नई समेकित संरचना के अंतर्गत नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) की विरासत और भावना को आगे बढ़ा रहा है। एनएफडीसी-एनएफएआई के उद्देश्य हैं:

1. राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, उसे प्राप्त करना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधिक संग्रह तैयार करना;
2. फिल्म से संबंधित डाटा का वर्गीकरण और दस्तावेजीकरण करना, सिनेमा पर शोध करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा प्रकाशन और वितरण करना;
3. देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।

वर्ष 2025 के दौरान एनएफडीसी-एनएफएआई ने संरक्षण, डिजिटलीकरण, जीर्णोद्धार, दस्तावेजीकरण, शोध सुविधा और जन-संपर्क के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के निरंतर क्रियान्वयन और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से एनएफडीसी-एनएफएआई भावी पीढ़ियों के लिए भारत की सिनेमाई विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- **डिजिटलीकरण:** 1,443 फिल्मों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया गया, जिससे 350 फीचर फिल्मों और 1,093 लघु फिल्मों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है।
- **फिल्म जीर्णोद्धार:** 776 फिल्मों का व्यापक जीर्णोद्धार पूर्ण किया गया, जिनमें 378 फीचर फिल्में और 398 लघु फिल्में शामिल हैं।
- **निवारक संरक्षण:** दीर्घकालिक भौतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 438 फिल्म रीलों पर महत्वपूर्ण निवारक संरक्षण कार्य किया गया।

- **अभिलेखीय प्रबंधन:** 3,861 आरएफआईडी टैग स्थापित करके और 2,681 रीलों के लिए लीडर इंसरेशन पूर्ण करके भौतिक अभिलेख की ट्रैकिंग और तैयारी को बेहतर किया गया।
- **महोत्सव प्रदर्शन:** 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फ़ी) 2025 में मिशन की सफलता का उत्सव मनाया गया, जहां एनएफएचएम के अंतर्गत जीर्णोद्धार की गई 16 फिल्मों को वैश्विक दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

अवलोकन

भारत सरकार ने वर्ष 1960 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। वर्ष 1971 में टेलीविजन विंग जोड़े जाने के बाद संस्थान का नाम बदलकर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) कर दिया गया। संस्थान को अक्टूबर, 1974 में 'सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860' के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं।

अपनी यात्रा में एक नए अध्याय को जोड़ते हुए, एफटीआईआई को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2025 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' की धारा 3 के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद एफटीआईआई ने वर्ष 2025 से सात मास्टर डिग्री कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से पांच तीन-वर्षीय 'मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन सिनेमा' कार्यक्रम हैं, जिनमें निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन तथा एडिटिंग में विशेषज्ञता शामिल है; और दो-वर्षीय 'मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन सिनेमा' के दो कार्यक्रम हैं, जिनमें स्क्रीन एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग में विशेषज्ञता शामिल है।

एफटीआईआई टेलीविजन विंग के लिए एक-वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है, जिसमें

टीवी निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्रदान की जाती है।

संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण की कला और तकनीक में व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में योगदान के लिए इसे देश और विदेश में उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एफटीआईआई नवोदित फिल्मकारों को कलात्मक अभिव्यक्ति की अभिनव भाषा से प्रेरित करने वाला रचनात्मक वातावरण प्रदान करता है। इसके विद्यार्थियों द्वारा अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दौरान और उसके बाद बनाई गई फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलते रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियां

- 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एफटीआईआई ने दो प्रमुख सम्मान हासिल किए: 'सनफ्लावर्स वर द फस्ट वन्स टू नो' के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा और 'फ्लावरिंग मैन' के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म।
- एफटीआईआई ने महाराष्ट्र में कुशल रचनात्मक कार्यबल तैयार करने के लिए महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएफएससीडीसीएल), प्रौद्योगिकी-कला सहयोग के लिए आईआईटी भिलाई और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), बार्सिलोना के साथ प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके संस्थागत साझेदारियां मजबूत कीं।
- एफटीआईआई ने एवीजीसी-एक्सआर जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप एकीकृत शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अपने सहयोगी संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के साथ सहयोग को बढ़ाया।
- एफटीआईआई और केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के बीच 4 नवंबर, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान को प्रोडक्शन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए सक्षम ढांचा तैयार किया जा सके।
- एफटीआईआई, पुणे और Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), मैड्रिड ने फिल्म और मीडिया अध्ययन में अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर

किए। यह साझेदारी अंतरराष्ट्रीय फिल्म शिक्षा और भविष्य की सहयोगी परियोजनाओं के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- एफटीआईआई ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) द्वारा उन्नत अनुसंधान अनुदान (एआरजी) कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित प्रतिष्ठित शोध परियोजना प्राप्त कर महत्वपूर्ण शोध उपलब्धि हासिल की। "इमर्सिव स्पेशल ऑडियो फॉर ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन्स इन 'डिग्रीज ऑफ फ्रीडम' (डीओएफ)" शीर्षक परियोजना 18 दिसंबर, 2025 को औपचारिक रूप से प्रदान की गई।
- वेवएक्स पहल के हिस्से के रूप में एफटीआईआई में एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना तथा वेवएक्स के समग्र दायरे में विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन, शोध और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

फिल्म समारोह/विद्यार्थी पुरस्कार

एफटीआईआई ने 21 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कुल 148 फिल्मों की भागीदारी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया। इसके बाद एफटीआईआई की 29 विद्यार्थी फिल्मों को भारत भर के 19 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शन के लिए शॉर्टलिस्ट या चयनित किया गया। इनमें से 10 फिल्मों ने पांच विभिन्न राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, जो एफटीआईआई से उभरती उत्कृष्ट प्रतिभा को रेखांकित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एफटीआईआई ने जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 के बीच आठ देशों में आयोजित 37 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 263 विद्यार्थी फिल्में प्रस्तुत कर अपनी पहुंच बढ़ाई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप एफटीआईआई की 21 विद्यार्थी फिल्मों को 12 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया, जिससे इन उभरते फिल्मकारों को वैश्विक मंच मिले।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में एफटीआईआई के विद्यार्थियों द्वारा जीते गए पुरस्कार

इस अवधि के दौरान एफटीआईआई की 11 विद्यार्थी फिल्मों को देशभर में आयोजित पांच अलग-अलग राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

क्र. सं.	महोत्सव	फिल्म का नाम और निर्देशक
1.	'परिदृश्य' अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म और वृत्तचित्र महोत्सव, कर्नाटक (फरवरी, 2025)	'लोस्ट इन टेलीपोर्टेशन' - निर्देशक: तनमय जेमिनी - विद्यार्थी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म
		'डंप यार्ड' - निर्देशक: निखिल शिंदे - विद्यार्थी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन
		'स्माल टेल फ्रॉम ए बिग सिटी' - निर्देशक: मानस कुमार - विद्यार्थी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग
2.	17वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म महोत्सव, केरल (22 से 27 अगस्त 2025)	'एट द मार्जिन्स' - निर्देशक: शुभम सुमित - साउंड डिजाइन के लिए जूरी मेंशन - पीयूष जाम्बुलकर
3.	13वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, नोएडा, 2025, मारवाह स्टूडियो, नोएडा, उत्तर प्रदेश (1 सितंबर, 2025)	'द शेप एंड द साउंड' - सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र (निर्देशक: मधु अप्सरा); सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग (साउंड रिकॉर्डिस्ट: क्षितिज यादव)
		विशाल नागरगोजे द्वारा निर्देशित 'ट्रेल्स एंड बिट्रेल्स ऑफ ए यूजलेस मैग्निफाइंग ग्लास' को सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग और ग्राफिक्स (एडिटर: राजेश टुडू)
4.	71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (23 सितंबर, 2025)	'फ्लावरिंग मैन' - "सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म"; निर्देशक: सौम्यजीत घोष दस्तदार; निर्माता: भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान
		'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' - "सर्वश्रेष्ठ पटकथा" - चिदानंद एस. नाइक
5.	73वां सैन सेबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (19 से 27 सितंबर, 2025)	'द ओल्ड बुल नोज़, ऑर वन्स न्यू - मिलन कुमार - विशेष उल्लेख
6.	द्वितीय सिंबायोसिस फिल्म फेस्टिवल (5 और 6 दिसंबर, 2025)	'द लोस्ट फोटो' - श्रेयस मांधरे; द्वितीय पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र

विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम

एफटीआईआई ने संरचित अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत यूरोप में अपने 26 विद्यार्थियों का आदान-प्रदान को सुगम बनाया। एफटीआईआई के विद्यार्थियों ने आईएनएसएस, बेल्जियम (4 विद्यार्थी), ला फेमिस, पेरिस (4 विद्यार्थी) और Filmakademie Baden-Württemberg (FABW), जर्मनी (6 विद्यार्थी) के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें उन्नत मॉड्यूल,

अंतरराष्ट्रीय लैब और डीओके लीपजिंग सहित एक्सपोजर विजिट शामिल थीं।

इसी अवधि में एफटीआईआई ने 12 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मेजबानी की, जिनमें ला फेमिस, पेरिस के चार और Filmakademie Baden-Württemberg (FABW), जर्मनी के आठ विद्यार्थी शामिल थे। इन विद्यार्थियों ने संस्थान में शैक्षणिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग लिया।



एफटीआईआई द्वारा महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएफएससीडीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।



सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता

अवलोकन

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई और इसे 'पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961' के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। कोलकाता स्थित और महान फिल्मकार सत्यजीत रे के नाम पर स्थापित एसआरएफटीआई फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण की कला और तकनीक में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।

अपनी यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, एसआरएफटीआई को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2025 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' की धारा 3 के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद एसआरएफटीआई ने वर्ष 2025 से 12 मास्टर डिग्री कार्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान फिल्म विशेषज्ञताओं के छह क्षेत्रों में तीन-वर्षीय मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स प्रदान करता है: (1) निर्देशन और पटकथा लेखन, (2) सिनेमैटोग्राफी, (3) एडिटिंग, (4) साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन, (5) फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया (ईडीएम) में छह क्षेत्रों में दो-वर्षीय मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स प्रदान करता है, ये हैं (1) प्रबंधन, (2) सिनेमैटोग्राफी, (3) लेखन, (4) निर्देशन और निर्माण, (5) एडिटिंग और (6) साउंड।

प्रमुख गतिविधियां

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संगोष्ठी:** 19 जनवरी, 2025 को एसआरएफटीआई ने नॉलेज सॉल्यूशंस इंस्टिट्यूट, इंडिया के सहयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रचनात्मक कलाओं के अंतर्संबंध पर संगोष्ठी आयोजित की। प्रतिष्ठित पैनल में सौरव कुंडू (विजिटिंग फैकल्टी, एडवांस्ड इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी), दीपांकर दासगुप्ता (प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस), विश्वजीत दत्ता (डायरेक्टर, एकेडमिक्स, नॉलेज सॉल्यूशंस इंस्टिट्यूट) और संदीप सिंह (एआई प्रशिक्षक) शामिल थे। चर्चाओं में एआई और मशीन लर्निंग की जटिलताएं, मानव रचनात्मकता बनाम मशीन पुनरुत्पादन के आकर्षक अंतर्संबंध, कला में एआई के महत्वपूर्ण नैतिक और कानूनी प्रभाव और एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रहों जैसे विषय शामिल रहे।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) पाठ्यक्रम:** एसआरएफटीआई ने 10 फरवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2025 तक आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ताजिकिस्तान के 12 पत्रकारों ने एसआरएफटीआई परिसर में “बॉडकास्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट क्रिएशन” पर लघु पाठ्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी कार्यक्रम का हिस्सा है।
- **प्रसिद्ध अतिथि संकाय द्वारा कार्यशालाएं:** प्रसिद्ध सिनेमैटोग्राफर और वीएफएक्स कलाकार रमेश मिरचंदानी ने फरवरी, 2025 में सिनेमैटोग्राफी विद्यार्थियों के 17वें बैच के लिए एक सप्ताह की वीएफएक्स कार्यशाला का नेतृत्व किया। इस सत्र में पेशेवर परियोजनाओं में छायाकारों और पीएफएक्स कलाकारों के बीच सहयोग की गहन जानकारी प्रदान की गई। फिल्म विंग के एडिटिंग विभाग ने डॉकैज कोलकाता के सहयोग से डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर विशेष मास्टरक्लास आयोजित की, जिसे प्रशंसित ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार शॉन मैकएलिस्टर ने संचालित किया।
- **दीक्षांत समारोह 2025:** एसआरएफटीआई ने मई, 2025 में अपना 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें वर्तमान में स्नातक हुए बैचों के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए गए। प्रसिद्ध फिल्मकार श्री जाहनु बरुआ समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विदुषी रुचिरा पांडा द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति और फिल्म अध्ययन के ख्यात विद्वान एवं प्रोफेसर श्री मोइनाक बिस्वास द्वारा रे स्मृति व्याख्यान भी हुआ।
- दो नई छात्रवृत्तियां शुरू की गईं—पहली, जी समूह के साथ, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 12 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, और दूसरी स्क्रीन फाउंडेशन के साथ, जिसके अंतर्गत पांच वर्षों में पांच लाख रुपये की प्रतिबद्धता है। अमेज़न की तीन छात्रवृत्तियां भी पुनः शुरू की गईं।
- एसआरएफटीआई ने आईआईएमसी, ढेकनाल; आईआईएम, कलकत्ता इनोवेशन पार्क; आईआईएम, कलकत्ता; केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और विदेशी देशों सहित विभिन्न संगठनों/संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- एसआरएफटीआई ने 7 अक्टूबर, 2025 से 28 अक्टूबर, 2025 तक आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न देशों के 12 पत्रकारों ने एसआरएफटीआई परिसर में “प्रोड्यूसिंग ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट” पर लघु पाठ्यक्रम का अध्ययन किया।
- 25 नवंबर, 2025 को ध्वनि विभाग ने आर्सेनल ऑन लोकेशन – कोलकाता संस्करण पर वॉइसेस व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की, जिसमें ‘इलेवन माइल्स’ और ‘मेमोरीज़ ऑफ़ मिल्क सिटी’ की स्क्रीनिंग की गई और मार्कस रफ (प्रमुख, फिल्म जीर्णोद्धार विभाग, आर्सेनल) तथा रुचिर जोशी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के साथ चर्चा शामिल थी। इससे विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को वैश्विक अभिलेखीय और जीर्णोद्धार प्रथाओं से परिचित कराया गया।

- एसआरएफटीआई के संकाय सदस्य प्रदीप्त भट्टाचार्य की फिल्म “नधारेर भेला” (द स्लो मैन एंड हिंस राफ्ट) ने प्रतिष्ठित ‘आईएफएफएसए टोरंटो फिल्म महोत्सव 2025’ के अंतरराष्ट्रीय फीचर खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।
- निर्देशन और पटकथा लेखन विभाग की छात्रा सिसिरा एस. नाथ की फिक्शन फिल्म परियोजना “अंतर्वसम” धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, टूलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल और चेन्नई अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म और वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव सहित कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों के लिए आधिकारिक रूप से चयनित हुई। “अंतर्वसम” ने केरल के साइन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार जीता।
- एसआरएफटीआई के एनिमेशन विभाग ने अपने विद्यार्थियों के लिए गोएथे-इंस्टिट्यूट कोलकाता में “सुल्ताना’ज ड्रीम” की विशेष स्क्रीनिंग और फिल्मकार इसाबेल हेरगुएरा तथा टीम के साथ मास्टरक्लास एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया।
- आउटरीच विभाग की पहल के रूप में एसआरएफटीआई ने दिसंबर, 2025 में गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में 10-दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स प्रस्तुत किया।

फिल्म समारोहों में भागीदारी और पुरस्कार

विद्यार्थी का नाम	फिल्म का शीर्षक	पुरस्कार/सम्मान	महोत्सव
निशांत सैलजन	भूमि	सर्वश्रेष्ठ निर्माता	केरल राज्य टेलीविजन पुरस्कार (फरवरी, 2025)
कोकोब टेसफे	ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले	आधिकारिक चयन	फेस्टिवल दे कान्स (मई, 2025)
देबलीना साहा	भोकड़ा	आधिकारिक चयन	बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव (अगस्त, 2025)
महार्षि तुहिन कश्यप	कॉक कॉक कॉकूक	आधिकारिक चयन	बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (सितंबर, 2025)
सुदीप्त बारई	अपार्थिवा	विशेष जूरी पुरस्कार	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (नवंबर, 2025)
रवि कुमार	कुहासे के गीत	विशेष जूरी पुरस्कार	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (नवंबर, 2025)
रिया वर्गीज	मदक्कम	उत्कृष्ट निर्माता प्रतिभा	56वां इफ्फी गोवा (नवंबर, 2025)
अनिकेत जोशी	होम वर्क	उत्कृष्ट पिच	56वां इफ्फी गोवा (नवंबर, 2025)
मो. अली	सर्चिंग फोर द ग्रैंडपा	विशेष जूरी पुरस्कार	वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मॉस्को (नवंबर, 2025)
ऋताब्रिता मित्रा	मुखोशेर ग्राम	आधिकारिक चयन	वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मॉस्को (नवंबर, 2025)
शिखर गौतम	टिक टिक धक धक	आधिकारिक चयन	वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मॉस्को (नवंबर, 2025)

ईटानगर में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास और फिल्म तथा टेलीविजन क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की सरकारी पहल के रूप में मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ईटानगर में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की स्थापना सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की घटक इकाई के रूप में की।

एसआरएफटीआई ने इस शैक्षणिक सत्र के लिए 10 मार्च, 2025 से एफटीआईआई, ईटानगर में पीजी पाठ्यक्रमों की भौतिक कक्षाएं शुरू की हैं।

प्रमुख गतिविधियां

- परिसर में “अंडरस्टैंडिंग अरुणाचल प्रदेश”, “सिनेमैटिक आर्काइव्स एंड कल्चरल मेमोरी ऑफ नॉर्थ-ईस्ट इंडिया”, “सोनिक लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ-ईस्ट इंडिया” और “फिल्म स्क्रीनिंग एंड इंटरैक्टिव सेशन” जैसे अतिथि व्याख्यान और स्क्रीनिंग आयोजित किए गए।
- एफटीआईआई, ईटानगर द्वारा संगीत कार्यशाला, Gender in Context – Voices, Rights, Realities, Gender and Sexuality Beyond Binary Constructs और विजुअल आर्ट वर्कशॉप जैसे कार्यशाला और विषयगत सत्र आयोजित किए गए।
- स्टोरीज इन द मिस्ट: 29 जून, 2025 से 20 जुलाई, 2025 तक मेघालय सरकार और आईआईएचएम, शिलांग के सहयोग से आयोजित इस अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों ने “स्टोरीज इन द मिस्ट” शिलांग फिल्म निर्माण विनिमय कार्यक्रम 2025 में भाग लिया।
- एफटीआईआई, ईटानगर के डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए 9 जून, 2025 से 27 जून, 2025 तक और स्क्रीन एक्टिंग के विद्यार्थियों के लिए 6 जुलाई, 2025 से 24 जुलाई, 2025 तक एसआरएफटीआई, कोलकाता परिसर में अध्ययन यात्रा आयोजित की गई।
- इप्फी, गोवा यात्रा: एफटीआईआई ईटानगर के सभी विद्यार्थियों को इप्फी, गोवा 2025 भेजा गया और विद्यार्थियों ने विशेष मास्टरक्लास/सत्रों में भाग लिया।



एसआरएफटीआई के सम्मानित संकाय सदस्य प्रदीप्त भट्टाचार्य की फिल्म “नधारेर भेला” (द स्लो मैन एंड हिज राफ्ट) ने प्रतिष्ठित ‘आईएफएफएसए टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025’ में इंटरनेशनल फीचर सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।



एसआरएफटीआई की 'टिक टिक धक धक', जो प्रेम, भय और बचपन के जादू पर आधारित एनिमेटेड लघु फिल्म है, ने मॉस्को में आयोजित वीजेआईके अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव में सबका ध्यान आकर्षित किया।



केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

परिचय

कला के सबसे व्यापक रूप से सराहे जाने वाले और लोकतांत्रिक रूपों में से एक के रूप में फिल्में भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे जनमत को आकार देने और देश की विविध संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

संविधान भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता और अन्य निर्दिष्ट आधारों के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी

देता है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' में निर्धारित किए गए हैं, जो अधिनियम की धारा 5ख(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा पूरक हैं।

'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' की धारा 3 के तहत गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों से मिलकर बनता है। वर्तमान बोर्ड, जिसे 11 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया था, में 10 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता श्री प्रसून जोशी कर रहे हैं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई स्थित अपने मुख्यालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है, जिसे चंडीगढ़ में एक फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारियों/अपर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है और

शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, पत्रकारिता तथा फिल्म उद्योग सहित विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाले सलाहकार पैनलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

बोर्ड 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' के अनुसार फिल्म प्रमाणन प्रदान करता है। अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को “यू” प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, जबकि बच्चों के लिए अभिभावकीय मार्गदर्शन की आवश्यकता वाली फिल्मों को यूए7+, यूए13+ या यूए16+ के आयु मार्करों के साथ “यूए” के रूप में प्रमाणित किया जाता है। केवल वयस्कों के लिए सीमित

फिल्मों को “ए” प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, जबकि चिकित्सा पेशेवरों जैसे विशेष दर्शकों के लिए अभिप्रेत फिल्मों को “एस” प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

फिल्मों का प्रमाणन

1. भारत विश्व के प्रमुख फिल्म-निर्माता देशों में से एक है। पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान फिल्मों के प्रमाणन से देशभर में फिल्म निर्माण गतिविधियों में सुधार का संकेत मिलता है।

	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारतीय लंबी फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	3847	3476	3455	3190
विदेशी लंबी फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	619	472	657	556
भारतीय लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	13132	12805	10817	10082
विदेशी लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	472	678	515	681
कुल	18070	17431	15444	14509

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ने कुल 14,509 प्रमाण-पत्र जारी किए, जिनमें से 3,235 प्रमाण-पत्र वीडियो फिल्मों और 11,274 प्रमाण-पत्र डिजिटल फिल्मों को जारी किए गए। प्रमाण-पत्र-वार और श्रेणी-वार प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण नीचे दिया गया है:

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

डिजिटल (अ)												
	यू	यू*	यूए*	यूए 7+	यूए 7+ *	यूए 13+	यूए 13+ *	यूए 16+	यूए 16+ *	ए	ए*	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	272	163	4	72	49	305	435	191	678	55	188	2412
भारतीय लघु फिल्में	5721	59	1	405	28	991	73	504	145	93	26	8046
विदेशी फीचर फिल्में	43	3	-	17	1	44	15	26	19	42	47	257
विदेशी लघु फिल्में	123	1	-	101		163	4	108	14	41	4	559
कुल	6159	226	5	595	78	1503	527	829	856	231	265	11274

वीडियो (ब)												
	यू	यू*	यूए*	यूए 7+	यूए 7+ *	यूए 13+	यूए 13+ *	यूए 16+	यूए 16+ *	ए	ए*	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	69	37	-	13	12	132	125	137	216	21	16	778
भारतीय लघु फिल्में	939	36	-	195	4	454	33	291	49	33	2	2036
विदेशी फीचर फिल्में	25	1	-	6	6	61	19	90	91	-	-	299
विदेशी लघु फिल्में	30	2	-	23	-	39	4	20	4	-	-	122
कुल	1063	76		237	22	686	181	538	360	54	18	3235
कुल (अ+ब)	7222	302	5	832	100	2189	708	1367	1216	285	283	14509

*कटौतियों के साथ

भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2023 और 15 मार्च, 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचनाओं, जिनमें “यूए” श्रेणी के अंतर्गत नए आयु-आधारित मार्कर प्रस्तुत किए गए, के अनुरूप सीबीएफसी ने ई-सिनेप्रमाण पोर्टल में व्यवस्थित सुधार लागू किए। परिणामस्वरूप, 25 अक्टूबर, 2024 से सीबीएफसी ने अद्यतन आयु-आधारित मार्कर/संकेतकों के साथ ‘यूए’ श्रेणी के प्रमाण-पत्रों की सिफारिश और जारी करना शुरू किया।

ई-सिनेप्रमाण : प्रणाली सुधार

15 मार्च, 2024 को ‘सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024, की अधिसूचना के बाद फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कई पहल की गई। ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से शुरू किए गए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

- प्राथमिकता जांच (प्रायोरिटी स्क्रीन):** आवेदकों को निर्धारित शुल्क का तीन गुना भुगतान करने पर पांच दिनों के भीतर फिल्म की जांच का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।
- यूए मार्कर:** दर्शकों और अभिभावकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए यूए7+, यूए13+ और यूए16+ आयु-आधारित प्रमाणन मार्करों की शुरुआत।
- पहुंच मानक (एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स):** बहुभाषी फिल्मों के लिए ऑडियो विवरण (एडी) और क्लोज्ड कैप्शन

(सीसी) फाइलों की आवश्यकता वाली पहुंच सुविधाओं का एकीकरण, जिससे सुनने और देखने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए पहुंच में सुधार होता है।

- जन सेवा जागरूकता (पीएसए) फिल्में:** सिनेमा थिएटरों को समयबद्ध तरीके से पीएसए फिल्मों को पंजीकृत करने, डाउनलोड करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाने वाले मॉड्यूल का विकास।
- अन्य पहल:** जीएसटी एकीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी-डब फिल्मों के प्रमाणन, चंडीगढ़ सुविधा केंद्र, ऑनलाइन सामग्री वितरण, सलाहकार पैनल के सदस्यों के स्वचालित चयन और डुप्लिकेट फिल्म प्रस्तुतियों का पता लगाने से संबंधित मॉड्यूल की शुरुआत या विकास।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित और संचालित किए गए:

- सीबीएफसी के नव-नियुक्त सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशाला-सह-ओरिएंटेशन आयोजित किए गए।
- 23 दिसंबर, 2025 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रीव्यू थिएटरों में परीक्षण हेतु कंटेंट की ई-डिलिवरी मॉड्यूल पर चर्चा के लिए कार्यशाला-सह-बैठक आयोजित की गई।

शिकायतें/चिंताएं

सीबीएफसी को फिल्मों के प्रमाणन के विरुद्ध जनता से चिंताएं/शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें मुख्यतः अश्लीलता, धर्म, पर्दे पर हिंसा आदि विषय शामिल थे। इनमें से अधिकांश शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं और प्रमाणन प्रक्रिया में उनकी योग्यता के आधार पर विचार करते हुए उनका विधिवत निपटारा किया गया।

राजस्व सृजन

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रमाणन शुल्क/प्रभार के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रहित राजस्व का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	अवधि	संग्रहित राजस्व (रुपये में)
1.	वित्त वर्ष 2021-22	12,21,40,116
2.	वित्त वर्ष 2022-23	14,95,52,543
3.	वित्त वर्ष 2023-24	15,29,94,177
4.	वित्त वर्ष 2024-25	16,29,40,642
5.	वित्त वर्ष 2025-26	23,85,66,926

* राजस्व में जीएसटी शामिल है

महत्वपूर्ण संचार/आदेश

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 4 अगस्त, 2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' में संशोधन किया, जिसे 'सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023' कहा जाता है।
- 'सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023' के माध्यम से भारत सरकार ने "यूए" प्रमाण-पत्र के अंतर्गत नए आयु-आधारित संकेतक/मार्कर प्रस्तुत किए और नए "यूए मार्कर" को "यूए 7+", "यूए 13+" या "यूए 16+" कहा गया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2024 की राजपत्र

अधिसूचना द्वारा 'सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983' का अधिक्रमण करते हुए 'सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024' को अधिसूचित किया।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 7 जून, 2024 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 'सिनेमैटोग्राफ (दंड का न्यायनिर्णयन) नियम, 2024' को अधिसूचित किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आदेश संख्या एम-11017/1/2023-डीओ(एफसी) दिनांक 3 नवंबर, 2023 द्वारा सीबीएफसी के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को 'आईटी अधिनियम, 2000' की धारा 79(3)(बी) के अंतर्गत, 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के नियम 3(1)(डी) के साथ पठित, 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' के अंतर्गत प्रतिबंधित अवैध सूचना के संबंध में नोडल अधिकारी नामित किया।
- भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2023 और 15 मार्च, 2024 की राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुरूप, जिनमें "यूए" श्रेणी के अंतर्गत नए आयु-आधारित मार्कर प्रस्तुत किए गए, सीबीएफसी ने ई-सिनेप्रमाण पोर्टल में व्यवस्थित सुधार लागू किए। परिणामस्वरूप, 25 अक्टूबर, 2024 से सीबीएफसी ने अद्यतन आयु-आधारित मार्कर/संकेतकों के साथ "यूए" श्रेणी प्रमाण-पत्रों की सिफारिश और जारी करना शुरू किया।
- महत्वपूर्ण संचार संख्या 1/2025 दिनांक 14 मई, 2025 हिन्दी डब फिल्मों के आवेदन और प्रमाणन की अवधि को उन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में आगे बढ़ाने के संबंध में जारी किया गया, जहां फिल्म के मूल संस्करण को प्रमाणित किया गया है।
- सभी ट्रेड बॉडी/एसोसिएशनों और थिएटर एसोसिएशनों को 'सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2025' के नियम 35 का कड़ाई से पालन करने के लिए 1 नवंबर, 2025 को परामर्श जारी किया गया।

बोर्ड द्वारा 1-4-2025 से 31-3-2026 तक प्रमाणित भारतीय लंबी (फीचर-लेंथ) फिल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्र-वार - भाषा-वार (डिजिटल)

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	तमिल	6		300	28	9	18	1			362
2.	तेलुगु	10		53	239	16	18	1			337
3.	कन्नड़	2		16	22	272	7	1			320
4.	हिन्दी	226	4	19	22	8	8	28		3	318
5.	मलयालम	2		19	23	6	207	1			258
6.	भोजपुरी	137	2					20			159
7.	बांग्ला	2	127							1	130
8.	मराठी	129									129
9.	गुजराती	92						1			93
10.	पंजाबी	21						33			54
11.	ओडिया	1							36		37
12.	मणिपुरी									35	35
13.	छत्तीसगढ़ी	19	1					1	9		30
14.	असमिया									27	27
15.	खासी									19	19
16.	अंग्रेजी	8	5		1	2	1		1	1	19
17.	नेपाली		7							4	11
18.	तुलु					11					11
19.	राजस्थानी	4						5			9
20.	कोंकणी	4				5					9
21.	गढ़वाली							7			7
22.	सिंधी	5									5
23.	उत्तराखंडी	1						2			3
24.	अवधी							2			2
25.	उर्दू	1	1								2
26.	रोंगमेई									2	2
27.	मगही		2								2

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
28.	हरियाणवी							2			2
29.	कुल्लवी									1	1
30.	लंबानी					1					1
31.	लिम्बू आंशिक नेपाली									1	1
32.	कार्बी									1	1
33.	कश्मीरी							1			1
34.	बघेली	1									1
35.	बंजारा					1					1
36.	चोलनायक्का						1				1
37.	डोगरी							1			1
38.	मैथिली		1								1
39.	मटक आंशिक असमिया									1	1
40.	मिसिंग									1	1
41.	नागपुरी		1								1
42.	अरेभाषे					1					1
43.	सादरी		1								1
44.	संस्कृत					1					1
45.	मूक	1									1
46.	ताई खामती	1									1
47.	तिवा									1	1
48.	वान्चो									1	1
	कुल	673	152	407	335	333	260	107	46	99	2412

क्षेत्र-वार - भाषा-वार (वीडियो)

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	हिन्दी	63	-	82	38	79	14	21	-	-	297
2.	कन्नड़	-	-	41	9	55	7	-	-	-	112

3.	तमिल	11	2	15	13	52	11	-	-	-	104
4.	मलयालम	-	-	42	5	56	-	-	-	-	103
5.	तेलुगु	4	-	33	4	18	11	-	-	-	70
6.	बांग्ला	9	10	4	3	5	-	-	-	-	31
7.	पंजाबी	1	-	-	-	-	-	11	-	-	12
8.	मराठी	6	-	3	2	-	-	-	-	-	11
9.	ओडिया	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
10.	गुजराती	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11.	भोजपुरी	7	-	-	-	-	-	1	-	-	8
12.	हरियाणवी	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
13.	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3
14.	कोंकणी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	सौराष्ट्र	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	116	12	221	74	265	43	36	11	0	778

क्षेत्र-वार - देश-वार (डिजिटल): विदेशी लंबी (फीचर-लेंथ) फिल्में

क्र. सं.	देश/क्षेत्र	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	अमेरिका	172	1								173
2.	यूनाइटेड किंगडम	31									31
3.	जापान	18						1			19
4.	फ्रांस	3	3								6
5.	हंगरी	5									5
6.	नेपाल	2		3							5
7.	दक्षिण कोरिया	5									5
8.	हांगकांग	3	1								4
9.	रूस	3									3
10.	चीन	2									2
11.	इजराइल	1									1
12.	उत्तर कोरिया	1									1
13.	स्विट्जरलैंड	1									1
14.	ऑस्ट्रेलिया	1									1
	कुल	248	5	3	-	-	-	1	-	-	257

क्षेत्र-वार - देश-वार (वीडियो): विदेशी लंबी (फीचर-लेंथ) फिल्में

क्र. सं.	भाषण	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	ऑस्ट्रेलिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	बांग्लादेश	2	-	7	-	-	-	-	-	-	9

क्र. सं.	भाषण	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
3.	बेल्जियम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	कनाडा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	चीन	39	9	-	-	-	-	-	-	-	48
6.	साइप्रस	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	फ्रांस	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
8.	हांगकांग	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
9.	हंगरी	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10.	जापान	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
11.	लक्जमबर्ग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12.	रूस	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13.	दक्षिण कोरिया	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
14.	थाईलैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15.	यूएई	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32
16.	यूनाइटेड किंगडम	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17.	अमेरिका	165	-	-	-	-	-	-	-	-	165
	कुल	281	11	7	-	-	-	-	-	-	299

बोर्ड की वित्तीय स्थिति

‘सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952’ के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने वाला एक सांविधिक निकाय है। हालांकि, प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय माना जाता है।

बोर्ड का राजस्व ‘सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983’ में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणन शुल्क के संग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में फिल्मों की स्क्रीनिंग के संबंध में प्रोजेक्शन शुल्क भी लेता है। **1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026** की अवधि के दौरान कुल आय **23,85,66,926 रुपये (जीएसटी सहित)** रही। संग्रहित राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। इस संबंध में बोर्ड कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता।

■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 3 मई, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में 'वेक्स 2025' में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 5 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क के सचिवों के साथ आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह पर संबोधित करते हुए।

विदेश यात्राएं :

1. सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी), पुणे, एसओएस आंबेडकर सोसाइटी और ग्रेज इन, लंदन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “डॉ. बी.आर. आंबेडकर की वैश्विक दृष्टि : न्याय, समानता और लोकतंत्र की पुनर्कल्पना” में भाग लेने के लिए 24 से 25 अप्रैल, 2025 तक लंदन, यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया।
2. सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 11-12 जनवरी, 2026 तक अमेरिकी ट्रेजरी सचिव श्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका का दौरा किया।
3. सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 19-23 जनवरी, 2026 तक विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक, 2026 में भाग लेने के लिए दावोस, स्विट्जरलैंड तथा एसएमएल, वेल्डहोवन, नीदरलैंड का दौरा किया।
4. श्री विराट मजबूर, निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 17-21 नवंबर, 2025 तक बेलेम, ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज-30 (सीओपी-30) में भाग लिया।



माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच, 2026 में।



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (सीपीवी) के पोलित ब्यूरो सदस्य महामहिम श्री गुयेन ट्रोंग न्घिया को सम्मानित करते हुए।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल की यात्राएं

1. सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 5 जून, 2025 को वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) के पोलित ब्यूरो सदस्य और सीपीवी के केंद्रीय सूचना, शिक्षा और जन-संगठन आयोग के अध्यक्ष महामहिम श्री गुयेन ट्रोंग न्घिया के नेतृत्व में आए वियतनामी

प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। बैठक के दौरान भारत और वियतनाम ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों ने साझा बौद्ध विरासत सहित अपने गहरे सभ्यतागत संबंधों पर बल दिया और अपने बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

2. सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फोंट की भारत की पांच-दिवसीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली में चिली की संस्कृति, कला और विरासत मंत्री महामहिम श्रीमती कैरोलिना अर्रेडोंडो से मुलाकात की।

भारत को जानिए कार्यक्रम

‘भारत को जानिए कार्यक्रम’ विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन सप्ताह का परिचयात्मक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भारतीय प्रवासियों में अपनी मातृभूमि से जुड़ाव की भावना जागृत करना और भारतीय मूल के (पीईओ) युवाओं को संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से परिचित कराना है।



वियतनामी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत।



प्रसार भारती, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'भारत को जानिए कार्यक्रम' के प्रतिभागियों के साथ सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र की कार्य-प्रणाली तथा घरेलू/वैश्विक स्तर पर भारत की मीडिया सहभागिता पर विभिन्न संवादात्मक सत्र आयोजित किए।

विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) अंतर-देशीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित किए जाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में ये कार्यक्रम/समझौते जन संचार माध्यम, पत्रकारिता, प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और प्रकाशनों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान, 2023-27 की अवधि के लिए केन्या सरकार के साथ 5 दिसंबर, 2023 को एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और यूनेस्को

भारत, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।



भारत सरकार द्वारा 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की गई थी, ताकि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़े मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के कार्य से जोड़ा जा सके। आईएनसीसीयू का पुनर्गठन समय-समय पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसमें शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार पर पांच विषयगत उप-आयोग शामिल हैं। संचार संबंधी उप-आयोग की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण) द्वारा की जाती है और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों के संस्थागत सदस्य और प्रतिष्ठित पत्रकारों तथा मीडिया हस्तियों सहित गैर-संस्थागत सदस्य शामिल होते हैं।





वर्ष 2025 के लिए 1 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में '71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023' की घोषणा।

8

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 31 दिसंबर, 2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य श्रेणियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ग	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)	अनारक्षित (प्रतिनिधित्व)
1.	क	4146	1785	315	164	152	02	1152
2.	ख	22891	6914	1034	717	1220	33	3910
3.	ग तथा घ	23862	8383	1700	1243	1401	39	4000
	कुल	50,899	17,082	3,049	2,124	2,773	74	9,062

■■■



71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी ने 1 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल. मुरुगन से मुलाकात की।

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर जारी निदेश और दिशा-निर्देश अनुपालन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय तथा सभी मीडिया इकाइयों को प्रसारित किए जाते हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 31 दिसंबर, 2025 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं प्रोन्नति का कोटा नीचे दिया गया है-

सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका

(वर्ष 2025-2026 के लिए, 31 दिसंबर, 2025 तक)

मंत्रालय/विभाग : सूचना एवं प्रसारण

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	क	ख	ग	घ	ङ
समूह क	3276	77	13	1	21	0	1
समूह ख	15369	577	10	16	86	2	0
समूह ग और घ	16774	396	29	10	75	1	1
कुल	35419	1050	52	27	182	3	2

नोट : (क) नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति।

(ख) बधिर व्यक्ति तथा सुनने में कम सक्षम व्यक्ति।

(ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटिव विकलांगता।

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।

(ङ) (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है।

■■■



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 25 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस)-2025 के मद्देनजर देशव्यापी श्रमदान, "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" में भाग लेते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) का हिन्दी अनुभाग दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने तथा संघ की राजभाषा नीति और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। इस अनुभाग में निदेशक (राजभाषा) का एक पद, उप निदेशक (राजभाषा) का एक पद, सहायक निदेशक (राजभाषा) के दो पद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं।

मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है और इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में मंत्रालय और इसकी 14 अधीनस्थ मीडिया इकाइयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों/लिए गए निर्णयों से सभी प्रभागों/स्कंधों को अवगत कराया जाता है।

सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में 14-28 सितंबर, 2025 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। 14 सितंबर, 2025 को हिन्दी दिवस के

अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का संदेश मंत्रालय और अधीनस्थ मीडिया इकाइयों में प्रसारित किया गया।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए छह हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में प्रत्येक वर्ष मूल हिन्दी टिप्पणी/मसौदा लेखन प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में कुल 194 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और कुल 46 पुरस्कार वितरित किए गए। मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार द्वारा सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की द्वितीय उप-समिति ने मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसरण में, इस अवधि के दौरान मंत्रालय की छह मीडिया इकाइयों और 10 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी गईं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

■■■



माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश और माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 22 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के भाषणों पर संकलित पुस्तकों 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के विमोचन के अवसर पर।

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए विकास योजनाओं के कार्यक्रमों की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय में वर्ष 1992 में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। बाद में, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए इस प्रकोष्ठ को 16 मई, 2002 को शिकायत समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। 13 जनवरी, 2006 को महिला प्रकोष्ठ में वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा के अनुसार, महिला प्रकोष्ठ का नाम 25 अक्टूबर, 2013 को “आंतरिक शिकायत समिति” कर दिया गया।

इस समिति का पुनर्गठन 20 जनवरी, 2025 को परिपत्र संख्या बी-11020/17/2011-प्रशा. III (खंड-II) के माध्यम से किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रशासन) सुश्री मीनू बत्रा को आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वाईडब्ल्यूसीए ऑफ इंडिया की

राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक और बाहरी विशेषज्ञ सुश्री प्रनीता बिस्वासी को इस समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया गया है। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य और दो पुरुष सदस्य इसके आधिकारिक सदस्य हैं।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां कार्यरत हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित ‘केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964’ संबंधी दिशा-निर्देश भी अनुपालन के लिए इस मंत्रालय के अधीन सभी मीडिया इकाइयों को भेजे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 2022 में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के कटक पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका (सी) संख्या (पीआईएल) 33000, श्रीमती बायोट प्रोजना त्रिपाठी बनाम ओडिशा सरकार मामले में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और इस मंत्रालय में पिछली आंतरिक शिकायत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक बिल बोर्ड, नोटिस बोर्ड, शी-बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) तथा ‘क्या करें और क्या न करें’ संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं।

■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 20 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में स्कोच समूह के अध्यक्ष श्री समीर कोचर द्वारा लिखित पुस्तक 'मोदीनॉमिक्स: द जर्नी ऑफ इंकलूसिव ग्रोथ' के विमोचन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

1. मंत्रालय के अंतर्गत सतर्कता ढांचा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है। मंत्रालय के सतर्कता विंग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जो अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से होती है। सीवीओ का चयन मंत्रालय के प्रभागीय प्रमुखों में से किया जाता है।
2. मंत्रालय में सीवीओ को उप सचिव (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और एक समर्पित सतर्कता अनुभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस अनुभाग की देखरेख दो अनुभाग अधिकारियों द्वारा की जाती है और इसमें सहायक अनुभाग अधिकारियों तथा संबद्ध स्टाफ की सहायता उपलब्ध रहती है। एक महत्वपूर्ण संपर्क-सूत्र के रूप में सीवीओ मंत्रालय और उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के साथ-साथ सीवीसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के बीच संचार को सुगम बनाते हैं।
3. मंत्रालय के स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र सतर्कता तंत्र कार्यरत हैं। मंत्रालय के सीवीओ, सीवीसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करते हैं। मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में भी एक स्वतंत्र सीवीओ है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा की जाती है, ताकि इसकी व्यापक सतर्कता-संबंधी जिम्मेदारियों का प्रबंधन किया जा सके।
4. मंत्रालय और इसकी संबद्ध मीडिया इकाइयों/संगठनों में सतर्कता ढांचा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से व्यवस्थित प्रयासों और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार-मुक्त कार्य वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। इन प्रयासों में नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करना, संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों के रोटेशन संबंधी नीतियों को लागू करना तथा निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
5. 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच कुल 20 नियमित निरीक्षण और 10 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 316 नई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच की गई और 35 मामलों में प्रारंभिक जांच शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 22 प्रारंभिक जांच रिपोर्टें प्राप्त हुईं। बड़ी शास्तियों के लिए विभागीय कार्रवाई 14 नए मामलों में और छोटी शास्तियों के लिए 2 नए मामलों में शुरू की गई। इस अवधि के दौरान 25 मामलों में बड़ी शास्तियां लगाई गईं और 1 मामले में छोटी शास्ति लगाई गई, जबकि 6 मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार प्रशासनिक उपाय किए गए।
6. सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते की अवधारणा को अपनाने और लागू करने की अनुशंसा करता है। यह समझौता मूल रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा अनुबंध के किसी भी पहलू और किसी भी चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने की प्रतिबद्धता होती है। सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षकों (आईईएम) के पैनल के माध्यम से किया जाता है, जो स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रूप से यह समीक्षा करते हैं कि पक्षों ने समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का किस सीमा तक पालन किया है। मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 से प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए दो स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक (आईईएम) अर्थात् श्रीमती रश्मि वर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री ओम प्रकाश दाधीच, आईआरएस (सेवानिवृत्त), नियुक्त किए हैं।
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, जागरूकता निर्माण और सत्यनिष्ठा बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए **निवारक सतर्कता** को बढ़ावा देने के लिए 18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025 तक **तीन माह का अभियान** चलाया गया। इसके साथ ही 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक **सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2025** मनाया गया। अभियान का

विषय था “सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”। अभियान अवधि के प्रमुख फोकस क्षेत्र थे—(क) लंबित शिकायतों का निपटान, (ख) लंबित मामलों का निपटान, (ग) क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, (घ) परिसंपत्ति प्रबंधन, और (ङ) डिजिटल पहल।

8. मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने निवारक सतर्कता के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप ठोस उपलब्धियां और उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसने मंत्रालय के सतर्कता ढांचे को और मजबूत किया।
9. निवारक सतर्कता पर तीन माह के अभियान 2025 के दौरान लंबित शिकायतों और मामलों के निपटान पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सतर्कता विषयों “जांच और रिपोर्ट” तथा “आरोप-पत्र तैयार करना” पर सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के पूर्व विशेषज्ञ संकाय के साथ विशेष इन-हाउस प्रशिक्षण आयोजित किए। इसके पूरक के रूप में मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों/अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों के हजारों अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर चिह्नित पाठ्यक्रमों को पूरा किया गया। परिसंपत्ति प्रबंधन

के अंतर्गत परिसंपत्तियों और संपत्ति/लीज समझौतों के दस्तावेजीकरण, सत्यापन और डिजिटलीकरण तथा नई डिजिटल पहल को प्रदर्शित करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

10. 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी, कार्यशालाएं, चर्चाएं, दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, पम्फलेट/बैनर/पोस्टर का वितरण/प्रदर्शन, रेडियो कार्यक्रम/लघु फिल्म का निर्माण, सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाना आदि गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में, प्रसार भारती और केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा देशभर में स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं में विद्यार्थियों को शामिल करते हुए कई जमीनी-स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन हाउस सतर्कता पत्रिका ‘सतर्क 2025’ का चौथा संस्करण भी प्रकाशित किया गया।

■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 'वेव्स' 2025, में 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' के विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए।



24 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई) के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो के पीआरटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक।

नागरिक चार्टर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट <http://www.mib.gov.in> पर उपलब्ध है। चार्टर में निम्नलिखित 13 मुख्य सेवाएं शामिल की गई हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा अपने हितधारकों को सीधे प्रदान की जा रही हैं:-

- (i) संभावित लाइसेंसधारकों को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना;
- (ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करना;
- (iii) संभावित लाइसेंसधारकों को हिट्स (एचआईटीएस) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना;
- (iv) भारत में संचालन के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;
- (v) अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना;
- (vi) भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति मंजूरी प्रदान करना;
- (vii) विदेश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति प्रदान करना;
- (viii) नई एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति प्रदान करना;
- (ix) सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना;
- (x) विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना;
- (xi) विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों/समाचार-पत्रों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करणों को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त इकाई/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त इकाई द्वारा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना।

(xii) शिकायत निवारण तंत्र; और

(xiii) भारत में फीचर फिल्म/रियलिटी टीवी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों के फिल्मांकन के लिए विदेशी निर्माताओं को एफएफओ के माध्यम से अनुमति पत्र जारी करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में प्राप्त शिकायत याचिकाएं कंप्यूटरीकृत केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पर पंजीकृत और संसाधित की जाती हैं। शिकायतों/याचिकाओं को संबंधित मीडिया इकाइयों/अनुभागों को उनके निवारण के लिए भेजा जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के समय-समय पर संशोधित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता को उपयुक्त उत्तर भेजें। निवारण में तेजी लाने के लिए इन शिकायतों/याचिकाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, जिसके लिए संबंधित शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, आदि।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी विभागों, मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे एक अधिकारी को जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, इकाई का जीआरओ नामित किया जाता है। जीआरओ निस्तारण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना याचिकाकर्ता को समय पर उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होता है। महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में त्वरित और संतोषजनक निवारण के लिए संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। यदि याचिकाकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीपीग्राम्स पोर्टल पर अपील दर्ज कर सकता है। अपीलों के उत्तर की समीक्षा मंत्रालय के नोडल अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निस्तारण के लिए की जाती है।

डीएआरपीजी और अन्य स्रोतों से प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण/लोक शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय करने संबंधी दिशा-निर्देश आवश्यकता पड़ने पर सभी मीडिया इकाइयों/कार्यालयों को परिचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, समुचित निवारण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में शिकायतों के निस्तारण/उत्तर देने की प्रक्रिया की भी निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

क्रम संख्या	विषय	समय
1.	शिकायत याचिका को संबंधित प्रशासनिक विंग/उत्तरदायित्व केंद्र को स्थानांतरित करने में लगने वाला समय	2 दिन
2.	शिकायत प्राप्त होने की तारीख अथवा याचिकाकर्ता से मांगे गए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से याचिकाकर्ता को अंतिम उत्तर देने में लगने वाला समय	21 दिन

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक मंत्रालय में शिकायतों की समीक्षा स्थिति

31/12/2024 तक आगे बढ़ाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)	कुल शिकायतें	निस्तारित शिकायतें (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)	31 दिसंबर, 2025 तक लंबित शिकायतें
176	5290	5466	5318	148

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक मंत्रालय में अपील संबंधी स्थिति

31 दिसंबर, 2024 तक आगे बढ़ाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)	कुल शिकायतें	निस्तारित शिकायतें (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)	31 दिसंबर, 2025 तक लंबित शिकायतें
51	801	852	747	105

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली अधिकांश शिकायतें निम्नलिखित श्रेणियों की हैं:

क्र. सं.	शिकायत श्रेणी	अवधि के दौरान प्राप्त	1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत
1.	अन्य मंत्रालयों से संबंधित याचिकाएं	1032	19.5%
2.	डिजिटल मीडिया सामग्री	677	12.8%
3.	स्वतः अग्रेषित होने के कारण श्रेणी निर्धारित नहीं की गई	565	10.7%
4.	पेंशन मामले - पेंशन और अन्य लाभ जारी करने में विलंब	503	9.5%
5.	डीटीएच ऑपरेटरों, एलसीओ और एमसीओ के विरुद्ध शिकायतें	404	7.6%
6.	सुझाव और प्रश्न	321	6.1%
7.	प्रसारण सामग्री - समाचार और गैर-समाचार कार्यक्रम	301	5.7%
8.	विविध	251	4.7%
9.	फिल्म सामग्री संबंधी मामले	171	3.2%
10.	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	169	3.2%
11.	प्रेस/पत्रकार संबंधी मुद्दे	136	2.6%
12.	भ्रष्टाचार और कदाचार	126	2.4%
13.	सेवा मामले - नियमित कर्मचारी	123	2.3%
14.	सेवा मामले - अस्थायी कर्मचारी	88	1.7%
15.	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता	88	1.7%
16.	प्रसारण सामग्री - विज्ञापन	83	1.6%
17.	अनुकंपा नियुक्तियां	68	1.3%
18.	प्रेस सामग्री संबंधी मामले	61	1.2%
19.	पेंशन मामले - पेंशन का गलत निर्धारण	42	0.8%
20.	पेंशन मामले - पेंशन संशोधन	36	0.7%
21.	उत्पीड़न और दुर्यवहार	35	0.7%
22.	विज्ञापन और प्रचार संबंधी मामले	9	0.2%
23.	अनिर्दिष्ट नहीं	1	0.0%
	कुल	5290	100%





23 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई) के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो के सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुति की झलक।



22 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई 2025) के दौरान 'वेक्स फिल्मस बाजार' की झलक।

‘सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005’ प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। ‘सूचना का अधिकार’ का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं-

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) का निरीक्षण;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संग्रहित होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ का कार्यान्वयन

‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ (आरटीआई) के तहत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, वितरित करता है और संबंधित विषय से जुड़े केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सभी आवेदन, अपीलें और निर्णय सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) से प्राप्त होते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 27 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और 22

प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट <https://mib.gov.in> पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्ष-वार प्राप्त आवेदन तथा अपीलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2022	1,365
2023	1,191
2024	1,420
2025	1,602

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में वर्ष 2025 के दौरान 1,460 आरटीआई आवेदन और 142 अपीलें प्राप्त हुईं, जिसमें से 1,249 आवेदन और 100 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों और अपीलों को संबंधित लोक प्राधिकरणों/ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को तुरंत हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया। वर्ष 2025 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 4,940 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए बार-बार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, ताकि आवेदक को जानकारी प्रदान करने में विलंब न हो।

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलें मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती हैं। भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों के त्वरित और समय पर निपटान के लिए मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को स्कैन, अपलोड कर भेजी जाती हैं। सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4 (1) बी और 4 (2) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा रखी गई सभी सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण से संबंधित दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत सूचना नियमावली (मैनुअल) को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।





22 नवंबर, 2025 को गोवा में आयोजित '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई 2025) के दौरान 'वेक्स फिल्मस बाजार' की झलक।



31 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री प्रभात 'राष्ट्रीय एकता दिवस 2025' की शपथ दिलाते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

मंत्रालय में सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, विभागीयकृत लेखा संगठन (डीएओ) के मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं और मुख्यालय में वरिष्ठ लेखा नियंत्रक/उपलेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा अधिकारियों तथा पंद्रह वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) की सहायता से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इनमें प्रसार भारती और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध छह पीएओ भी शामिल हैं, जो केवल जीपीएफ और पेंशन के प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं, जिनके कार्यों की निगरानी मुख्यालय (नई दिल्ली) स्थित आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की जाती है।

दायित्व

विभागीयकृत लेखा संगठन (डीएओ) के समग्र दायित्व निम्नलिखित हैं:

- मंत्रालय के मासिक खातों का समेकन और उन्हें लेखा महानियंत्रक (सीजीए) को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण।
- वार्षिक प्रकाशन “एक नजर में खाते” तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते, जिन्हें लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय और प्रधान महानिदेशक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाता है।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना; आवश्यकता होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक कार्यालय आदि जैसे अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- लेखा मामलों और अधिकृत बैंक से संबंधित समग्र समन्वय और नियंत्रण के लिए नियंत्रक महालेखा कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- अधिकृत बैंक, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के खातों का रखरखाव करना और नकद शेष का मिलान करना।
- त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदान प्राप्त संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।

- सभी संबंधित प्राधिकारियों/प्रभागों को लेखा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बजट समन्वय संबंधी कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय-समय पर पेंशन मामलों का संशोधन।
- खातों का कंप्यूटरीकरण और ई-भुगतान।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय संबंधी कार्य।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पीएफएमएस का क्रियान्वयन।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।
- मज्द डीडीओ को छोड़कर जीपीएफ खातों का रखरखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करना।
- सभी डीडीएसआर शीर्षों का रखरखाव।
- ई-भुगतान के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन।
- समयबद्ध, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ के लिए और उनकी ओर से चेक बुकों की खरीद और आपूर्ति।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण में सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी अर्थात् सचिव को लेखा संबंधी सूचना और आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब-हेड/ऑब्जेक्ट हेड के अंतर्गत मासिक और आवर्ती व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय के बजट अनुभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय की प्रगति रिपोर्ट भी साप्ताहिक रूप से सचिव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा अनुदान नियंत्रित करने वाले मंत्रालय के प्रभागाध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती है।

लेखा संगठन, मंत्रालय के कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालिक अग्रिमों और जीपीएफ खातों का भी रखरखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन संबंधी पात्रता का सत्यापन और प्राधिकरण, कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण और पेंशन कागजात के आधार पर वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा किया जाता है। ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के नकद

वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), विभागीयकृत लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- नॉन-चेक आहरण डीडीओ द्वारा प्रस्तुत सभी बिलों, जिनमें ऋण और सहायता अनुदान संबंधी बिल भी शामिल हैं, की पूर्व-जांच और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सटीक और समयबद्ध भुगतान।
- प्राप्तियों का समय पर भुगतान।
- चेक आहरण डीडीओ को तिमाही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच करना।
- अपने द्वारा की गई प्राप्तियों और व्यय के मासिक खातों का संकलन तथा उन्हें चेक आहरण डीडीओ के खातों के साथ सम्मिलित करना।

समतुल्य भुगतान, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि आदि के अंतर्गत सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान, डीडीओ से संबंधित सूचना/बिल प्राप्त होने पर वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के खातों की लेखा परीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कार्यालय अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन

में कार्यरत आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने सुशासन संरचनाओं को सुदृढ़ करने, क्षमता-निर्माण और उपयुक्त ढंग से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि प्रभावी और दक्ष आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के अंतर्गत पूरे देश में 215 इकाइयां (प्रसार भारती-136 और गैर-प्रसार भारती-79) स्थित हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे में आती हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में 1 जनवरी, 2025 तथा 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार लंबित आंतरिक लेखा परीक्षा पैरों की स्थिति नीचे दी गई है:-

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	1 जनवरी, 2025 तक लंबित पैरे	1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक उठाए गए पैरे	1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक हटाए गए पैरे	31 दिसंबर, 2025 तक कुल लंबित पैरे
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	560	30	215	375
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	419	52	13	458
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	417	11	19	409
पूर्व क्षेत्र (कोलकाता)	640	62	133	569
कुल (I)	2036	155	380	1811
II. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अन्य इकाइयां				
क्षेत्र	1 जनवरी, 2025 तक लंबित पैरे	1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक उठाए गए पैरे	1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक हटाए गए पैरे	31 दिसंबर, 2025 तक कुल लंबित पैरे
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	292	24	63	253
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	606	8	8	606
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	469	52	54	467
पूर्व क्षेत्र (कोलकाता)	356	47	36	367
कुल (II)	1723	131	161	1693
कुलयोग (I + II)	3759	286	541	3504

व्यक्तिगत चालू खाता लेखांकन (आईआरएलए)

वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) अन्य मंत्रालयों के अन्य विभागीयकृत पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (समूह-ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत चालू खाता) का विचार सभी सेवा और भुगतान विवरण को केंद्रीकृत प्रणाली में रखने के लिए उत्पन्न हुआ, ताकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारी, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधा से प्राप्त कर सकें। वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों तथा प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) के देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित कार्यालयों के समूह-ए अधिकारियों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा है। प्रसार भारती में पदस्थ आईआरएलए अधिकारी वेतन पर्ची, आयकर फॉर्म-16 और जीपीएफ विवरण आदि देखने और डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट <https://accounts.prasarbharati.org> पर लॉगिन कर सकते हैं तथा अन्य आईआरएलए अधिकारियों को उपर्युक्त सुविधाएं (आयकर फॉर्म-16 को छोड़कर) पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल में उपलब्ध हैं।

बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अधिकृत बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई-भुगतान, विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी चेक भुगतान के लिए अधिकृत बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राप्तियां भी संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के अतिरिक्त अधिकृत बैंकों में जमा की जाती हैं।

अधिकृत बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक महालेखा की विशिष्ट मंजूरी आवश्यक होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय के अंतर्गत 15 वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं, जिनमें प्रसार भारती से संबद्ध छह पीएओ भी शामिल हैं। छह पीएओ नई दिल्ली में, दो-दो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तथा एक-एक नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से संबद्ध पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ को प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल अकाउंट्स मैनुअल, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच के बाद चेक जारी करते हैं/ई-भुगतान जारी करते हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई-भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक महालेखा (सीजीए) द्वारा विकसित और लागू किया गया है। पीएफएमएस की विभिन्न पद्धतियों/कार्यों के आउटपुट/डिलिवरेबल्स में निम्नलिखित शामिल हैं (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं):

- भुगतान और राजकोष नियंत्रण
- प्राप्तियों (कर और गैर-कर) का लेखांकन
- खातों का संकलन और राजकोषीय रिपोर्ट तैयार करना
- राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण।

आज पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य भारत सरकार के लिए एक प्रभावी निधि प्रवाह प्रणाली तथा भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क स्थापित करके सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुगम बनाना है।

पीएफएमएस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग का भी माध्यम है। इस प्रकार, भारत सरकार का प्रत्येक विभाग/मंत्रालय पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी (व्यक्ति या संस्था) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि हस्तांतरित करता है।

वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी 15 वेतन एवं लेखा कार्यालय (प्रसार भारती से जीपीएफ और पेंशन के लिए संबद्ध छह पीएओ सहित) पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

पीएफएमएस के विभिन्न मॉड्यूल:

I. पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)

मॉड्यूल: यह मॉड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं सवितरण कार्यालयों में वेतन संबंधी कार्यों के लिए लागू किया गया है।

II. पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल: पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी चेक आहरण और सवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

III. मंत्रालय में गैर-कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष):

- गैर-कर प्राप्ति (एनटीआर) पोर्टल 1 नवंबर, 2016 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत है।

- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार को देय गैर-कर राजस्व के ऑनलाइन भुगतान के लिए एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराना है।

- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में प्राप्तियों की बड़ी शृंखला शामिल है, जिसे अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा संग्रहित किया जाता है। ये प्राप्तियां मुख्य रूप से लाभांश, ब्याज प्राप्ति, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, विद्यार्थियों द्वारा फॉर्म/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए ऐसे अनेक भुगतानों से प्राप्त होती हैं।

- पूरी तरह सुरक्षित आईटी वातावरण में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से सामान्य उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंकों में जाने और फिर सेवाएं प्राप्त करने के लिए उसे सरकारी कार्यालयों में जमा कराने की परेशानी से राहत मिलती है। इससे सरकारी खातों में इन भुगतानों के हस्तांतरण में होने वाली अनावश्यक देरी से भी बचाव होता है और बैंक खातों में इनके विलंबित जमा से जुड़ी अवांछित प्रथाएं समाप्त होती हैं।

- एनटीआरपी इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों के माध्यम से पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा देता है।

- एनटीआर पोर्टल पर भारतकोष के माध्यम से 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान मंत्रालय का गैर-कर राजस्व संग्रह 1303.00 करोड़ रुपये रहा।

मंत्रालय में नए बदलाव:

I. स्वायत्त निकायों में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए)

मॉड्यूल: स्वायत्त निकायों को टीएसए प्रणाली के अंतर्गत लाने का उद्देश्य स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी अनुदानों की “जस्ट-इन-टाइम” आधार पर रिलीज को सुगम बनाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धनराशि के पड़े रहने/स्वायत्त निकायों/एजेंसियों के पास अप्रयुक्त अनुदानों के संचय से बचना है। इससे स्वायत्त निकायों/एजेंसियों को एकमुश्त नकद अंतरण से भी बचा जा सकेगा और आवश्यकता के अनुसार सरकारी खाते से आहरण की सुविधा मिलेगी।

टीएसए के उद्देश्य:

- धनराशि जारी करने के लिए “जस्ट इन टाइम” सिद्धांत का उपयोग करके स्वायत्त निकायों को निधि प्रवाह की दक्षता बढ़ाना और इस प्रकार भारत सरकार में बेहतर नकद प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- ऋण की राशि को कम करके सरकार पर ब्याज भार घटाना।
- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी धनराशि को उनके बैंक खातों में पड़े रहने से रोकना।

टीएसए प्रणाली सभी पांच स्वायत्त निकायों अर्थात् प्रसार भारती, आईआईएमसी, पीसीआई, एसआरएफटीआई और एफटीआईआई में लागू की जा चुकी है। स्वायत्त निकायों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनएफडीसी (पीएसयू) में भी टीएसए लागू किया गया है।

II. पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रणाली

मॉड्यूल: पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सीजीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस में विकसित किया गया है।

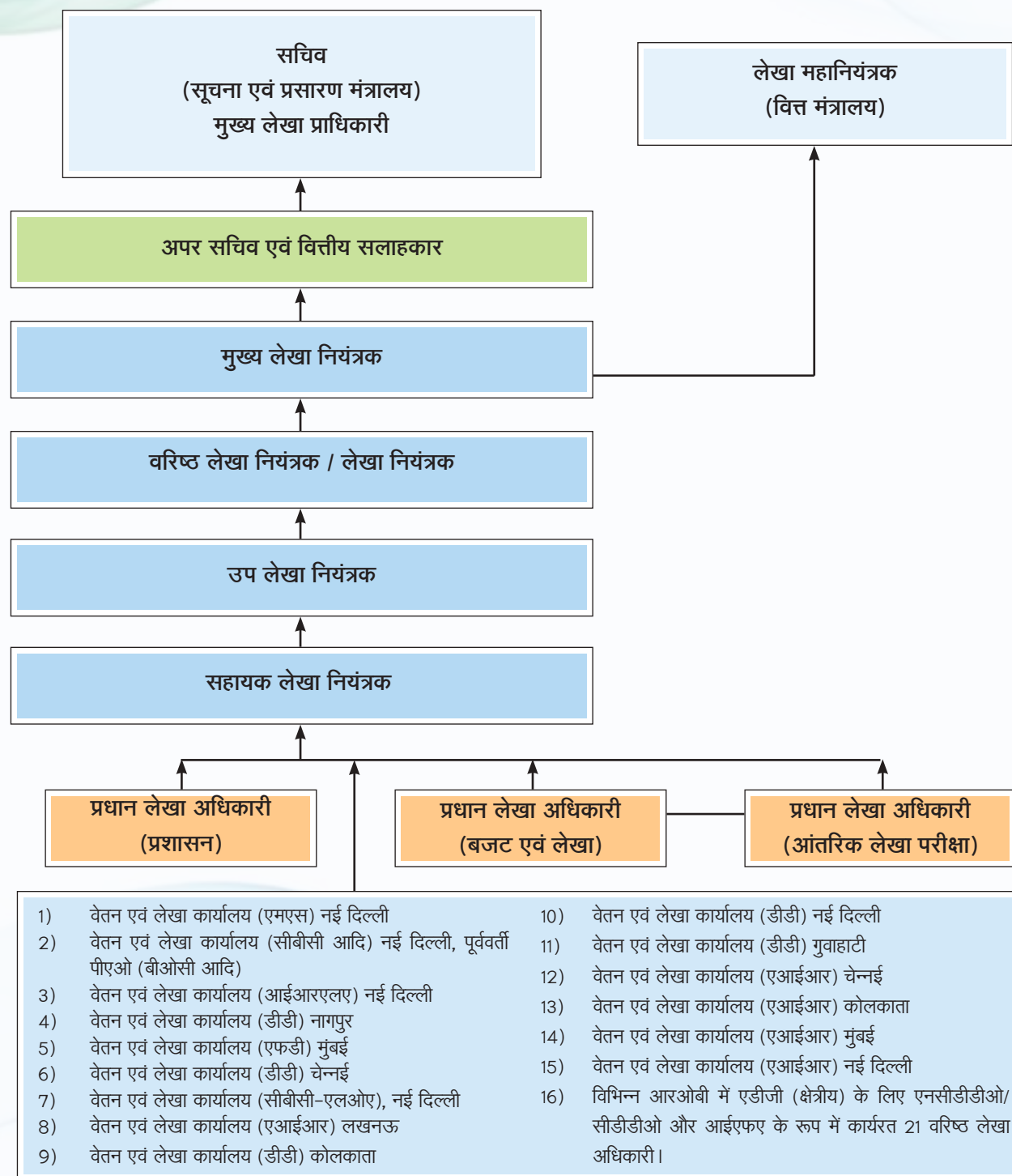
पीएफएमएस, सीजीए कार्यालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रबंधित भुगतान प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पीएओ/डीडीओ द्वारा किया जाता है। नई प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए केंद्रीय सरकार की प्रणाली में बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) शामिल है, ताकि संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को कागजरहित अवधारणा में बदला जा सके। ई-बिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान चक्र की अवधि को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना है। यह नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें दावेदारों और दावों को प्राप्त व संसाधित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी प्राधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क को न्यूनतम किया जाएगा। पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नौ पीएओ में पहले ही लागू किया जा चुका है।

ई-भुगतान के लाभ

- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित विशिष्ट ई-प्राधिकरण आईडी का उपयोग कर ऑनलाइन निधि अंतरण के कारण समय और प्रयास की बचत।
- भुगतान का सुरक्षित माध्यम।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेक और उनकी मैनुअल प्रोसेसिंग का उन्मूलन।
- भुगतानकर्ता द्वारा अपने बैंक खाते में चेक के मैनुअल जमा की बाधाओं का उन्मूलन।
- समग्र भुगतान प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्वतः मिलान।
- खातों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर लेन-देन का पूर्ण ऑडिट ट्रेल।

मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन की संरचना





11 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित 'हर घर तिरंगा' - देशभक्ति फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

क्र. सं.	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	विषय का विवरण
1.	2022-23 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 22	पैरा 2.11 अध्याय 2	ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्यय
2.	2022-23 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट 4	पैरा 4.4.1, अध्याय 4 (अनुबंध 4.11ए)	लघु/उप-शीर्षों से/को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन
3.	2022-23 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट 4	पैरा 4.2.2.4, अध्याय 4 (अनुबंध 4.7)	बचत को सरेंडर न करना
4.	2022-23 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 4	पैरा 4.2.2.3, अध्याय 4 (अनुबंध 4.6बी)	लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर 100 करोड़ रुपये या अधिक की महत्वपूर्ण बचत
5.	2022-23 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 4	पैरा 4.2.2.2 अध्याय 4 (अनुबंध 4.5)	खंड स्तर पर महत्वपूर्ण बचत-राजस्व स्वीकृत
6.	2019-20 वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 7	पैरा 3.2.2 अध्याय 3 अनुबंध 3.2	बचत का विश्लेषण
7.	2019-20 वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 7	पैरा 3.2.2.2 अध्याय 3 (अनुबंध 3.6)	लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचत
8.	2023-24 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 16	पैरा 3.2.3 अध्याय 3 (अनुबंध 3.3)	ऋण और अग्रिम
9.	2023-24 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 16	पैरा 4.2.2.2 अध्याय 4 अनुबंध 4.5	खंड स्तर पर 100 करोड़ रुपये या अधिक की महत्वपूर्ण बचत
10.	2023-24 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 16	पैरा 4.2.2.3 अध्याय 4 अनुबंध 4.6 बी	लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत-लघु/उप-शीर्ष स्तर पर 100 करोड़ रुपये या अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत
11.	2023-24 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 16	पैरा 4.2.2.3 अध्याय 4 (अनुबंध 4.6 सी)	लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत-लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर लगातार बचत
12.	2023-24 वर्ष के लिए 2025 की रिपोर्ट संख्या 16	पैरा 4.2.2.4 अध्याय 4 अनुबंध 4.7	बचत को सरेंडर न करना

■■■



1 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में '71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023' की घोषणा।

17 कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2024-25 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट संबंधी मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	मीडिया इकाई/प्रभाग	2024-25 के दौरान कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	2024-25 के दौरान कार्यान्वित निर्णयों/आदेशों की संख्या
1.	महानिदेशालय : आकाशवाणी और सीसीडब्ल्यू	94	75
2.	महानिदेशालय : दूरदर्शन	75	38
3.	एफटीआईआई	1	1
4.	प्रकाशन विभाग	1	1
5.	पत्र सूचना कार्यालय	1	1
6.	सतर्कता अनुभाग	1	0
	कुल	173	116

■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 21 नवंबर, 2025 को गोवा में '56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' (आईएफएफआई 2025) में राजदूतों के साथ एक समूह चित्र में।

क) निम्नलिखित क्षेत्रों का योजना परित्यय:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल बजट सहायता (जीबीएस)
1.	सूचना	196.11
2.	फिल्म	416.98
3.	प्रसारण	556.63

ख) कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के परित्यय (जीबीएस) के पूर्वोत्तर घटक का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल बजट सहायता (जीबीएस)
1.	सूचना	19.62
2.	फिल्म	42.39
3.	प्रसारण	55.84

ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का परित्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल बजट सहायता (जीबीएस)
1.	सूचना – डीसीआईडी	196.11
2.	फिल्म – डीसीडीएफसी	416.98
3.	प्रसारण (क+ख)	556.63
	(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन	8.29
	(ख) बीआईएनडी	548.34

■■■



21 जून, 2025 को नई दिल्ली के सूचना भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित '11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' समारोह की झलक।

मांग संख्या 61: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों/अनुदानग्राही संस्थानों, जिनमें प्रसार भारती भी शामिल है, का व्यय सम्मिलित है।

2. मंत्रालय का व्यय निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है:

- क. केंद्र का स्थापना व्यय- इसमें मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का स्थापना व्यय शामिल है;
- ख. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं- इसमें चार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् (क) विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी), (ख) फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी), (ग) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन, और (घ) प्रसारण अवसंरचना और

नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) का योजनागत व्यय शामिल है; और

- ग. अन्य केंद्रीय व्यय, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों पर व्यय शामिल है {इसमें इस मंत्रालय के पांच स्वायत्त निकायों अर्थात् भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई); सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई); भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी); भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई), प्रसार भारती (पीबी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम - एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - को अनुदान-सहायता शामिल है}।

3. श्रेणी-वार और मीडिया इकाई/स्वायत्त निकाय एवं पीएसयू/योजना-वार बजट निम्नानुसार है:

मांग संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
मीडिया इकाई-वार बजट				
राजस्व अनुभाग				
श्रेणी-I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर-योजनागत व्यय)				
(रुपये हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2024-25	बजट अनुमान 2025-26	वास्तविक अनुमान 2025-2026	बजट अनुमान 2026-2027
मुख्य शीर्ष-‘2251’ - सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
मुख्य सचिवालय	8,26,080	9,02,300	9,07,900	9,02,200
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	2,68,689	3,39,300	2,92,400	3,31,600
कुल मुख्य शीर्ष ‘2251’	10,94,769	12,41,600	12,00,300	12,33,800
मुख्य शीर्ष - ‘2205’ - कला एवं संस्कृति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन				
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	3,75,900	3,81,200	3,85,500	3,29,400
मुख्य शीर्ष - ‘2220’ - सूचना, फिल्म एवं प्रचार				
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	1,23,047	1,39,400	1,37,600	1,50,700
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग)	25,922	35,300	35,500	48,100
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईवी)	10,69,605	11,11,900	11,87,700	12,06,900
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	19,02,717	20,10,900	19,15,050	19,85,299
प्रकाशन विभाग	4,63,831	4,91,600	4,51,250	4,62,200

(रुपये हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	वास्तविक अनुमान 2024-2025	बजट अनुमान 2025-2026
भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्व में भारत के समाचार-पत्रों का पंजीयक)	1,26,917	1,22,700	1,28,700	1,15,400
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0	1	1	1
एशिया- प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	3,312	3,499	3,499	3,600
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) की वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	0	0	0	0
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	0	0	0	0
कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	37,15,351	39,15,300	38,59,300	39,72,200
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व)	51,86,020	55,38,100	54,45,100	55,35,400
मुख्य शीर्ष-'4220' - सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत व्यय				
	53,885	1,81,900	1,83,400	1,76,300
मुख्य सचिवालय	2,988	3,500	4,000	4,000
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	47,603	39,000	38,000	40,600
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	0	100	100	50,000
पत्र सूचना कार्यालय के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया सेंटर की स्थापना	16,917	16,500	14,700	15,200
प्रकाशन विभाग	1,058	1,500	1,300	1,300
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	34,201	21,900	24,400	24,400
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	0	0	300	300
भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्व में भारत के समाचार-पत्रों का पंजीयक)	2,499	2,500	3,100	8,100
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	17,429	20,000	1,90,200	1,35,200
कुल : मुख्य शीर्ष '4220'	1,76,580	2,86,900	4,59,500	4,55,400
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	53,62,600	58,25,000	59,04,600	59,90,800
श्रेणी-II केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (योजनागत व्यय)				
सूचना क्षेत्र				
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	16,77,436	21,42,800	17,64,900	22,50,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	2,38,100	1,96,200	2,50,000
कुल (डीसीआईडी)	16,77,436	23,80,900	19,61,100	25,00,000
फिल्म क्षेत्र				
विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	2984609	3116000	3627700	5482600

पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	363000	423900	344500
पूँजीगत मुख्य शीर्ष '4220'	257350	151000	187300	118400
कुल (डीसीडीएफसी)	3241959	3630000	4238900	5945500
प्रसारण क्षेत्र				
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	76,467	1,56,600	71,600	71,600
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	17,400	8,400	8,400
कुल (बीआईएनडी)	76,467	1,74,000	80,000	80,000
प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2221'	2136894	4500000	4950000	4583100
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	500000	550000	509300
कुल (बीआईएनडी)	2136894	5000000	5500000	5092400
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	2213361	5174000	5580000	5172400
कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	7132756	11184900	11780000	13617900
राजस्व अनुभाग	6875406	11033900	11592700	13499500
पूर्वोत्तर क्षेत्र आवंटन	0	1118500	1178500	1112200
पूँजी के अंतर्गत आवंटन	257350	151000	187300	118400
श्रेणी-III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (गैर-योजनागत व्यय)				
राजस्व अनुभाग				
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)	833077	1086500	816500	830000
भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)	91983	104800	103400	112200
एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक-विस्तारित वास्तविकता के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई एवीजीसी एक्सआर) - पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	3911500	0	0	0
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)	731100	891100	953300	899700
सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)	530000	524500	550000	800000
प्रसार भारती	24277551	23797000	40592400	22918800
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	180000	170000	330000	350000
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय) (राजस्व अनुभाग)	30555211	26573900	43345600	25910700
पूँजी अनुभाग				
एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक-विस्तारित वास्तविकता के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई एवीजीसी एक्सआर)- निवेश	17000	0	0	0
कुल-पूँजीगत अनुभाग (अन्य केंद्रीय व्यय)	17000	0	0	0

कुल-अन्य केंद्रीय व्यय (राजस्व+पूँजीगत अनुभाग)	30572211	26573900	43345600	25910700
कुल योग (राजस्व अनुभाग) (स्थापना+योजना+अन्य केंद्रीय व्यय)	42616637	43145900	60383400	44945600
कुल योग (पूँजीगत अनुभाग) (स्थापना+योजना+अन्य केंद्रीय व्यय)	450930	437900	646800	573800
कुल - मांग सं। 61 (राजस्व+पूँजीगत)	43067567	43583800	61030200	45519400

कुल मिलाकर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित संशोधित अनुमान 2025-26 और बजट अनुमान 2026-27 की सीमा क्रमशः 6103.02 करोड़ रुपये और 4301.94 करोड़ रुपये है, जबकि बजट अनुमान 2025-26 का आवंटन 4358.38 करोड़ रुपये था (अर्थात् बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में संशोधित अनुमान 2025-26 में 1744.64 करोड़ रुपये की वृद्धि और बजट अनुमान 2026-27 में 56.44 करोड़ रुपये की कमी)।

बजट अनुमान 2025-26, संशोधित अनुमान 2025-26 और बजट अनुमान 2026-27 में श्रेणी-वार व्यय (स्थापना व्यय, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और अन्य केंद्रीय व्यय) की व्यापक तुलना निम्नानुसार है: -

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी	बजट अनुमान 2025-26	संशोधित अनुमान 2025- 26	बजट अनुमान 2026-27
कुल आवंटन (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)	4358.38	6103.02	4551.94
जिसमें से पूँजीगत	43.79	64.68	57.38
I. स्थापना व्यय	582.50	590.46	599.08
(क) वेतन, जिसमें भत्ते, एलटीसी और पुरस्कार शामिल हैं	393.62	370.58	388.80
(ख) गैर-वेतन (स्थापना-राजस्व)	160.19	173.94	164.74
(ग) गैर-वेतन (स्थापना-पूँजीगत)	28.69	45.95	45.54
II. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	1118.49	1178.00	1361.79
(क) बीआईएनडी	500.00	550.00	509.24
(ख) डीसीडीएफसी	363.00	423.89	594.55
(ग) डीसीआईडी, जिसमें भारत के लिए डिजिटल आउटरीच शामिल है	238.09	196.11	250.00
(घ) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन	17.40	8.00	8.00
III. अन्य केंद्रीय व्यय	2657.39	4334.56	2591.07
(क) प्रसार भारती - अनुदान-सहायता वेतन	2379.70	2235.56	2245.86
(ख) अनुदान-सहायता वेतन (अन्य स्वायत्त निकाय)	63.49	59.36	68.68
(ग) गैर-वेतन - राजस्व	214.20	2039.64	276.53
(घ) गैर-वेतन - पूँजीगत	0.00	0.00	0.00

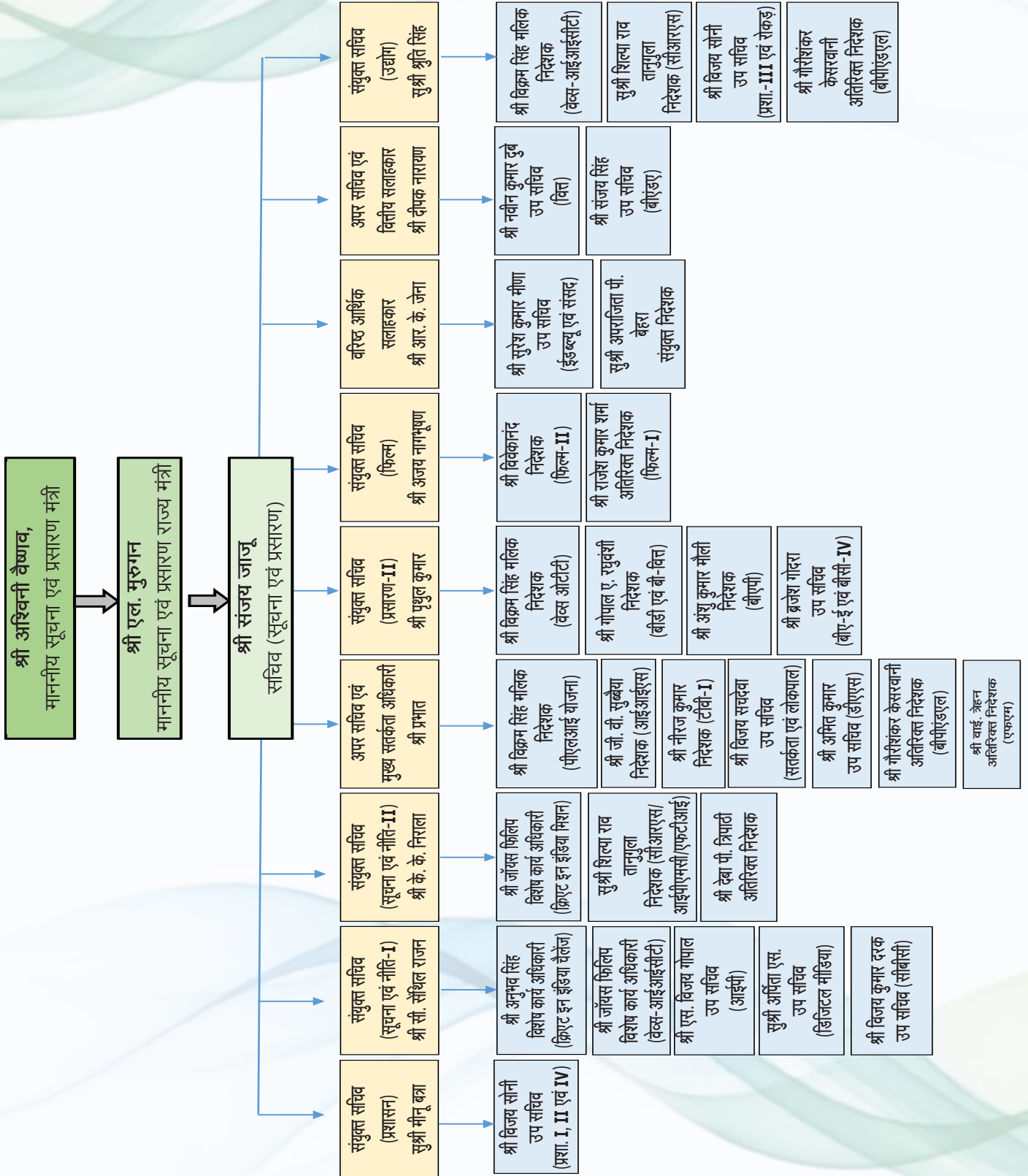
■■■



माननीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 27 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में वेक्स बाजार-ग्लोबल ई-मार्केटप्लेस वेक्स सीआईसी चैलेंज 'वाह उस्ताद' और वेक्स अवाइर्स के शुभारंभ पर संबोधित करते हुए।



4 मई, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में 'वेक्स 2025' के दौरान 'सिम्फनी ऑफ इंडिया - भारत की गूंज' में प्रदर्शन करते कलाकार।





WAVES

PDBN : I&B-HIN-ORG-336-2026-27

**UP
OD**
PUBLICATIONS
DIVISION

